जून, 2018

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द्र ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ` 125/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2018 अंक - 6

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
असलम खान

सत्यमेव जयते

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2018) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

अपराध घटित होने के पश्चात् सबसे पहली कार्यवाही आहत व्यक्ति को, यदि कोई है, चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना होता है और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है । शिकायत कभी तो आहत द्वारा ही लिखी जाती है और कभी-कभी आहत के परिवार के किसी भी सदस्य, निकट नातेदार या उसके मित्र आदि द्वारा यह कार्य किया जाता है क्योंकि मानसिक दशा विचलित होने के कारण आहत स्वयं शिकायत लिखने से बचता है । वैसे भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का महत्व केवल इतना है कि उसके आधार पर अन्वेषण अभिकरण अपना कार्य आरंभ कर दे । मात्र प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर न तो किसी अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है और न ही उसे दोषमुक्त किया जा सकता है जब तक कि अन्य साक्ष्य से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिकथित तथ्यों की संपुष्टि न हो जाए या वे असंगत साबित न हो जाएं । अतः, यह आवश्यक नहीं है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं शिकायतकर्ता या आहत व्यक्ति द्वारा ही लिखी जानी चाहिए । **सनी राय** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 798 वाला मामला इस स्थिति को भलीभांति स्पष्ट करता है ।

किसी भी अभियुक्त को तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस पर अपराध साबित न हो जाए । इस सिद्धांत से हम सभी अवगत हैं । अपराध साबित करने के लिए स्पष्ट साक्ष्य का होना आवश्यक है परन्तु कभी-कभी कुछ न्यायालय यह भूल जाते हैं कि कोई भी साक्षी स्वाभाविक विरोधाभास के बिना साक्ष्य नहीं दे सकता । न्यायालय को अपने विवेक से काम लेना चाहिए और तुच्छ विरोधाभासों को अनदेखा करते हुए साक्ष्य के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करना चाहिए और उसके पश्चात् ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए । **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **राजू** उर्फ **भगवान दास** (2018) 1 दा. नि. प. 885 वाला मामला एक ऐसा उदाहरण है जिसमें उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के मत से भिन्न मत व्यक्त करते हुए दोषमुक्ति के निर्णय को दोषसिद्धि में परिवर्तित किया ।

इस अंक में महत्वपूर्ण सामाजिक कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

इस अंक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को भी प्रकाशित किया जा रहा है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2018

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अनिल **बनाम** उत्तराखंड राज्य	771
कृष्ण कुमार और अन्य **बनाम** नवनीत **उर्फ** सीमा और अन्य	816
फातमा (श्रीमती) **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	751
बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल **बनाम** बिहार राज्य	836
मध्य प्रदेश राज्य **बनाम** राजू **उर्फ** भगवान दास	885
मनोज कुमार ज्ञानचंद महतो **बनाम** बिहार राज्य	861
मोहम्मद जमाल **उर्फ** जमालुद्दीन और अन्य **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	779
विश्वनाथ सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	874
सनी राय **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	798
सुरेन्द्र त्रिलोकी यादव **बनाम** बिहार राज्य	848
हेमचंद यशवंत फसाते **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	897

संसद् के अधिनियम

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 13

पृष्ठ संख्या

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 2(च) और (ध) तथा 17 – साझी गृहस्थी – निवास का अधिकार – परिवादी पत्नी को ससुर या उसके नातेदारों के मकान में निवास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह उपरोक्त उपबंधों के अधीन ससुर या सास या उनके नातेदारों का कोई मकान साझी गृहस्थी गठित नहीं करता, वह केवल अपने पति के मकान में ही रहने की हकदार है ।

कृष्ण कुमार और अन्य बनाम **नवनीत** उर्फ **सीमा और अन्य** 816

– धारा 20 [सपठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24] – धनीय अनुतोष – परिवादी पत्नी अपने और अपनी अवयस्क बालिका के भरणपोषण और लालन-पालन के लिए पति के वेतन के अनुपात में रकम पाने की हकदार है, इसलिए भरणपोषण की रकम को 6,000/- रुपए से बढ़ाकर 9,000/- रुपए प्रतिमास किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

कृष्ण कुमार और अन्य बनाम **नवनीत** उर्फ **सीमा और अन्य** 816

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 228 – आरोप विरचित किया जाना – हत्या का अपराध – अभियुक्त के विरुद्ध दहेज मृत्यु और क्रूरता के आरोप – यदि शव-परीक्षा रिपोर्ट और शव-परीक्षा सर्जन की राय से प्रथमदृष्ट्या यह सामग्री सुस्पष्ट है कि पीड़िता गृहिणी की मानव वध मृत्यु हुई है तथा हत्या के अपराध के लिए कोई अनुकल्पी आरोप नहीं है जो अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किया जाय, इसलिए, अभियुक्त के विरुद्ध हत्या के अपराध के लिए अनुकल्पी

पृष्ठ संख्या

आरोप विरचित किया जाना उचित है ।

मोहम्मद जमाल उर्फ **जमालुद्दीन और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 779

– धारा 228 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 306] – आरोप विरचित किया जाना – आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध – विधिमान्यता – मृतक ने धनराशि उधार ली थी और उसे अभियुक्तों को दिया था – अभियुक्त उस धनराशि का संदाय करने में विफल हुए और मृतक ने आत्महत्या कर ली – अभियुक्त का ऐसा कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि मृतक ने उस कार्य की वजह से आत्महत्या की – आत्महत्या करने के लिए उकसाने या दुष्प्रेरण के तत्वों का गायब होना – मृतक अत्यधिक रक्तचाप से ग्रसित था जिस कारण उसने आत्महत्या करना चुना – आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए विरचित किए गए आरोपों को अपास्त किया जाना न्यायसंगत है ।

हेमचंद यशवंत फसाते बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 897

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300, 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 6, 8] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अंतिम बार देखे जाने की कहानी – अभियुक्त के बारे में मृतक की हत्या किए जाने का अभिकथन किया जाना – इत्तिला देने वाले द्वारा यह साक्ष्य दिया जाना कि मृतक रात्रि में अभियुक्त के साथ अपने घर से चला था और दूसरे दिन प्रातः मृतक का शव बरामद हुआ था – साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने मृतक और अभियुक्त-अपीलार्थियों को मध्यरात्रि में एकसाथ जाते हुए देखा गया तथा सभी अभियुक्त-अपीलार्थी

पृष्ठ संख्या

रायफल और बन्दूकों से लैस थे – दो साक्षी जिन्होंने मृतक व अभियुक्त को अंतिम बार देखा, गोली की आवाज सुनी – जहां मामले में अभिलेख पर अभियुक्तों को मिथ्या फंसाए जाने का साक्ष्य नहीं है और चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि मृतक की मृत्यु गोली लगने से हुई और परिस्थितियों की शृंखला पूरी है वहां पर अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

सुरेन्द्र त्रिलोकी यादव बनाम **बिहार राज्य** 848

– धारा 302 [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] – हत्या – आहत साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का न लिखा जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का उद्देश्य – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दांडिक विधि को इस प्रकार कार्यान्वित करना है कि इत्तिला देने वाले का कार्य पूर्ण हो जाए और अपराध की सूचना पुलिस को प्राप्त हो जाए और यह रिपोर्ट स्वयं में सारभूत साक्ष्य नहीं है जिसका प्रयोग संपुष्टि या विरोधाभास के लिए ही किया जाता है किन्तु यदि इत्तिलाकर्ता का यह कथन है कि उसने शिकायत स्वयं नहीं लिखी थी और वह लिखने वाले का नाम भी नहीं बता सकता तब ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन प्रभावित नहीं होगा ।

सनी राय बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 798

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा आहत और उसके पति पर हमला किया जाना – क्षतियों के कारण पति की मृत्यु होना – आहत साक्षी के साक्ष्य की पड़ोसियों के साक्ष्य से संपुष्टि – अभियुक्त द्वारा धमकी दिए जाने का साक्ष्य – चिकित्सीय साक्ष्य से मानव वध किए जाने की संपुष्टि – अभियुक्त खुकुरी लेकर मृतक के घर आया और धमकी देते हुए आवाज

पृष्ठ संख्या

लगाई, आहत डरकर पड़ोसी को बुलाने चली गई, लौटकर आने पर आहत और पड़ोसी ने मृतक को क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया और मृतक को यह कहते हुए सुना कि अपीलार्थी ने उसे क्षति कारित की है जिसकी संपुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है, ऐसी स्थिति में हत्या के अपराध के लिए की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

सनी राय बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 798

– धारा 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – दहेज मृत्यु – साक्ष्य का मूल्यांकन – दहेज की मांग पूरी न करने के कारण अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ क्रूरता कारित किए जाने और उसे आग में जलाए जाने का अभिकथन – विवाह के सात वर्ष के भीतर ससुराल में आहत की मृत्यु होना – अपीलार्थी द्वारा मृतका को अस्पताल पहुंचाया जाना – अभियुक्त और मृतका के बीच सौहार्द संबंधों का होना – मृतका को तंग किए जाने की शिकायत का न पाया जाना – मृतका को अपीलार्थी के कहने पर अस्पताल लाया गया और उसके इलाज का आधा खर्चा अपीलार्थी द्वारा वहन किया गया और साथ ही मृतका द्वारा कभी भी यह शिकायत नहीं की गई कि उसके साथ अपीलार्थी दुर्व्यवहार करता है, ऐसी स्थिति में मात्र मृतका के पिता के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

मनोज कुमार ज्ञानचंद महतो बनाम **बिहार राज्य** 861

– धारा 304ख और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 113ख] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – साक्ष्य या मूल्यांकन – पीड़िता, गृहिणी की अपने विवाह के 3 वर्ष भीतर वैवाहिक गृह में मानव वध मृत्यु होना

पृष्ठ संख्या

– जहां पीड़िता को दहेज की मांग के कारण निरंतर प्रताड़ित किया गया और उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं था और उस पीड़िता की ससुराल में मानव वध मृत्यु हुई तब अभियुक्त-पति-पत्नी के साथ था और अभिलेख पर यह सामग्री नहीं है कि अपराध कारित होते समय ससुराल के लोग मामले में संबंधित थे । वहां पर ससुरालवालों की दोषमुक्ति न्यायसंगत है ।

मोहम्मद जमाल उर्फ **जमालुद्दीन और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 779

– धारा 304ख, 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 113ख] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि पीड़िता-मृतका के गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध के चिह्न थे और अन्य गहरी क्षतियों के साथ गला घोंटना प्रकट हुआ है और घटना के 10 दिन पूर्व से पीड़िता परेशान थी तो पति अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

मोहम्मद जमाल उर्फ **जमालुद्दीन और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 779

– धारा 304ख, 498क दहेज मृत्यु और क्रूरता – दंड – समवेत और कम करने वाली परिस्थितियां – पीड़िता गृहिणी की अपने विवाह के तीन वर्ष के भीतर वैवाहिक गृह में मानव वध मृत्यु होना – पीड़िता-मृतका को स्थायी रूप से प्रताड़ित किया गया और उसे दहेज मांग की वजह से वैवाहिक गृह से कई बार निकाल दिया गया तथा चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि पीड़िता-मृतका के गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध का चिह्न विद्यमान था और गहरी क्षतियां कारित करके गला घोंटना उपदर्शित हुआ है और अभियुक्त पीड़िता के प्रति अपने आचरण और उसके शरीर पर पहुंची हुई क्षतियों का स्पष्टीकरण देने में

पृष्ठ संख्या

विफल हुआ है अतः अभियुक्त के दंड को 10 वर्ष से 14 वर्ष कठोर कारावास बढ़ाने का निर्णय उचित है ।

मोहम्मद जमाल उर्फ **जमालुद्दीन और अन्य** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 779

– धारा 306 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – सबूत का भार – अपीलार्थी द्वारा मृतका को दहेज की मांग पूरी न करने के लिए यातना दिया जाना – मृतका को उकसाने का साक्ष्य न होना – घटना के समय अपीलार्थी का घटनास्थल पर मौजूद न होना – अभिलेख पर खाना बनाते समय आग लगने का साक्ष्य उपलब्ध होना – अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी ने मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है साथ ही मृतका के पिता द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने अपनी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की थी, अतः ऐसी स्थिति में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

मनोज कुमार ज्ञानचंद महतो बनाम **बिहार राज्य** 861

– धारा 324 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – स्वेच्छया उपहति कारित करना – अभियुक्त द्वारा आहत पर चाकू से वार किया जाना – आहत के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य के साथ संपुष्टि होना – आहत ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी अचानक उसके घर चाकू से लैस होकर आया और उस पर चाकू से हमला किया जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी-अभियुक्त स्वेच्छया उपहति कारित करने का दोषी है ।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम **राजू** उर्फ **भगवान दास** 885

पृष्ठ संख्या

– धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 134] – बलात्संग – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के आधार पर दोषसिद्धि – अभियुक्त द्वारा 3 वर्षीय अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग – घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में दादी द्वारा कथन दिया जाना – साक्ष्य की गुणवत्ता – प्रतिपरीक्षा के दौरान भी साक्षी के कथन का स्पष्ट पाया जाना – आहत के रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी घटनास्थल पर पहुंची जहां उसने अभियुक्त को आहत के साथ बलात्संग करते देखा और उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर तत्काल अन्य साक्षियों के घटनास्थल पर पहुंचने से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की मौजूदगी प्रबलित होती है, ऐसी स्थिति में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन के आधार पर की गई दोषसिद्धि उचित है ।

बिच्छू मंडल उर्फ **विजय मंडल** बनाम **बिहार राज्य** 836

– धारा 376 – बलात्संग – आहत की वीर्य-रंजित चड्डी का न्यायालयिक प्रयोगशाला न भेजा जाना किन्तु अपीलार्थी का घटनास्थल पर ही पकड़ा जाना और आहत की दादी द्वारा बलात्संग की पुष्टि – अन्य साक्षियों द्वारा चड्डी पर वीर्य पाए जाने की संपुष्टि – पुलिस द्वारा चड्डी का अभिगृहीत किया जाना – आहत की दादी द्वारा बलात्संग की घटना देखी गई है और अन्य साक्षियों द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किए जाने के तथ्य का समर्थन किया गया है और इस बात की पुष्टि की गई है कि आहत की चड्डी पर वीर्य पाया गया था जिसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में अन्वेषण अधिकारी द्वारा चड्डी को रासायनिक परीक्षण के लिए न भेजना अन्वेषण की खामी नहीं है इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

बिच्छू मंडल उर्फ **विजय मंडल** बनाम **बिहार राज्य** 836

पृष्ठ संख्या

– धारा 376 – बलात्संग – आहत की योनी से लिए गए लेप में शुक्राणुओं का न पाया जाना – चिकित्सक द्वारा आहत के गुप्तांग पर क्षति के चिह्नों का पाया जाना – आहत की चिकित्सा परीक्षा से चिकित्सक ने आहत के गुप्तांगों पर लालिमा और संकुचन पाया था साथ ही उसने पैरीनियम पर खरोंचें देखी थीं और यह निष्कर्ष निकाला कि आहत के साथ लैंगिक सम्पर्क हुआ है यद्यपि आहत के योनिक लेप में शुक्राणु नहीं पाए गए थे, ऐसी स्थिति में आहत के साथ बलात्संग किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता ।

बिच्छू मंडल उर्फ **विजय मंडल** बनाम **बिहार राज्य** 836

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15)

– धारा 3 और 12 – विधिमान्य पासपोर्ट के बिना यात्रा करना – अभियुक्त यह साबित करने में असफल रहा कि उसके पास विधिमान्य पासपोर्ट या स्थानांतरण दस्तावेज है, इसलिए विधिमान्य दस्तावेज के अभाव में उसे बंगलादेशी राष्ट्रिक ठहराया जाना और उसे दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

फातमा (श्रीमती) बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 751

यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (2012 का 32)

– धारा 5(i)(एम.)6 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय बच्चों से साक्ष्य का मूल्यांकन – यह अभिकथन किया जाना कि अभियोक्त्री अभियुक्त को पहचानती थी और अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री से मैथुन किए जाने के लिए उस पर हमला किया गया, इसलिए अभियुक्त मैथुन किए जाने का दोषी है ।

अनिल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 771

– धारा 5(i)(एम.)6 [सपठित साक्ष्य अधिनियम,

1872 की धारा 3] – यदि अभियोक्त्री के माता-पिता ने अभियोक्त्री के कपड़ों पर रक्त के धब्बे देखें तथा अभियोक्त्री जिसकी आयु 9 वर्ष है, उसके कथन को अन्य साक्षियों से संपुष्टि हुई है और चिकित्सा साक्ष्य से अभियोक्त्री के शरीर पर क्षति के चिह्न प्रकट हुए हैं तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज करने का उचित स्पष्टीकरण किया है, इसलिए अभियुक्त दोषी है और उसकी दोषसिद्धि उचित है ।

अनिल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 771

वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)

– धारा 52 – यान का अधिहरण – विधिमान्यता – इस मामले में जे. सी. बी. मशीन के चालक द्वारा सड़क के ओर की भूमि का उत्खनन करने के कारण यह वन उपज हो सकती है, चूंकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण कार्यवाहियों के दौरान वन उपज अर्थात् सड़क की भूमि का पंचनामा तैयार नहीं किया गया, इसलिए वन उपज प्रस्तुत करने और पंचनामा बनाने में असफल रहने के कारण यान का अधिहरण अवैध पाया गया ।

विश्वनाथ सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 874

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31)[सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 और 102]

– धारा 9 – विदेशी – सबूत का भार – विदेशी के संबंध में यह विवाद होने पर कि वह भारतीय है या विदेशी, उस व्यक्ति को यह साबित करना है कि वह विदेशी नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रिक है, जिस पर यह आरोप लगाया गया है ।

फातमा (श्रीमती) बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 751

फातमा (श्रीमती)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 15 जून, 2017

न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण

विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31)[सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 और 102] – धारा 9 – विदेशी – सबूत का भार – विदेशी के संबंध में यह विवाद होने पर कि वह भारतीय है या विदेशी, उस व्यक्ति को यह साबित करना है कि वह विदेशी नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रिक है, जिस पर यह आरोप लगाया गया है ।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) – धारा 3 और 12 – विधिमान्य पासपोर्ट के बिना यात्रा करना – अभियुक्त यह साबित करने में असफल रहा कि उसके पास विधिमान्य पासपोर्ट या स्थानांतरण दस्तावेज है, इसलिए विधिमान्य दस्तावेज के अभाव में उसे बंगलादेशी राष्ट्रिक ठहराया जाना और उसे दोषसिद्ध किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

इस मामले का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अभि. सा. 1 सीता राम रोहिले ने तारीख 9 अक्तूबर, 2009 को दोपहर लगभग 11.55 बजे यह कहते हुए, गाजियाबाद जिले के पुलिस थाना लोनी में एक लिखित शिकायत की कि जब अभि. सा. 1 उप निरीक्षक एल. आई. यू. सीता राम रोहिले अभि. सा. 2 कांस्टेबल तेजवीर सिंह के साथ लोनी कस्बे के नसबंदी कालोनी मोहल्ला को जा रहे थे तो उसे पुलिस मुखबिर से यह गुप्त सूचना मिली कि दो बंगलादेशी, एक महिला और एक पुरुष शिव मंदिर के सामने खड़े हैं । पुलिस मुखबिर द्वारा अभि. सा. 1 को दी गई सूचना का सही होने का विश्वास करते हुए, कुछ कदम जाने के पश्चात् उन्होंने देखा कि एक महिला और एक पुरुष शिव मंदिर के सामने सड़क पर खड़े हैं । जब अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने उनसे पूछताछ की तो महिला ने यह प्रकट किया कि उसका नाम रहीम की पत्नी श्रीमती फातमा

है जबकि पुरुष ने अपना नाम स्वर्गीय मोहम्मद अजीज का पुत्र मोहम्मद सलीम के रूप में अपना नाम प्रकट किया । उन दोनों ने यह कहा कि उनका स्थायी पता बंगलादेश के जिला बदराहट के गांव और पुलिस थाना मोराल गौज है । वे पिछले 15 वर्षों से चुपके-चुपके नसबंदी कालोनी, लोनी में रह रहे हैं । जब दो बंगलादेशी राष्ट्रिकों से अपने पासपोर्ट और वीजा पेश करने के लिए कहा गया तो वे कोई विधिमान्य दस्तावेज पेश करने में असफल रहे और दोहराया कि वे बंगलादेश से आए हैं और भारत में चुपके-चुपके रह रहे हैं । श्रीमती फातमा ने आगे अभि. सा. 1 से कहा कि उसके पति को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बंगलादेश वापस भेज दिया गया और वह उनसे मिलने दिल्ली जा रही थी । दोनों अभियुक्तों को यह बताया गया कि उन्होंने विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन अपराध किया है । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के आधार पर दो मामले क्रमशः अर्थात् 2009 का अपराध मामला सं. 1786 और 2009 का 1787, राज्य बनाम श्रीमती फातमा और राज्य बनाम मोहम्मद सलीम पुलिस लोनी में दर्ज किया गया । कांस्टेबल सतेन्दर सिंह द्वारा चेक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-5, रपट सं. 23 दोपहर लगभग 11.55 बजे द्वारा सुसंगत जी. डी. प्रविष्टि तैयार की गई । मामले का अन्वेषण उप निरीक्षक बृजलाल भार्गव द्वारा किया गया जिन्होंने अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थल योजना प्रदर्श क-2 तैयार किया तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोएडा के समक्ष विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन अपीलार्थी श्रीमती फातमा रहीम और अभियुक्त सलीम के विरुद्ध दो अलग-अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किए । चूंकि आरोप पत्र में उल्लिखित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय थे, इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोएडा ने अभियुक्त के विचारण के लिए मामला सेशन न्यायाधीश नोएडा को सुपुर्द किया जहां यह 2010 के सेशन विचारण सं. 1349 और सेशन विचारण सं. 1/11 (राज्य बनाम मोहम्मद सलीम) के रूप में दर्ज किया गया । दोनों सेशन विचारण गाजियाबाद के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/विचारण न्यायालय सं. 1 के न्यायालय को विचारण के लिए भेजा गया, जहां दोनों सेशन विचारण को सहबद्ध किया गया क्योंकि वे एक ही घटना से उद्भूत हुए थे और 2010 के सेशन विचारण सं. 1349 को प्रमुख मामला बनाया

गया । विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/विचारण न्यायालय सं. 1, गाजियाबाद ने आरोप के बिंदु पर अभिलेख की सामग्री के आधार पर और अभियोजन और अभियुक्त के सुनवाई के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन आरोप विरचित किए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीमती फातमा ने यह अभिकथित किया कि वह हल्दिया की निवासी थी जबकि सह-अभियुक्त सलीम कलकत्ता में रहता था, उसने आगे अभियोजन पक्षकथन का खंडन किया । पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के द्वारा उसके समक्ष दिए गए निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख के संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् अभियुक्त श्रीमती फातमा को विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 के अधीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना और जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में तीन मास का अतिरिक्त कारावास और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन तीन मास के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अतः, अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 2 विदेशी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो भारत का नागरिक नहीं हैं । धारा 8 में यह उपबंध है कि जहां कोई विदेशी एक से अधिक विदेशों की विधि द्वारा राष्ट्रिक के रूप में मान्यता प्राप्त है या जहां किसी कारण से यह निश्चित है कि किसी विदेशी को इस देश की राष्ट्रिकता यदि कोई है, दी जानी है तो उस विदेशी को उस देश का राष्ट्रिक माना जाएगा जिस देश के साथ वह विहित प्राधिकारी को तत्समय उसके हित में या सहानुभूति में अधिक निकटतम रूप से संबद्ध प्रतीत होता है । धारा 8 में आगे यह अनुबंध है कि जहां विदेशी ने जन्म से राष्ट्रिकता अर्जित की है वहां उस दशा के सिवाए, जहां केंद्रीय सरकार या तो साधारणतः या किसी विशिष्ट मामले में ऐसा निदेश देती है, यह समझा जाएगा कि उसने वह राष्ट्रिकता रखी है जब तक कि वह उक्त प्राधिकारी के समाधान पर्यंत यह साबित नहीं कर देता है कि उसने तत्पश्चात् देशीयकरण से या अन्यथा कोई अन्य राष्ट्रिकता अर्जित कर ली है और अभी भी उस देश की जिसकी राष्ट्रिकता उसने इस प्रकार अर्जित की है, सरकार द्वारा संरक्षण के हकदार के रूप में मान्यता प्राप्त है । अधिनियम की धारा 9 जो सबूत के भार के बारे में है, में

यह उपबंध है कि यदि किसी मामले में, जो धारा 8 में नहीं आता है, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है, कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी है या नहीं है तो यह साबित करने का भार कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, विदेशी नहीं है, या ऐसे किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पर होगा । विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में उपवर्णित सबूत के भार से संबंधित सामान्य उपबंध का एक अपवाद निकाला है और विचारण न्यायालय के मत में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती कि इस तथ्य को साबित करने का भार कि अपीलार्थी फातमा भारतीय राष्ट्रिक है, उस पर डाला गया न कि अभियोजन पर । न्यायालय यह नहीं पाता है कि विचारण न्यायाधीश ने यह साबित करने के लिए कि वह भारतीय राष्ट्रिक है, अपीलार्थी फातमा द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार करने में कोई अवैधता या खामी बरती । इस प्रकार, विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 के अधीन उसके अभिलिखित दोषसिद्धि में कोई खामी नहीं पाई जाती । (पैरा 13, 14, 17 और 23)

पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर विचार करते हुए, चूंकि अपीलार्थी स्वीकृततः यह साबित करने में असफल रही कि बंगलादेशी राष्ट्रिक होते हुए भी उसके पास विधिमान्य पासपोर्ट या स्थानांतरण दस्तावेज है अतः, विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन उसकी दोषसिद्धि पुष्ट किए जाने योग्य है । (पैरा 24)

निर्दिष्ट निर्णय

[1973] 1973 क्रिमिनल ला जर्नल 1344 :
नियाज खान बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ।** 22

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 7049.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अनिल कुमार ओझा

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण – यह दांडिक अपील राज्य बनाम

फातमा, 2010 के सेशन विचारण सं. 1329 से संबद्ध राज्य बनाम मोहम्मद सलीम, सेशन विचारण सं. 1/11 में गाजियाबाद के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/ विचारण न्यायालय सं. 1 द्वारा पारित तारीख 23 नंवबर, 2011 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी श्रीमती फातमा द्वारा की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 के अधीन तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने और जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में तीन मास के अतिरिक्त कारावास से और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 3 और 12 के अधीन तीन मास के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया ।

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अभि. सा. 1 सीता राम रोहिले ने तारीख 9 अक्तूबर, 2009 को दोपहर लगभग 11.55 बजे यह कहते हुए, गाजियाबाद जिले के पुलिस थाना लोनी में एक लिखित शिकायत की कि जब अभि. सा. 1 उप निरीक्षक एल. आई. यू. (स्थानीय आसूचना एकक) है सीता राम रोहिले अभि. सा. 2 कांस्टेबल तेजवीर सिंह के साथ लोनी कस्बे के नसबंदी कालोनी मोहल्ला को जा रहे थे तो उसे पुलिस मुखबिर से यह गुप्त सूचना मिली कि दो बंगलादेशी, एक महिला और एक पुरुष शिव मंदिर के सामने खड़े हैं । पुलिस मुखबिर द्वारा अभि. सा. 1 को दी गई सूचना के सही होने का विश्वास करते हुए, कुछ कदम जाने के पश्चात् उन्होंने देखा कि एक महिला और एक पुरुष शिव मंदिर के सामने सड़क पर खड़े हैं । जब अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने उनसे पूछताछ की तो महिला ने यह बताया कि उसका नाम श्रीमती फातमा है और वह रहीम की पत्नी है जबकि पुरुष ने अपना नाम मोहम्मद सलीम बताया और अपने पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद अजीज बताया । उन दोनों ने यह कहा कि उनका स्थायी पता बंगलादेश के जिला बदराहट के गांव और पुलिस थाना मोराल गौज है । वे पिछले 15 वर्षों से चुपके-चुपके नसबंदी कालोनी, लोनी में रह रहे हैं । जब दो बंगलादेशी राष्ट्रिकों से अपने पासपोर्ट और वीजा पेश करने के लिए कहा गया तो वे कोई विधिमान्य दस्तावेज पेश करने में असफल रहे और यही कहा कि वे बंगलादेश से आए हैं और भारत में चुपके-चुपके रह रहे हैं । श्रीमती फातमा ने आगे अभि. सा. 1 से कहा कि उसके पति को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बंगलादेश वापस भेज दिया गया और वह उनसे मिलने दिल्ली जा रही थी । दोनों अभियुक्तों को यह बताया गया कि उन्होंने विदेशियों विषयक

अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन अपराध किया है । लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के आधार पर दो मामले क्रमशः अर्थात् 2009 का अपराध मामला सं. 1786 और 2009 का 1787, राज्य बनाम श्रीमती फातमा और राज्य बनाम मोहम्मद सलीम पुलिस थाना, लोनी में दर्ज किए गए । कांस्टेबल सतेन्दर सिंह (अभि. सा. 6) द्वारा चेक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श क-5, रपट सं. 23 दोपहर लगभग 11.55 द्वारा सुसंगत जी. डी. प्रविष्टि तैयार की गई । मामले का अन्वेषण उप निरीक्षक बृजलाल भार्गव (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया जिन्होंने अन्वेषण के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थलनक्शा प्रदर्श क-2 तैयार किया तथा अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोएडा के समक्ष विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन अपीलार्थी श्रीमती फातमा रहीम और अभियुक्त सलीम के विरुद्ध दो अलग-अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किए । चूंकि आरोप पत्र में उल्लिखित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय थे, इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोएडा ने अभियुक्त के विचारण के लिए मामला सेशन न्यायाधीश नोएडा को सुपुर्द किया जहां यह 2010 के सेशन विचारण सं. 1349 और सेशन विचारण सं. 1/11 (राज्य बनाम मोहम्मद सलीम) के रूप में दर्ज किया गया । दोनों सेशन विचारण गाजियाबाद के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/विचारण न्यायालय सं. 1 के न्यायालय को विचारण के लिए भेजा गया, जहां दोनों सेशन विचारण मामलों को सहबद्ध किया गया क्योंकि वे एक ही घटना से उद्भूत हुए थे और 2010 के सेशन विचारण सं. 1349 को प्रमुख मामला बनाया गया ।

3. विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश/विचारण न्यायालय सं. 1, गाजियाबाद ने आरोप के संबंध में अभिलेख की सामग्री के आधार पर और अभियोजन और अभियुक्त के सुनवाई के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन आरोप विरचित किए ।

4. अभियोजन ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभि. सा. 1 उप निरीक्षक एल. आई. यू. सीता राम रोहिले, अभि. सा. 2 कांस्टेबल तेजवीर सिंह, अभि. सा. 3 कांस्टेबल राजू पुत्र तारा, अभि. सा. 4 फज्जन

पुत्र फैयाज, अभि. सा. 5 उप निरीक्षक बृजलाल भार्गव और अभि. सा. 6 कांस्टेबल 2176 सतेन्दर सिंह की परीक्षा कराई ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीमती फातमा ने यह अभिकथित किया कि वह हल्दिया की निवासी थी जबकि सह-अभियुक्त सलीम कलकत्ता में रहता था, उसने आगे अभियोजन पक्षकथन का खंडन किया ।

6. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के द्वारा न्यायालय के समक्ष किए गए निवेदनों पर विचार करने और अभिलेख के संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने के पश्चात् विचारण न्यायालय में अभियुक्त श्रीमती फातमा को विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 के अधीन तीन वर्ष की कठोर कारावास और 5,000/- रुपए का जुर्माना और जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में तीन मास का अतिरिक्त कारावास और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन तीन मास के कारावास से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

7. अतः यह अपील की गई ।

8. श्री ज्ञानेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमित्र ने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होते हुए यह निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को बंगलादेश का राष्ट्रिक ठहराने और यह तथ्य कि वह भारतीय राष्ट्रिक है, अपीलार्थी को साबित करने का भार अवैध रूप से अपीलार्थी पर रखकर उसे दोषसिद्ध करते हुए विधि की स्पष्ट रूप से गलती की । उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि यह साबित करने के लिए कि वह भारतीय नागरिक है, के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य को अवैध रूप से विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया । उन्होंने अंत में यह निवेदन किया कि न तो अपीलार्थी की अभिलिखित दोषसिद्धि और न ही उसे अधिनिर्णीत दंडादेश को कायम रखा जा सकता है और यह अपास्त किए जाने योग्य है ।

9. समानांतर स्तंभ में, श्री सगीर अहमद, विद्वान् सहायक सरकारी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 9 को ध्यान में रखते हुए, यह साबित करने का भार कि अपीलार्थी भारतीय राष्ट्रिक है, उस पर है जिसका वह दुर्भाग्यपूर्ण रूप से निर्वहन करने में असफल रही । अपीलार्थी फातमा की अभिलिखित दोषसिद्धि अकाट्य साक्ष्य पर आधारित है और उसको अधिनिर्णीत दंडादेश सुसंगत विचार-विमर्श पर

आधारित हैं जिन पर इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किए जाने की अपेक्षा नहीं है । यह अपील सारहीन है और तद्नुसार खारिज जाती है ।

10. हमने, श्री ज्ञानेन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव, विद्वान् न्यायमूर्ति और राज्य की ओर से श्री सगीर अहमद, सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना और संपूर्ण निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया ।

11. अभिलेख से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी फातमा को पुलिस मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि दो बंगलादेशी राष्ट्रिक शिव मंदिर के सामने खड़े हैं, अभि. सा. 1 उप निरीक्षक सीता राम रोहिले द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसरण में गाजियाबाद, लोनी के मोहल्ला नसबंदी कालोनी में शिव मंदिर के सामने से तारीख 11 दिसंबर, 2010 को उप निरीक्षक द्वारा गिरफ्तार किया गया । वहां पहुंचने पर अभि. सा. 1 द्वारा पूछे जाने पर अपीलार्थी ने यह बताया कि वह बंगलादेश के बदराहट जिले के गांव और पुलिस थाना मोराल गौज के निवासी हैं । अभि. सा. 1 द्वारा उससे अपना पासपोर्ट और वीजा पेश करने की अपेक्षा करने पर उसने इनकार किया और यह कहा कि उसके पास कोई पासपोर्ट या वीजा नहीं है । उसने आगे यह कहा कि वह अपने पति रहीम से मिलने दिल्ली गई थी, जिसे दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बंगलादेश वापस भेज दिया गया । अभि. सा. 1 सीता राम रोहिले द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के आधार पर 2009 का अपराध मामला सं. 1786 अपीलार्थी फातमा के विरुद्ध पूर्वोक्त अपराधों के लिए दर्ज किया गया ।

12. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की संबद्ध दलीलों पर मेरे द्वारा आगे विचार किए जाने के पूर्व विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 2, 3, 8, 9, 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 को नीचे उद्धृत करना उपयोगी होगा :–

2. परिभाषा – इस अधिनियम में, –

(क) "विदेशी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक नहीं है ;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए आदेशों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट" से विहित प्राधिकारी के निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ।

3. आदेश बनाने की शक्ति –

(1) केंद्रीय सरकार या तो साधारणतः या सब विदेशियों के संबंध में या किसी विशिष्ट विदेशी संबंध में या किसी विहित वर्ग या विवरणके विदेशी के संबंध में भारत में विदेशियों के प्रवेश, उससे उनके प्रस्थान या उसमें उनकी उपस्थिति या उनकी निरंतर उपस्थिति को प्रतिषिद्ध, विनियमित या निर्बंधित करने के लिए, आदेश द्वारा उपबंध बना सकती है ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के अधीन बनाए गए आदेशों में यह उपबंधित हो सकता है कि विदेशी –

(क) भारत में प्रवेश नहीं करेगा, या भारत में केवल ऐसे समयों पर और ऐसे मार्ग से और ऐसे पत्तन या स्थान से और अपने आगमन पर ऐसी शर्तों के, जैसे विहित की जाएं, अनुपालन के अधीन रहते हुए, प्रवेश करेगा ;

(ख) भारत से प्रस्थान नहीं करेगा, या ऐसे समयों पर और ऐसे मार्ग से और ऐसे पत्तन या स्थान से और प्रस्थान पर ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जाएं, अनुपालन के अधीन रहते हुए प्रस्थान करेगा ;

(ग) भारत में या भारत में किसी विहित क्षेत्र में नहीं रहेगा ; (गग) यदि इस धारा के अधीन आदेश द्वारा उससे भारत में न रहने की अपेक्षा की गई है, तो वह अपने व्ययनाधीन साधनों से भारत से अपने हटाए जाने का और ऐसे हटाए जाने तक भारत में अपने भरणपोषण का व्यय वहन करेगा ;

(घ) भारत में ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, अपने को ले जाएगा और उसमें रहेगा ;

(ङ) ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो विहित या विनिर्दिष्ट की जाएं –

(i) जिनसे किसी विशिष्ट स्थान में निवास करने की उससे अपेक्षा की जाए,

(ii) जिनसे उसकी गतिविधियों पर किन्हीं निर्बंधनों को अधिरोपित किया जाए,

(iii) जिनसे उनको पहचान का ऐसा सबूत देने और ऐसे प्राधिकारी को ऐसी विशिष्टियां ऐसी रीति से और ऐसे समय और स्थान पर जो विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं, रिपोर्ट करने के लिए अपेक्षा की जाए,

(iv) जिनसे उसके फोटोचित्र और अंगुलि छाप लिए जाने के लिए, अनुज्ञात करने के लिए और उसके हस्तलेख और हस्ताक्षर का नमूना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे समय और स्थान पर जो विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं देने की अपेक्षा की जाए,

(v) जिनसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे समय और स्थान पर जैसे विहित या विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए जो विहित या विनिर्दिष्ट की जाएं स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षा की जाएं,

(vi) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट प्रकार के व्यक्तियों के साथ मेलजोल से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(vii) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट विवरण के क्रियाकलापों के करने से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(viii) जिनसे विहित या विनिर्दिष्ट वस्तुओं के उपयोग या कब्जे से उसे प्रतिषिद्ध किया जाए,

(ix) जिनसे किसी ऐसी विशिष्टि में जैसी विहित या विनिर्दिष्ट की जाए, उसके आचरण को अन्यथा विनियमित किया जाए ;

(च) किन्हीं या सभी विहित या विनिर्दिष्ट निर्बंधनों या शर्तों के, सम्यक् अनुपालन के लिए, या प्रवर्तन के विकल्प के रूप में, प्रतिभू सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करेगा ;

(छ) गिरफ्तार और निरुद्ध या परिरुद्ध किया जाएगा ;

और किसी ऐसे मामले के लिए जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है और ऐसे आनुषंगिक या अनुपूरक मामलों के लिए जो केंद्रीय सरकार की राय में इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए समीचीन या आवश्यक है, उपबंध कर सकते हैं । (3) इस निमित्त विहित कोई भी प्राधिकारी किसी विशिष्ट विदेशी के संबंध में उपधारा (2) के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन आदेश दे सकता है ।

(3क) कतिपय मामलों में अधिनियम लागू होने से राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को छूट देने की शक्ति –

(1) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए आदेश के सब या कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसी परिस्थितियों में या ऐसे अपवादों या उपांतरों सहित या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित को या के संबंध में लागू होंगे –

(क) ऐसे किसी राष्ट्रमंडलीय देश के नागरिक जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए ; या

(ख) कोई अन्य विदेशी व्यक्ति या वर्ग या प्रकार का विदेशी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक आदेश की प्रति उसके बनाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी ।

8. राष्ट्रिकता का अवधारण –

(1) जहां कोई विदेशी एक से अधिक विदेशों की विधि द्वारा राष्ट्रिक के रूप में मान्यता प्राप्त है या जहां किसी कारण से यह अनिश्चित है कि किसी विदेशी को किस देश की राष्ट्रिकता, यदि कोई है, दी जानी है तो उस विदेशी को उस देश का राष्ट्रिक माना जाएगा जिस देश के साथ वह विहित प्राधिकारी को तत्समय उसके हित में या सहानुभूति में अधिक निकटतम रूप से संबद्ध प्रतीत होता

है और यदि उसकी राष्ट्रिकता अनिश्चित है तो उस देश का जिसके साथ वह सबसे बाद में ऐसे संबंधित था : परंतु जहां विदेशी ने जन्म से राष्ट्रिकता अर्जित की है वहां उस दशा के सिवाय जहां केंद्रीय सरकार या तो साधारणतः या किसी विशिष्ट मामले में ऐसा निदेश देती है या समझा जाएगा कि उसने वह राष्ट्रिकता रखी है जब तक कि वह उक्त प्राधिकारी के समाधानपर्यन्त यह साबित नहीं कर देता है कि उसने तत्पश्चात् देशीयकरण से या अन्यथा कोई अन्य राष्ट्रिकता अर्जित कर ली है और अभी भी उस देश की जिसकी राष्ट्रिकता उसने इस प्रकार अर्जित की है सरकार द्वारा संरक्षण के हकदार के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

(2) राष्ट्रिकता के बारे में उपधारा (1) के अधीन किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा : परंतु केंद्रीय सरकार, या तो स्वप्रेरणा से या किसी संयुक्त विदेशी द्वारा आवेदन पर ऐसे विनिश्चय का पुनरीक्षण करेगी ।

9. सबूत का भार - यदि किसी मामले में, जो धारा 8 में नहीं आता है इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है, कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी है या नहीं है तो यह साबित करने का भार कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, विदेशी नहीं है, या ऐसे विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पर होगा ।

14. अधिनियम आदि के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति – जो कोई –

(क) भारत के किसी क्षेत्र में, उस अवधि से, जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था, अधिक अवधि तक रहता है ;

(ख) भारत में या उसके किसी भाग में उसके प्रवेश तथा ठहरने के लिए उसे जारी किए गए विधिमान्य वीजा की शर्तों के अतिक्रमण में कोई कार्य करता है ;

(ग) इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश या इस अधिनियम या ऐसे आदेश के अनुसरण में किए गए किसी निदेश का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम

के अधीन किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा और यदि उसने धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में बंधपत्र दिया है तो उसका बंधपत्र समपहृत कर लिया जाएगा और तद्द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति उसके लिए शास्ति का संदाय करेगा या दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय के समाधानपर्यन्त हेतुक दर्शित करेगा कि उसके द्वारा ऐसी शास्ति का संदाय क्यों न किया जाए ।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 3

भारत से प्रस्थान के लिए पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज – कोई भी व्यक्ति, जब तक उसके पास इस निमित्त कोई विधिमान्य पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज न हो, न भारत से प्रस्थान करेगा और न प्रस्थान करने का प्रयत्न करेगा । स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) "पासपोर्ट" के अंतर्गत ऐसा पासपोर्ट भी है जो किसी विदेश की सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी किए गए पासपोर्टों के उस वर्ग की बाबत, जिस वर्ग का वह पासपोर्ट है, उन शर्तों को पूरा करता है, जो पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) के अधीन विहित है ;

(ख) "यात्रा-दस्तावेज" के अंतर्गत वह यात्रा दस्तावेज भी है जो किसी विदेश की सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी कर विहित शर्तों को पूरा करती है ।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 – (1) जो कोई –

(क) धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ; अथवा

(ख) इस अधिनियम के अधीन कोई पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जानते हुए, कोई मिथ्या जानकारी देगा या कोई तात्विक जानकारी दबाएगा या किसी पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज में की गई प्रविष्टियों में विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना कोई परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने या प्रयत्न करेगा या परिवर्तन कराएगा; अथवा

(ग) अपना पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज (चाहे उसे इस

अधिनियम के अधीन जारी किया गया हो या नहीं) निरीक्षण के लिए पेश करने में, जब विहित प्राधिकारी उससे ऐसा करने की अपेक्षा करे, असफल रहेगा ; अथवा

(घ) किसी अन्य व्यक्ति को जारी किए गए पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज को जानते हुए उपयोग में लाएगा ; अथवा

(ङ) अपने को जारी किए गए पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज का उपयोग, जानते हुए, किसी दूसरे व्यक्ति को करने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

(1क) जो कोई, जो भारत का नागरिक नहीं है,--

(क) अपनी राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी दबाकर किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, या

(ख) कोई कूटरचित पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज धारण करेगा ।

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं हो, किंतु पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा वह, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कर दिया जाए तो, उस उपधारा में उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा ।

(3) जो कोई पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज की किसी शर्त का या इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का कोई ऐसा उल्लंघन करेगा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दंड उपबंधित नहीं है, वह कारावस से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाकर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा वह पश्चात्कथित अपराध के लिए उपबंधित शास्ति की दुगुनी शास्ति से दंडनीय होगा ।

13. विदेशियों विषयक अधिनियम, की धारा 2 विदेशी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो भारत का नागरिक नहीं हैं । धारा 8 में यह उपबंध है कि जहां कोई विदेशी एक से अधिक विदेशों की विधि द्वारा राष्ट्रिक के रूप में मान्यता प्राप्त है या जहां किसी कारण से यह निश्चित है कि किसी विदेशी को इस देश की राष्ट्रिकता यदि कोई है, दी जानी है तो उस विदेशी को उस देश का राष्ट्रिक माना जाएगा जिस देश के साथ वह विहित प्राधिकारी को तत्समय उसके हित में या सहानुभूति में अधिक निकटतम रूप से संबद्ध प्रतीत होता है । धारा 8 में आगे यह अनुबंध है कि जहां विदेशी ने जन्म से राष्ट्रिकता अर्जित की है वहां उस दशा के सिवाए, जहां केंद्रीय सरकार या तो साधारणतः या किसी विशिष्ट मामले में ऐसा निदेश देती है, यह समझा जाएगा कि उसने वह राष्ट्रिकता रखी है जब तक कि वह उक्त प्राधिकारी के समाधान पर्यंत यह साबित नहीं कर देता है कि उसने तत्पश्चात् देशीयकरण से या अन्यथा कोई अन्य राष्ट्रिकता अर्जित कर ली है और अभी भी उस देश की जिसकी राष्ट्रिकता उसने इस प्रकार अर्जित की है, सरकार द्वारा संरक्षण के हकदार के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

14. अधिनियम की धारा 9 जो सबूत के भार के बारे में है, में यह उपबंध है कि यदि किसी मामले में, जो धारा 8 में नहीं आता है, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है, कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी है या नहीं है तो यह साबित करने का भार कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, विदेशी नहीं है, या ऐसे किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पर होगा ।

15. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं है कि इस मामले में धारा 9 हू-ब-हू लागू होती है ।

16. इस न्यायालय द्वारा विचारार्थ अगला प्रश्न यह है कि क्या विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों को ध्यान में रखते

हुए, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह साबित करने के लिए कि वह भारतीय राष्ट्रिक है, अभियुक्त अपीलार्थी श्रीमती फातमा पर भार डालकर कोई अवैधता की है या नहीं ।

17. विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 9 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 में उपवर्णित सबूत के भार से संबंधित सामान्य उपबंध का एक अपवाद निकाला है और विचारण न्यायालय के इस मत में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती कि इस तथ्य को साबित करने का भार कि अपीलार्थी फातमा भारतीय राष्ट्रिक है, उस पर डाला गया न कि अभियोजन पर ।

18. इस अपील में, अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या यह साबित करने के लिए अभियुक्त-अपीलार्थी श्रीमती फातमा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कि वह भारतीय राष्ट्रिक है, बाह्य विचारों पर विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया ।

19. अभिलेख से यह दर्शित होता है कि यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त अपीलार्थी भारतीय राष्ट्रिक है, उसने निम्नलिखित दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए :–

(1) एक दस्तावेज की फोटो प्रति जिससे यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी श्रीमती फातमा द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर फैजान नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया ।

(2) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रहीम के पहचान पत्र की फोटो प्रति ।

(3) स्थानांतरण प्रमाणपत्र की फोटो प्रति ।

(4) निकाहनामे की फोटो प्रति ।

(5) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी श्रीमती फातमा के मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति ।

20. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने ऐसे दस्तावेजों को अस्वीकार किया जो अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा यह साबित करने के लिए अभिलेख पर लाए गए थे कि वह इस आधार पर भारतीय राष्ट्रिक है कि ये फोटो प्रतियां हैं अतः साक्ष्य में अग्राह्य हैं । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह भी

अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण प्रमाणपत्र और निकाहनामा के परिशीलन से यह साबित नहीं हुआ कि अभियुक्त अपीलार्थी श्रीमती फातमा एक भारतीय राष्ट्रिक है ।

21. जहां तक अभियुक्त अपीलार्थी फातमा को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अभिकथित मतदाता पहचानपत्र का संबंध है, यह सत्यापन किए जाने पर निर्वाचन आयोग के कार्यालय द्वारा जारी किया गया नहीं पाया गया, जैसा कि यह तारीख 25 अक्तूबर, 2011 के कागजात सं. 16क-1 और 16क-3 के एस.डी.ओ. गाजियाबाद की रिपोर्ट से स्पष्ट है । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि अभियुक्त अपीलार्थी ने मूल मतदाता पहचानपत्र फाइल नहीं किया था और उसकी फोटो प्रति जो अभिलेख पर लाई गई थी साक्ष्य में अग्राह्य थी ।

22. इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने **नियाज खान** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय के पैरा 17 में समरूप मुद्दे पर विचार करते हुए इस प्रकार यह मत व्यक्त किया :–

> "17. श्री आसिफ अंसारी ने दृढ़तापूर्वक यह आग्रह किया कि ऐसे निरुद्ध व्यक्ति के, जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन किया है,के निरोध को न्यायोचित ठहराने का भार निरोधकर्ता प्राधिकारी पर है । हमारी राय में, वर्तमान मामले को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के विशेष उपबंध लागू होंगे और यह दर्शित करने का भार याची पर है कि वह भारत का नागरिक है । हमने पहले ही विदेशी की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट की है जो भारत का नागरिक नहीं है । हमने पहले ही देखा है कि प्रथमदृष्ट्या याची यह स्थापित करने में असफल रहा कि उसने संविधान के अनुच्छेद 5 द्वारा अधिकथित शर्तों का समाधान किया है जिससे कि संविधान के प्रारंभ से उसे भारतीय नागरिक समझा जा सके । यद्यपि, वह वर्ष 1946 से भारत में रहने का दावा करता है । फिर भी पत्र, निर्वाचान नामावली, राशन कार्ड आदि जैसा कोई साक्ष्य अवधि के दौरान उसके ठहरने को साबित करने के लिए उसके द्वारा पेश नहीं किया गया है । चूंकि, उसका मामला संविधान के अनुच्छेद 5 के अधीन नहीं आता इसलिए वह भारत का नागरिक नहीं है और विदेशी है । विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय सरकार

[1] 1973 क्रिमिनल ला जर्नल 1344.

को विदेशियों के संबंध में उनके प्रवेश, उनके प्रस्थान या उनकी उपस्थिति या उसमें उनकी निरंतर उपस्थिति को प्रतिषिद्ध, विनियमित या निर्बंधित करने की व्यापक शक्ति प्रदान करती है । इसी धारा की उपधारा (2) के खंड (छ) में यह भी उल्लेख है कि आदेश में यह उपबंध किया जाए कि विदेशी को गिरफ्तार और निरुद्ध या परिरुद्ध किया जाएगा । विदेशियों विषयक (नजरबंदी) आदेश, 1962, विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 3, 4 और 8 के अधीन जारी किया गया था । ऐसी परिस्थितियों में विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 9 सबूत के भार के प्रश्न पर निश्चायक है । इसमें यह उपबंध है –

> '9. यदि किसी मामले में, जो धारा 8 में नहीं आता है इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निदेश के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है, कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं या किसी विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी है या नहीं है तो यह साबित करने का भार कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, विदेशी नहीं है, या ऐसे विशिष्ट वर्ग या प्रकार का विदेशी नहीं है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति पर होगा ।'

यह मामला निश्चित रूप से धारा 8 के अधीन नहीं आता, अतः, यह साबित करने का भार याची पर है कि वह विदेशी नहीं है । वह यह साबित कर अपने भार का निर्वहन कर सकता था कि वह एक भारतीय नागरिक है किंतु वह ऐसा करने में असफल रहा । विदेशियों विषयक (नजरबंदी) आदेश, 1962 का पैरा 3 यह स्पष्ट करता है कि उसका पैरा 5 पाकिस्तान और ऐसे अन्य विदेशियों के किसी राष्ट्रिक को लागू होता है जो कतिपय शर्तें पूरी करते हैं । हमने पहले यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश के पैरा 3 में आने वाले विदेशी शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया गया है और इसके अंतर्गत पाकिस्तान का कोई राष्ट्रिक सम्मिलित है । चूंकि, याची यह दर्शित करने में असमर्थ रहा कि वह विदेशी नहीं है, अतः सिविल प्राधिकारी आदेश के पैरा 5 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे गिरफ्तार करने के लिए सक्षम था । मुख्य न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर द्वारा अब्दुल सत्तार **बनाम** गुजरात राज्य (ए. आई. आर. 1965 एस.

सी. 810) वाले मामले में ऐसी ही राय व्यक्त की गई थी । रिपोर्ट के पैरा 10 में यह मत व्यक्त किया गया –

> 'एक और बिंदु है जिसे मामले के गुणागुण पर विचार करने के पूर्व उल्लेख किया जाना उचित है । अपीलार्थी को विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) की धारा 14 के अधीन अभियोजित किया जा रहा है । इस प्रश्न का अवधारण करने में कि क्या वह उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत विदेशी है या नहीं, उक्त अधिनियम की धारा 9 को ध्यान में रखना होगा । धारा 9 अधिनियम के अधीन सभी मामलों पर लागू होती है जो धारा 8 के अधीन नहीं आते और यह मामला धारा 8 के अधीन नहीं आता और इसलिए धारा 9 सुसंगत है । इस धारा के अधीन विधायिका ने सबूत का भार ऐसे व्यक्ति पर रखा है जो धारा 14 के अधीन दंडनीय अपराध का अभियुक्त है । इस धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि जहां कोई ऐसा प्रश्न उक्त अधिनियम या किए गए किसी आदेश या उसके अधीन निदेश के संबंध में प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, यह साबित करने का भार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उसी व्यक्ति पर है, इस प्रकार वर्तमान कार्यवाहियों में, इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए कि क्या अपीलार्थी अनुच्छेद 5 के अर्थान्तर्गत भारतीय नागरिक है, यह साबित करने के लिए सबूत का भार अपीलार्थी पर होगा कि वह 26 जनवरी, 1950 को भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास कर रहा था और यह कि उसने उक्त अनुच्छेद के खंड (क), (ख) और (ग) द्वारा विहित एक या तीन शर्तें पूरी की हैं । इस आधार पर ही अपीलार्थी के विचारण पर आगे कार्यवाही करनी होगी ।'

23. हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायाधीश ने यह साबित करने के लिए कि वह भारतीय राष्ट्रिक है, अपीलार्थी फातमा द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य को अस्वीकार करने में कोई अवैधता या खामी नहीं बरती है । इस प्रकार, विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 के अधीन उसके अभिलिखित उसकी दोषसिद्धि में कोई खामी नहीं पाई जाती है ।

24. पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि पर विचार करते हुए, चूंकि अपीलार्थी स्वीकृततः यह साबित करने

में असफल रही कि बंगलादेशी राष्ट्रिक होते हुए भी उसके पास विधिमान्य पासपोर्ट या स्थानांतरण दस्तावेज है अतः, विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन उसकी दोषसिद्धि पुष्ट किए जाने योग्य है ।

25. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह निष्कर्ष है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 14 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 3 और 12 के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने और उन्हें पूर्वोक्त दंडादेश देने में कोई त्रुटि/अवैधता या खामी नहीं है ।

26. यह अपील सारहीन है और तद्नुसार खारिज की जाती है । अपीलार्थी को अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिनिर्णीत दंडादेश की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी फातमा जमानत पर है । उसका जमानत बंधपत्र रद्द किया जा रहा है और उसके प्रतिभुओं को उन्मुक्त किया जा रहा है । उसे उसके दंडादेश के शेष भाग को भुगतने के लिए तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए ।

27. ज्ञानेन्द्र प्रकाश, न्यायमित्र को उनके पारितोषिक के लिए 7,000/- रुपए की रकम संदत्त की जाएगी ।

अपील खारिज की गई ।

पा.

अनिल

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 7 दिसंबर, 2017

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह

यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 5(i)(एम.)6 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अप्राप्तवय बच्चों से साक्ष्य का मूल्यांकन – यह अभिकथन किया जाना कि अभियोक्त्री अभियुक्त को पहचानती थी और अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री से मैथुन किए जाने के लिए उस पर हमला किया गया, इसलिए अभियुक्त मैथुन किए जाने का दोषी है ।

यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 – धारा 5(i)(एम.)6 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – यदि अभियोक्त्री के माता-पिता ने अभियोक्त्री के कपड़ों पर रक्त के धब्बे देखें तथा अभियोक्त्री जिसकी आयु 9 वर्ष है, उसके कथन को अन्य साक्षियों से संपुष्टि हुई है और चिकित्सा साक्ष्य से अभियोक्त्री के शरीर पर क्षति के चिह्न प्रकट हुए हैं तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से दर्ज करने का उचित स्पष्टीकरण किया है, इसलिए अभियुक्त दोषी है और उसकी दोषसिद्धि उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 5 जुलाई, 2015 को रीता ने इस प्रभाव की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को उसकी पुत्री बरोतीवाला पर विद्यालय में हाजिर होने के लिए गई थी । एक व्यक्ति उसे मिला जिसे उसके कुटुम्ब के लोग जानते थे । उसकी पुत्री की आयु 9 वर्ष थी । उक्त व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री को प्रलोभन दिया गया और उसे मिठाई की दुकान पर ले गया । वह मिठाई की दुकान पर काम किया करता था । इसके पश्चात्, वह व्यक्ति उसकी पुत्री को बगीचे में ले गया । उसे बलपूर्वक शराब पिलाई । उसने उसकी पुत्री के साथ उस पर हमला करके मैथुन किया । उसकी पुत्री जब वह घर पर वापस आई तब उसकी हालत दयनीय थी । उसने उसे घटना का वृत्तांत सुनाया जिस पर अपीलार्थी का नाम लिया । अभियोक्त्री को चिकित्सक

परीक्षा के लिए ले जाया गया था । अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अन्वेषण के पश्चात्, सभी औपचारिकताएं पूरी करके चालान प्रस्तुत किया गया था । अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । अपीलार्थी ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया जैसा कि इसमें ऊपर ध्यान में लाया गया है । इसलिए, यह अपील फाइल की गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रलोभन दिया गया था और मिठाई की दुकान पर ले जाया गया था और इसके पश्चात् उसे एकांत स्थान पर ले जाया गया था । अपीलार्थी ने अपने गुप्तांग को उसके गुप्तांग पर स्पर्श किया । उसे दर्द महसूस हुआ । अपीलार्थी द्वारा उसे बलपूर्वक शराब पिलाई गई और वह अपने घर वापस पहुंची । दरवाजे पर ताला लगा हुआ था । उसने अपनी चाची को घटना के बारे में बताया और उसके पश्चात् अपनी माता को बताया । उसे उसकी चाची अभि. सा. 3 श्रीमती रीता और होशियार सिंह द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए ले जाया गया था । अभि. सा. 1 के कथन की अभि. सा. 2, 3 और 4 के कथनों से सम्यक् रूप से संपुष्टि हुई है । अभियोक्त्री की जन्म-तिथि 30 दिसम्बर, 2006 थी । डा. शिखा ठाकुर ने स्पष्ट रूप से अभियोक्त्री के पीठ पर तथा उसके बायें जांघ पर खरोंच के चिह्न देखे थे और लड़की दर्द के कारण चिल्लाई थी । वह अपने पैरों को अलग नहीं रख सकती थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार रक्त के धब्बे पाए गए थे । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 की जानकारी में अभियोक्त्री के कपड़ों पर रक्त के धब्बे प्रकट हुए थे । डाक्टर की राय साक्ष्य के सारभूत टुकड़े के रूप में नहीं है । वर्तमान मामले में, अभि. सा. 1 के कथन से यह सुव्यक्त है कि अपीलार्थी ने उससे बलात्संग किया । अभियोक्त्री का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित भी किया गया था, यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है परंतु न्यायालय तथ्य के आधार पर न्यायिक नोटिस भेज सकता है कि चूंकि कुटुंब के सदस्यों की प्रतिष्ठा है कि अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ समय होना चाहिए था । इस मामले में तारीख 3 जुलाई, 2015 को घटना घटी और तारीख 5 जुलाई, 2015 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में वीर्य का अभाव

अभियोक्त्री की विलंब से परीक्षा करने का कारण रहा था । (पैरा 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 10 एस. सी. सी. 476 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 840 : **दरबारा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य** । 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक जेल अपील सं. 8.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री सचिन मोहन सिंह मेहता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अमित भट्ट, उप महाधिवक्ता साथ में पी. एस. वोहरा और के. एस. रावत (ब्रीफ होल्डर्स)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने दिया ।

न्या. शर्मा – वर्तमान अपील त्वरित निपटान न्यायालय/विशेष न्यायाधीश (पॉस्को)/अपर जिला न्यायाधीश, देहरादून द्वारा 2015 के विशेष सेशन विचारण सं. 65 में तारीख 30 जनवरी, 2017 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी जिसे आरोपित किया गया था और उसका दंड संहिता की धारा 376, 323 और 506 तथा यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "पॉस्को अधिनियम" कहा गया है) की धारा 5/6 के अधीन विचारण किया गया था । उसे दंड संहिता की धारा 376 और 323 तथा पॉस्को अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और पॉस्को अधिनियम की धारा 5/6 के अधीन आजीवन कारावास भोगने के लिए तथा तीस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर पॉस्को अधिनियम की धारा 6 के अधीन एक मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया था । उसे दंड संहिता की धारा 323 के अधीन एक वर्ष का साधारण कारावास और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया था ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 5 जुलाई,

2015 को रीता (अभि. सा. 2) (अभियोक्त्री की माता) ने इस प्रभाव की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को उसकी पुत्री बरोतीवाला पर विद्यालय में हाजिर होने के लिए गई थी । एक व्यक्ति उसे मिला जिसे उसके कुटुम्ब के लोग जानते थे । उसकी पुत्री की आयु 9 वर्ष थी । उक्त व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री को प्रलोभन दिया गया और वह उसे मिठाई की दुकान पर ले गया । वह मिठाई की दुकान पर काम किया करता था । इसके पश्चात्, वह व्यक्ति उसकी पुत्री को बगीचे में ले गया । उसे बलपूर्वक शराब पिलाई । उसने उसकी पुत्री के साथ उस पर हमला करके मैथुन किया । उसकी पुत्री, जब वह घर पर वापस आई तब उसकी हालत दयनीय थी । उसने उसे घटना का वृत्तांत सुनाया जिस पर अपीलार्थी का नाम लिया । अभियोक्त्री को चिकित्सक परीक्षा के लिए ले जाया गया था । अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अन्वेषण के पश्चात्, सभी औपचारिकताएं पूरी करके चालान प्रस्तुत किया गया था ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा की । अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई थी । अपीलार्थी ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया जैसा कि इसमें ऊपर ध्यान में लाया गया है । इसलिए, यह अपील फाइल की गई है ।

4. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री सचिन मोहन सिंह मेहता ने पुरजोर यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है ।

5. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री अमित भट्ट ने तारीख 30 जनवरी, 2017 के निर्णय का समर्थन किया है ।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख का सावधानीपर्वूक परिशीलन किया ।

7. अभि. सा. 1 अभियोक्त्री है (जिसके नाम को प्रकट नहीं किया गया है) न्यायालय ने अभियोक्त्री की बुद्धिमत्ता का अवलोकन करने के पश्चात् उसका कथन अभिलिखित किया । विचारण न्यायाधीश ने कथन में उसके नाम का उल्लेख किया जाना नहीं चाहा गया । अभि. सा. 1 ने यह साक्ष्य दिया है कि वह अपीलार्थी को जानती है । वह उनके घर पर आया-जाया करता था । प्रातः जब वह बरौतीवाला पर अपने स्कूल के लिए जा

रही थी, अपीलार्थी उससे मिला और वह उसे मिठाई की दुकान पर ले गया । अपीलार्थी मिठाई की दुकान पर काम किया करता था । इसके पश्चात्, वह उसे जंगल की ओर ले गया और उसने बलपूर्वक उसको शराब पिलाई और उसने उस पर हमला करके उससे मैथुन किया । उसने उसकी सलवार उतारी और अपना पैजामा भी उतारा । उसने उसके गुप्तांग पर अपने गुप्तांग से स्पर्श किया । अभियोक्त्री ने दर्द महसूस किया जिस पर वह चिल्लाई । इसके पश्चात्, वह उसे उसके घर पर छोड़ आया और वह अपने घर लौट आई । दरवाजे पर ताला लगा हुआ था । उसने अपनी चाची सरिता देवी को घटना के बारे में बताया । उसने कुछ मलहम उसके गुप्तांग पर लगाया । इसके पश्चात्, उसकी माता, चाचा और चाची उसे चिकित्सा परीक्षा के लिए अस्पताल ले गए । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया कि वह प्राइमरी विद्यालय में अध्ययन करती है । अभियुक्त को सभी लोग जानते हैं ।

8. श्रीमती रीता (अभि. सा. 2) अभियोक्त्री की माता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पिछले साल वह पौधारोपण के लिए गई थी । उसकी पुत्री विद्यालय जाने के लिए तैयार थी और जब वह वापस लौटी तो उसकी ननद ने उसे यह बताया कि अपीलार्थी ने उसकी पुत्री को शराब पिलाकर उसके साथ मैथुन करके शारीरिक शोषण किया है । अभियोक्त्री ने उक्त घटना के बारे में उसे भी बताया था और यह उसे पता चला कि उसकी सलवार पर रक्त के धब्बे थे । वे पुलिस थाने गए ।

9. श्रीमती सरिता देवी (अभि. सा. 3) ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के कथनों की संपुष्टि की है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को उसकी ननद पौधारोपण के लिए गई थी । उसने अपने दरवाजे के सामने अपनी भतीजी को देखा था । उसे वह उठा लाई । वह अस्वस्थ थी । उसकी जानकारी में उसकी सलवार पर रक्त के धब्बे देखे गए थे । अभियोक्त्री ने उसे यह बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ मैथुन करके शोषण किया है । अभियोक्त्री को अस्पताल ले जाया गया था ।

10. होशियार सिंह (अभि. सा. 4) अभियोक्त्री के पिता ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी को उनके कुटुंब के लोग जानते थे जब वह उनके घर पर वापस आया तो उसकी पुत्री से शराब की बू आ रही थी, उसने उसे बताया कि उसे अपीलार्थी द्वारा बलपूर्वक शराब पिलाई गई थी और उसके कपड़ों पर रक्त के धब्बे देखे गए थे । अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षा के लिए ले जाया गया था ।

11. श्रवण सिंह (अभि. सा. 5) ने यह बताया कि तारीख 3 जुलाई, 2015 को जब वह वापस आया तो उसकी पत्नी सरिता ने उसे यह बताया था कि उसकी भतीजी के साथ कुछ बुरा हुआ है । उसने न्यायालय में अभियुक्त की शनाख्त की । वे अभियोक्त्री को अस्पताल ले गए थे ।

12. डा. शिखा ठाकुर (अभि. सा. 6) ने अभियोक्त्री की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की । उसने यह बताया कि अभियोक्त्री रो रही थी । वह सामान्य स्थिति में नहीं थी और उसने अपने पेट के आस-पास दर्द महसूस किया था । उसने अभियोक्त्री की पीठ और बाई जांघ पर कई खरोंचें देखी थीं और अभियोक्त्री के यौनि से स्राव निकल रहा था । जब उसकी जांघों की परीक्षा की गई तो उसे तीव्र दर्द हो रहा था । उसने रोग-विज्ञान परीक्षा की स्लाइड भेजी । उसके अनुसार (यौनिक स्राव में) कोई शुक्राणु नहीं पाए गए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री क्षतियों के कारण अपनी टांगों को अलग करने में समर्थ नहीं थी । उसके अनुसार अभियोक्त्री के गुप्तांग से कोई रक्त नहीं बल्कि स्राव निकल रहा था ।

13. उप निरीक्षक अभि. सा. 8 ज्योति चौहान नेगी मामले में अन्वेषक अधिकारी थी । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभियोक्त्री के कथन अभिलिखित किए थे ।

14. उप निरीक्षक प्रतिभा (अभि. सा. 9) ने भी मामले में अन्वेषण किया ।

15. श्रीमती सरला (अभि. सा. 10) ने अभियोक्त्री की जन्म-तिथि साबित की । उसकी जन्म-तिथि 30 दिसम्बर, 2006 थी ।

16. न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श 1, 2 और 3 में वीर्य का पता नहीं लग पाया था । प्रदर्श 1 और प्रदर्श 2 के अनुसार मानव रक्त का पता चला था । प्रदर्श 3 पर रक्त का पता नहीं चल सका ।

17. प्रदर्श 1 (पीड़िता की पैजामी) और प्रदर्श 2 (पीड़िता का सेनेटरी पैड) से प्राप्त डी. एन. ए. के अनुसार यह पाया गया कि यह डी. एन. ए. के नमूने किसी एक ही महिला के हैं जो एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं । प्रदर्श 3 (अभियुक्त की जांघिया) से डी. एन. ए. का पता नहीं लगाया जा सका ।

18. डा. शिखा ठाकुर (अभि. सा. 6) की पूरक रिपोर्ट के अनुसार मैथुन किए जाने के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती ।

19. कथनों से, जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है, से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री प्राइमरी विद्यालय की छात्रा थी । वह विद्यालय जा रही थी और उसे अपीलार्थी द्वारा प्रलोभन दिया गया था और वह उसे किसी एकांत स्थान पर ले गया था । अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया । अभियोक्त्री अपने घर वापस आई और उसने अपनी चाची अभि. सा. 3 श्रीमती रीता को घटना के बारे में बताया और इसके पश्चात् अपनी माता को भी बताया । उसकी चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई थी ।

20. अभियोक्त्री (जिसका नाम प्रकट नहीं किया गया है) ने स्पष्ट रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उसे प्रलोभन दिया गया था और मिठाई की दुकान पर ले जाया गया था और इसके पश्चात् उसे एकांत स्थान पर ले जाया गया था । अपीलार्थी ने अपने गुप्तांग को उसके गुप्तांग पर स्पर्श किया । उसे दर्द महसूस हुआ । अपीलार्थी द्वारा उसे बलपूर्वक शराब पिलाई गई और वह अपने घर वापस पहुंची । दरवाजे पर ताला लगा हुआ था । उसने उसकी चाची श्रीमती रीता (अभि. सा. 3) को घटना के बारे में बताया और उसके पश्चात् अपनी माता को बताया । उसे उसकी चाची अभि. सा. 3 श्रीमती रीता और होशियार सिंह (अभि. सा. 4) द्वारा चिकित्सीय परीक्षा के लिए ले जाया गया था । अभि. सा. 1 के कथन की संपुष्टि अभि. सा. 2, 3 और 4 के कथन से सम्यक् रूप से हुई है । अभियोक्त्री की जन्म-तिथि 30 दिसम्बर, 2006 थी । डा. शिखा ठाकुर (अभि. सा. 6) ने स्पष्ट रूप से अभियोक्त्री की पीठ तथा उसकी बाईं जांघ पर खरोंच के चिह्न देखे थे और लड़की दर्द के कारण चिल्ला रही थी । वह अपने पैरों को अलग-अलग नहीं रख सकती थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार रक्त के धब्बे पाए गए थे । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 4 ने अभियोक्त्री के कपड़ों पर रक्त के धब्बे देखे थे । डाक्टर की राय साक्ष्य के सारभूत टुकड़े के रूप में नहीं है । वर्तमान मामले में, अभि. सा. 1 के कथन से यह सुव्यक्त है कि अपीलार्थी ने उससे बलात्संग किया । अभियोक्त्री का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अभिलिखित भी किया गया था, यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब हुआ है परंतु न्यायालय इस तथ्य पर न्यायिक रूप से विचार कर सकता है कि चूंकि कुटुंब के सदस्य घटना से अत्यधिक विचलित हो जाते हैं इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्णय लेने में कुछ समय लग ही जाता है । इस मामले में तारीख 3 जुलाई, 2015 को घटना घटी और तारीख 5 जुलाई, 2015 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में वीर्य का अभाव अभियोक्त्री की विलंब से

परीक्षा करने का कारण रहा था ।

21. **दरबारा सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्तियों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक कि उपलब्ध मौखिक साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्णतया प्रतिकूल न हो तब तक मौखिक साक्ष्य को प्रारंभिक रूप से लिया जाएगा । ऐसा केवल तब है जब दो बातों के बीच अत्यधिक विरोध हो कि चिकित्सा साक्ष्य से पुरी तरह मौखिक साक्ष्य की सभी सभाव्यताएं बाहर होती हो जबकि सभी प्रकार से सही हो न हो तब तक मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास किया जाता । माननीय न्यायमूर्तियों ने यह अभिनिर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :–

> "10. जहां तक चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच असंगतियों के प्रश्न का संबंध है, विधि में सुस्थापित है कि जब तक उपलब्ध मौखिक साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य से पूर्णतया प्रतिकूल न हो तब तक मौखिक साक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी । चिकित्सा और मौखिक साक्ष्य के बीच विभेद होने की दशा में साक्षी का मौखिक परिसाक्ष्य का चिकित्सा साक्ष्य के मुकाबले अत्यधिक साक्ष्यात्मक मूल्य होगा और जब चिकित्सा साक्ष्य मौखिक परिसाक्ष्य को अधिसंभाव्य बनाता है तब ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में सुसंगत कारक के रूप में उसका होना माना जाएगा । ऐसा केवल तब है जब दोनों के बीच विभेद अत्यधिक हो कि चिकित्सा साक्ष्य से मौखिक साक्ष्य की साक्ष्य होने की सभी संभाव्यताएं पूरी तरह से बाहर होनी चाहिए और तब मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास किया जाता है ।"

22. तद्नुसार, अपील में गुणागुण नहीं है और एतद्द्वारा उसे खारिज किया जाता है । तारीख 30 जनवरी, 2017 का आक्षेपित निर्णय और आदेश की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी पहले ही जेल में है । वह दंड भोग रहा होगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया ।

23. इस निर्णय और आदेश के प्रति के साथ एल सी आर को संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

---

[1] (2012) 10 एस. सी. सी. 476 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 840.

मोहम्मद जमाल उर्फ जमालुद्दीन और अन्य

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 18 दिसंबर, 2017

न्यायमूर्ति जॉयमाल्याबागची और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 228 – आरोप विरचित किया जाना – हत्या का अपराध – अभियुक्त के विरुद्ध दहेज मृत्यु और क्रूरता के आरोप – यदि शव-परीक्षा रिपोर्ट और शव-परीक्षा सर्जन की राय से प्रथमदृष्ट्या यह सामग्री सुस्पष्ट हैं कि पीड़िता गृहिणी की मानव वध मृत्यु हुई है तथा हत्या के अपराध के लिए कोई अनुकल्पी आरोप नहीं है जो अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किया जाय, इसलिए, अभियुक्त के विरुद्ध हत्या के अपराध के लिए अनुकल्पी आरोप विरचित किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 113ख] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – साक्ष्य या मूल्यांकन – पीड़िता, गृहिणी की अपने विवाह के 3 वर्ष भीतर वैवाहिक गृह में मानव वध मृत्यु होना – जहां पीड़िता को दहेज की मांग के कारण निरंतर प्रताड़ित किया गया और उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं था और उस पीड़िता की ससुराल में मानव वध मृत्यु हुई तब अभियुक्त-पति-पत्नी के साथ था और अभिलेख पर यह सामग्री नहीं है कि अपराध कारित होते समय ससुराल के लोग मामले में संबंधित थे । वहां पर ससुरालवालों की दोषमुक्ति न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304ख, 498क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 113ख] – दहेज मृत्यु और क्रूरता – चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि पीड़िता-मृतका के गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध के चिह्न थे और अन्य गहरी क्षतियों के साथ गला घोंटना प्रकट हुआ है और घटना के 10 दिन पूर्व से पीड़िता परेशान थी तो पति अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 304ख, 498क दहेज मृत्यु और क्रूरता

– दंड – समवेत और कम करने वाली परिस्थितियां – पीड़िता गृहिणी की अपने विवाह के तीन वर्ष के भीतर वैवाहिक गृह में मानव वध मृत्यु होना – पीड़िता-मृतका को स्थायी रूप से प्रताड़ित किया गया और उसे दहेज मांग की वजह से वैवाहिक गृह से कई बार निकाल दिया गया तथा चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि पीड़िता-मृतका के गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध का चिह्न विद्यमान था और गहरी क्षतियां कारित करके गला घोंटना उपदर्शित हुआ है और अभियुक्त पीड़िता के प्रति अपने आचरण और उसके शरीर पर पहुंची हुई क्षतियों का स्पष्टीकरण देने में विफल हुआ है अतः अभियुक्त के दंड को 10 वर्ष से 14 वर्ष कठोर कारावास बढ़ाने का निर्णय उचित है ।

अभियोजन पक्षकथन में जैसाकि अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथन किया गया है, इस प्रभाव का है कि पीड़िता बीबी गुलबानो का अपीलार्थी सं. 1 मो. जमाल **उर्फ** जमालुद्दीन के साथ 3 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था । विवाह के समय पर पीड़िता के कुटुम्ब ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपहार दिए थे । अभियुक्त व्यक्ति उन उपहारों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सोने के दो भरी की मांग की जिस पर पीड़िता को शारीरिक प्रताड़ना पहुंचाई गई थी । उसे कई अवसरों पर वैवाहिक गृह से बाहर भी किया गया था और उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा मनाने पर उसे वैवाहिक गृह में वापस लाया जाता था । इस घटना से कुछ समय पूर्व अभियुक्त व्यक्ति ने वैवाहिक गृह से पुनः उसे बाहर निकाला था । इस मुद्दे पर पूर्व प्रधान नसीम (अभि. सा. 9) के मकान में तारीख 13 जुलाई, 2003 को सालिश बैठाई गई थी । साक्षियों की मौजूदगी में अपीलार्थियों ने यह आश्वासन दिया था कि वे पीड़िता को प्रताड़ित नहीं करेंगे और ऐसे आश्वासन पर पीड़िता को वैवाहिक गृह पर भेजा गया । तारीख 23 जुलाई, 2003 को उसका भाई यूसुफ ने यह सूचना प्राप्त की कि उसकी बहिन की फांसी पर लटकने से मृत्यु हो गई है । वह अपनी बहिन के वैवाहिक गृह पर गया और उसने उसको कमरे के पश्चिमी ओर लटका हुआ पाया था । उसकी बहिन की एक दिन पूर्व मृत्यु हुई थी परंतु अभियुक्त व्यक्ति ने पूर्व में इस बारे में कोई समाचार नहीं दिया था । यूसुफ को यह संदेह है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने या तो उसकी बहिन की हत्या की या उसने उनके द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या की है । मो. यूसुफ (अभि. सा. 1) के लिखित शिकायत को दंड संहिता की धारा 498क/304ख/34 के अधीन तारीख 23 जुलाई,

2003 को इस्लामपुर पुलिस थाना मामला सं. 125/03 के रूप में अपीलार्थियों और अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया था । अन्वेषण के दौरान पीड़िता की शवपरीक्षण रिपोर्ट एकत्र की गई थी जिससे यह प्रकट हुआ है कि पीड़िता की मानव वध मृत्यु हुई है । अपीलार्थियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था । मामले को निपटारे के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था जहां से मामला अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, द्वितीय इस्लामपुर को अंतरित किया गया था । अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन आरोप विरचित किए गए थे । अपीलार्थियों द्वारा दोषसिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रारंभ में, मैं निराश होकर यह उल्लेख करना चाहता हूं यद्यपि मामले में प्रथमदृष्ट्या सामग्री प्रकट थी जैसाकि शवपरीक्षण रिपोर्ट से सुस्पष्ट है कि पीड़िता गृहिणी की मानव वध मृत्यु हुई थी, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के प्रकाश में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कोई अनुकल्पी आरोप विरचित नहीं किया गया । उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पश्चात्वर्ती स्पष्टीकरण को भूला नहीं हूं । उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि राजबीर वाले मामले में प्रकट सिद्धांत का तकनीकी रूप से अनुसरण नहीं किया गया जब प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से हत्या के मामले को समर्थन नहीं मिला । तथापि, वर्तमान मामले के तथ्य एक अलग तस्वीर पेश करती है । इतना ही नहीं, न केवल शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) बल्कि शव-परीक्षा सर्जन (अभि. सा. 10) की राय से स्पष्टतया मानव वध मृत्यु का मामला प्रकट होता है । ऐसी परिस्थितियों में, मेरी यह राय है कि विचारण न्यायाधीश ने राजबीर वाले मामले की आज्ञा का अनुसरण करना चाहा गया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अनुकल्पी आरोप विरचित किया । साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दुर्भाग्य से पीड़िता गृहिणी की उसकी माता-पिता के घर (यथामुद्रित वैवाहिक गृह) में मानव वध मृत्यु हुई थी । यह मृत्यु उसके विवाह के तीन वर्ष के भीतर हुई । उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था । वह सोने की दो भोरी की मांग के कारण हमेशा प्रताड़ित रही थी और ऐसे प्रताड़ना के कारण वह अपने वैवाहिक गृह से चली गई और अपने माता-पिता के घर में उसने अपनी दूसरी संतान को जन्म दिया

था । इसके पश्चात् अभि. सा. 8 के निवास स्थान पर सालिश की बैठक रखी गई थी (जिसने उनका विवाह कराया था) और अभि. सा. 9 (पूर्व प्रधान) के समक्ष जिसके बारे में अपीलार्थी सं. 1 ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा तथा उसे वैवाहिक गृह पर वापस ले जाएगा । अभिलेख पर यह साक्ष्य है कि अपीलार्थी सं. 1 और पीड़िता अलग भोजन कक्ष का इस्तेमाल करते थे और यद्यपि अपीलार्थी सं. 1 उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को पानीपत पर कार्य में था और वह अपनी पत्नी के साथ अपने निवास पर तब मौजूद हुआ जब उसकी मानव वध मृत्यु हो गई । अभि. सा. 10 का साक्ष्य न केवल गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध का चिह्न को ही प्रकट नहीं करता है जो गला घोंटने को उपदर्शित करता है, परंतु यह भी दर्शित है कि पीड़िता की तीसरी पसली का अस्थिभंग हुआ था और उसके फेफड़ों और यकृत के चारों ओर अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था । पीड़िता के शरीर पर ऐसी गहरी बाहरी और आंतरिक क्षतियां को देखने पर अभि. सा. 10 द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि पीड़िता की गला घोंटने के कारण मृत्यु हुई थी जो मानव वध प्रकृति की है । पुरजोर यह भी दलील दी गई कि क्षतियां से मानव वध मृत्यु उपदर्शित नहीं होती है । पसली में क्षति पीड़िता की मृत्यु के पश्चात् उसके शव के घूमने के कारण कारित हो सकती है । ऐसा कोई मामला नहीं है कि पीड़िता की पसलियों पर आंतरिक क्षति या अस्थिभंग शवपरीक्षण करने पर ऐसी क्षतियों पर प्रकट हुई थी । दूसरी ओर, पीड़िता के फेफड़ों और यकृत में अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव पाया गया था और गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध चिह्न के साथ उसकी तीसरी पसली का अस्थिभंग हुआ था और उनमें विदीर्ण और खरोंचें भी प्रकट हुई थी जो स्पष्ट रूप से गला घोंटने के कारण फीसियल मृत्यु को उपदर्शित करता है जो प्रकृति में मानव वध है । शव-परीक्षा सर्जन ने जोरदार रूप से अपनी राय का बचाव किया और प्रतिपरीक्षा के दौरान लटककर आत्महत्या के सुझाव से इनकार किया । इसलिए, मैं इस बारे में प्रतिकूल मत व्यक्त करने का कोई कारण नहीं पाता हूं । इसलिए, यह स्पष्ट है कि दुर्भाग्यवश घरेलू पत्नी ने जब उसे 10 दिन पहले वैवाहिक गृह में लाया गया था तो उसकी विभत्स मानव वध मृत्यु हुई थी, जब उसे वैवाहिक गृह में वापस लाया गया था तो उसे यह आश्वासन दिया गया था कि अपीलार्थी सं. 1 उसे दहेज की मांग के संबंध में किसी भी भांति प्रताड़ित नहीं करेगा । तथापि, मैं यहां पर यह भी उल्लेख करता हूं कि मृतक के ससुराल में अपीलार्थी सं. 2 और 3 द्वारा प्रताड़ित किए जाने का साक्ष्य मौजूद है, जो प्रकृति में साधारण किस्म का है अभिलेख पर यह भी

साक्ष्य प्रकट है कि अपीलार्थी सं. 1 और उसकी पत्नी का अलग भोजन कक्ष था । अभि. सा. 7 और 11 के स्वतंत्र साक्ष्य से यह अभिसाक्ष्य प्रकट होता है कि वह अपीलार्थी सं. 1 है जिसने सालिश की बैठक के दौरान यह आश्वासन दिया था कि वह दहेज मांग के संबंध में अपनी पत्नी के साथ उत्पीड़न का व्यवहार नहीं करेगा । अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अपनी पत्नी के साथ उसकी मानव वध मृत्यु से दस दिन पूर्व मूल्यवान वस्तुओं की मांग के संबंध में उसे प्रताड़ित किया । जबकि उसने मृतका के नातेदारों को यह आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में मृतक को प्रताड़ित नहीं करेगा । इसके तत्काल पश्चात्, पीड़िता की उसकी वैवाहिक गृह में मानव वध मृत्यु हुई थी । अपीलार्थी सं. 1 घटना के समय पर पीड़िता के साथ मौजूद था और उसके मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में वह विफल हुआ था । इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के संघटक, संदेह के परे अपीलार्थी सं. 1 के विरुद्ध सिद्ध हुए हैं । तथापि, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 अर्थात् पीड़िता के ससुराल के सास-ससुर अलग मैस में निवास करते थे । इसलिए, मैं उक्त अपीलार्थियों को संदेह का फायदा देता हूं । उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करता हूं जबकि अपीलार्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के अधीन दंडनीय अपराधों में दोषसिद्ध करता हूं । वर्तमान मामले में अपराध से संबंधित समवेत परिस्थितियों से यह दर्शित होता है पीड़िता को सोने के आभूषणों के मांग के संबंध में निरंतर प्रताड़ित किया गया था और उसे ऐसी मांग के संबंध में वैवाहिक गृह से बाहर किया गया था जबकि वह गर्भवती थी । घटना के दस दिन पूर्व अपीलार्थी सं. 1 ने सालिश की बैठक में यह आश्वासन दिया था कि वह दहेज की मांग के संबंध में अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा और इस आश्वासन पर पीड़िता की मानव वध मृत्यु हुई तो वह अपने पति के साथ अलग मैस में निवास कर रही थी । पसली का अस्थिभंग सहित अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव के घाव को पीड़िता के शरीर पर पाया गया था । गर्दन के चारों ओर बंध के चिह्न से यह दर्शित होता है कि गला घोंटने से मानव वध प्रकट हुआ है । इन परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हुआ है कि अपीलार्थी सं. 1 ने पीड़िता पर विभत्स हमला किया था और इसके पश्चात् उसकी मृत्यु गला घोंटकर की गई थी । अपीलार्थी सं. 1 के लिए दंड को न्यायसंगत रूप देने के लिए संभवतः मामले में दंड को कम करने वाली परिस्थितियां प्रकट नहीं होती हैं । शव-परीक्षा सर्जन द्वारा आत्महत्या का

मिथ्या अभिवाक् को साबित नहीं किया गया है । अपीलार्थी सं. 1 अपनी पत्नी के शरीर पर पहुंची क्षतियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया । सुनील दत्त मामले की भांति जहां पति हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया गया । क्योंकि मामले में कोई ऐसा साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ था उसने अपनी पत्नी का मृत्यु होने तक गला घोंटा था, मेरे विवेक में इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था बल्कि अपीलार्थी सं. 1 वह व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु होने तक गला घोंटा था, इसलिए 'अपराध की कसौटी' जिसका अपीलार्थी के विरुद्ध विनिश्चय किया जाता है और दंड की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाता है, तथापि, 'अपराध की कसौटी' का आपराधिक परख के साथ संतुलन किया जाना अपेक्षित है जिससे कि उचित दंडादेश के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके । 'अपराध की कसौटी' दोषसिद्ध अभियुक्त के विशेष परिस्थितियों से संबंध रखती है जिसके लिए दंड के प्रभाव पर सुधारक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है । इस बारे में मैं यह उल्लेख करता हूं कि अपीलार्थी कि समाज में मजबूत पकड़ है और वह दो बच्चों का पिता है । पूर्वोक्त कारकों को समवेत और कम करने के संतुलन को देखते हुए मेरी यह राय है कि न्याय के हित में दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के दंड को विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित 10 वर्ष के कठोर कारावास से 14 वर्ष के कठोर कारावास तक बढ़ाया जा सकता है । इन परिस्थितियों के अधीन मैने अपीलार्थी सं. 1 पर अधिरोपित दंड को बढ़ाया है और यह निदेश दिया है कि वह दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए वह 14 वर्ष के कठोर कारावास को भोगेगा तथा 1,000/- रुपए जुर्माने के संदाय करेगा और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर 6 मास का और अतिरिक्त कारावास भोगेगा । दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश में बदलाव नहीं किया जाएगा । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । (पैरा 8, 23, 24, 27 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 4 एस. सी. सी. 375 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5889 : **सुनील दत्त शर्मा** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)** ;	25

[2013] (2013) 7 एस. सी. सी. 256 =
ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 841 :
जसबिन्दर सैनी और अन्य बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)** ; 8

[2012] (2012) 7 एस. सी. सी. 91 =
ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2866 :
राजेश भटनागर बनाम **उत्तराखण्ड राज्य** ; 25

[2010] (2010) 15 एस. सी. सी. 116 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568 :
राजबीर उर्फ **राजू और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य ।** 8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 236.

यह अपील विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, द्वितीय त्वरित निपटान न्यायालय, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर द्वारा तारीख 21 फरवरी, 2014 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री जयंत नारायण चटर्जी, अपालक बासू, अमित विश्वास, एस. नासकर, नाजिर अहमद और अब्राहदीप झा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राणादेब सेनगुप्त

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जॉयमाल्याबागची ने दिया ।

न्या. बागची – यह अपील 2010 के सेशन मामला सं. 85 में से उद्भूत 2010 के सेशन विचारण सं. 70 में विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, द्वितीय त्वरित निपटान न्यायालय, इस्लामपुर, उत्तर दिनाजपुर द्वारा तारीख 21 फरवरी, 2014 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके अनुसार अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन दंडनीय अपराधों को कारित किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया और अपीलार्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 10 वर्ष के साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया तथा एक हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास का साधारण कारावास भोगने का दंड दिया गया और दंड संहिता की

धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने और एक हजार रूपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास का साधारण कारावास भोगने का दंड दिया गया तथा अपीलार्थी सं. 2 और 3 को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन 7 वर्ष के साधारण कारावास भोगने तथा एक हजार रूपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास के साधारण कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया और दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने और एक हजार रूपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर छह मास का कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया, सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. अभियोजन पक्षकथन, जैसाकि अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभिकथन किया गया है, इस प्रकार है कि पीड़िता बीबी गुलबानो का अपीलार्थी सं. 1 मो. जमाल **उर्फ** जमालुद्दीन के साथ 3 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था । विवाह के समय पर पीड़िता के कुटुम्ब ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपहार दिए थे । अभियुक्त व्यक्ति उन उपहारों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सोने की दो भोरी की मांग करते हुए पीड़िता को शारीरिक प्रताड़ना पहुंचाई गई थी । उसे कई अवसरों पर वैवाहिक गृह से बाहर भी किया गया था और उसके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा मनाने पर उसे वैवाहिक गृह में वापस लाया जाता था । इस घटना से कुछ समय पूर्व अभियुक्त व्यक्तियों ने वैवाहिक गृह से पुनः उसे बाहर निकाला था । इस मुद्दे पर पूर्व प्रधान नसीम (अभि. सा. 9) के मकान में तारीख 13 जुलाई, 2003 को सालिश बैठायी गई थी । साक्षियों की मौजूदगी में अपीलार्थियों ने यह आश्वासन दिया था कि वे पीड़िता को प्रताड़ित नहीं करेंगे और ऐसे आश्वासन पर पीड़िता को वैवाहिक गृह पर भेजा गया । तारीख 23 जुलाई, 2003 को उसके भाई यूसुफ ने यह सूचना प्राप्त की कि उसकी बहिन की फांसी पर लटकने से मृत्यु हो गई है । वह अपनी बहिन के वैवाहिक गृह पर गया और उसने उसको कमरे के पश्चिमी ओर लटका हुआ पाया था । उसकी बहिन की एक दिन पूर्व मृत्यु हुई थी परंतु अभियुक्त व्यक्ति ने पूर्व में इस बारे में कोई समाचार नहीं दिया था । यूसुफ को यह संदेह है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने या तो उसकी बहिन की हत्या की या उसने उनके द्वारा किए जाने के कारण आत्महत्या की है । मो. यूसुफ (अभि. सा. 1) की लिखित शिकायत को दंड संहिता की धारा

498क/304ख/34 के अधीन तारीख 23 जुलाई, 2003 को इस्लामपुर पुलिस थाना मामला सं. 125/03 के रूप में अपीलार्थियों और अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया था । अन्वेषण के दौरान पीड़िता की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिससे यह प्रकट हुआ है कि पीड़िता की मानव वध मृत्यु हुई है । अपीलार्थियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था । मामले को निपटारे के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द किया गया था जहां से मामला अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, द्वितीय इस्लामपुर को अंतरित किया गया था । अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498क/304ख के अधीन आरोप विरचित किए गए थे ।

3. अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियों की परीक्षा कराई और दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिह्नांकित भी किया गया । अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी प्रतिरक्षा में यह अभिवाक् किया कि वे पूर्ण रूप से निर्दोष हैं और उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है । विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में तारीख 21 फरवरी, 2014 को आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया जैसाकि पूर्वोक्त रूप में उल्लिखित है । तथापि, अन्य अभियुक्त व्यक्ति अर्थात् परवीन खातून, शिरुवा खावा और हसाबुद्दीन उर्फ हासाबुद्दीन को उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था ।

4. तथ्य को इस दृष्टि से देखते हुए कि पीड़िता की मृत्यु मानव वध से हुई है । इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सं. 1 को यह आदेश दिया गया कि वह यह कारण बताए कि विचारण न्यायालय द्वारा उस पर अधिरोपित दंडादेश को बढ़ाकर आजीवन कारावास क्यों न कर दिया जाए । इसलिए, दंड को बढ़ाने के लिए पूर्वोक्त नियम के साथ अपील को एक साथ सुना जाएगा ।

5. अपीलार्थियों की ओर से श्री चटर्जी के साथ श्री बासू विद्वान् अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि शव-परीक्षा सर्जन (अभि. सा. 10) की यह राय कि पीड़िता की मानव वध मृत्यु हुई थी, ठोस दावों पर आधारित नहीं है । मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि यह मामला आंशिक रूप से फांसी पर लटकने का प्रतीत होता है और मृत्यु के पश्चात् शव के हिलाने-डुलाने के कारण पसलियों पर क्षति कारित हो सकती है । उन्होंने यह दलील दी कि नातेदारों के इस साक्ष्य का समर्थन स्वतंत्र

साक्षियों के साक्ष्य से नहीं होता है कि पीड़िता को, जो एक गृहिणी थी, सोने की मांग के कारण प्रताड़ित किया जाता था और प्रताड़ना के अभिकथन साधारण हैं । सालिश की बैठक के मुद्दे के बारे में विरोधाभास हैं जैसाकि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 द्वारा अभिलेख पर मिथ्या रूप से यह साक्ष्य गढ़ा गया जिससे कि यह दर्शित हो सके कि विवाहित जोड़ा अलग रहता था । अतः यह प्रार्थना की गई कि अपील मंजूर की जाए और आदेश उन्मोचित किया जाए ।

6. राज्य की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री सेनगुप्त ने यह दलील दी कि अभिलेख पर व्यापक साक्ष्य है जो पीड़िता गृहिणी थी जिसे सोने के आभूषण की मांग के कारण अपीलार्थियों उसे प्रताड़ित किया गया था । उसे कई अवसरों पर वैवाहिक गृह से बाहर किया गया था और घटना के 10 दिन पहले पूर्व प्रधान नसीम (अभि. सा 9) के मकान पर सालिश की बैठक बुलाई गई थी । तारीख 22 जुलाई, 2003 को पीड़िता पर कई हमले हुए थे जिसके परिणामस्वरूप उसकी पसलियों का अस्थिभंग हुआ था तथा इसके पश्चात् गला घोंटा गया था । इसलिए, मांग पूरी न होने के कारण प्रताड़ित करने पर पीड़िता के वैवाहिक गृह में मानव वध मृत्यु हुई थी और इससे मानव वध मृत्यु का मामला प्रकट होता है । इसलिए, अपील को खारिज किया जाना चाहिए और अपीलार्थी सं. 1 पति के दंड को आजीवन कारावास के रूप में बढ़ाया जाना चाहिए ।

7. मैंने पक्षकारों की प्रतिस्पर्धी दलीलों को सुना ।

8. प्रारंभ में, मैं निराश होकर यह उल्लेख करना चाहता हूं यद्यपि मामले में प्रथमदृष्ट्या सामग्री प्रकट थी जैसाकि शवपरीक्षण रिपोर्ट से सुस्पष्ट है कि पीड़िता गृहिणी की मानव वध मृत्यु हुई थी, **राजबीर** उर्फ **राजू और एक अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के प्रकाश में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कोई वैकल्पिक आरोप विरचित नहीं किया गया । मैं **जसबिन्दर सैनी और अन्य** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पश्चात्वर्ती स्पष्टीकरण को भूला नहीं हूं । उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय

---

[1] (2010) 15 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568.

[2] (2013) 7 एस. सी. सी. 256 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 841.

ने यह मत व्यक्त किया था कि **राजबीर** (उपरोक्त) वाले मामले में प्रकट सिद्धांत का तकनीकी रूप से अनुसरण नहीं किया गया जब प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य से हत्या के मामले को समर्थन नहीं मिला । तथापि, वर्तमान मामले के तथ्य एक अलग तस्वीर पेश करती है । इतना ही नहीं, न केवल शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) बल्कि शव-परीक्षा सर्जन (अभि. सा. 10) की राय से स्पष्टतया मानव वध मृत्यु का मामला प्रकट होता है । ऐसी परिस्थितियों में, मेरी यह राय है कि विचारण न्यायाधीश ने **राजबीर** (उपरोक्त) वाले मामले की आज्ञा का अनुसरण करना चाहा गया और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन वैकल्पिक आरोप विरचित किया ।

9. अब मैं अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्षकथन के समर्थन में दिए गए साक्ष्य का निर्धारण करता हूं ।

10. मो. यूसुफ (अभि. सा. 1), ग्यासुद्दीन (अभि. सा. 6) पीड़िता गृहिणी के भाई और पिता हैं ।

11. मो. यूसुफ (अभि. सा. 1) वास्तव में वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता का अपीलार्थी सं. 1 मो. जमाल के साथ विवाह हुआ था । विवाह के समय पर कई वस्तुएं दी गई थीं । ससुराल में जमाल और अन्य लोगों ने सोने की मांग को लेकर पीड़िता गृहिणी को प्रताड़िता किया था । उसकी बहिन उनके मकान पर आई थी और समझौता करने के पश्चात् वह वैवाहिक गृह पर वापस लौटी थी । उसके ससुराल के सदस्यों ने पुनः दो भरी भार के सोने के आभूषण की मांग करके उसे प्रताड़िता किया था । प्रधान-नसीम हिसाबुद्दीन और कासिमोद्दीन के समक्ष जो जमाल के ग्राम के थे उनके समक्ष सालिश की बैठक रखी गई थी । उस सालिश में जमाल और उसके पिता और भाई भी मौजूद थे और उन्होंने यह जिम्मा लिया था कि वे दहेज के मांग के संबंध में आगे पीड़िता को स्थायी रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे । इसके पश्चात्, पीड़िता अपने वैवाहिक गृह वापस चली गई और वहां 15 दिन रुकी । अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी हत्या करके उसे रस्सी पर लटका दिया । जमाल के कुछ गांववासियों ने 9-9.30 बजे पूर्वाह्न घटना के बारे में उसे बताया था कि उसकी बहिन की फांसी पर लटकने से मृत्यु हो गई थी । वह वहां पहुंचा और उसने देखा गुलबानो पीड़िता लटकी हुई दशा में थी । उसने इस्लामपुर पुलिस थाना में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की और उस पर उसने अपना बाएं अगूंठे का निशान उस पर लगाया । उसने प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से इनकार किया है कि जमाल और उसकी बहिन ने अगले

दिन पानीपत जाने के लिए टिकट खरीदे थे ।

12. ग्यासुद्दीन अभि. सा. 6 पीड़िता का पिता है । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी पुत्री का जमाल के साथ विवाह हुआ था और उससे मूल्यवान आभूषणों की मांग करते हुए उससे प्रताड़ना बरती गई थी । उसके ससुराल के कुटुम्ब के सदस्यों ने उसे प्रताड़ित करके और उस पर हमला किया और उसे वैवाहिक गृह से बाहर निकाल दिया था । उसकी पुत्री गर्भवती थी जब उसे वैवाहिक गृह से बाहर निकाला गया । इसके पश्चात्, सालिश की बैठक रखी गई थी और वे उसे वापस ले गए । नसीम, साफिर और अन्य लोग सालिश के बैठक में मौजूद थे । उसके वैवाहिक गृह में लौटने के 10 दिन पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने उसकी हत्या करके उसे रस्सी से फांसी पर लटका दिया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को अपनी पुत्री पर हमला करते हुए और उसकी हत्या करते हुए तथा इसके पश्चात् रस्सी से उसे फांसी के फंदे पर लटकाते हुए नहीं देखा । उसकी पुत्री की दो संतान थी । पहला बच्चा उसके ससुराल के मकान में हुआ था और दूसरे ने उसके घर में जन्म लिया था । उसने यह स्वीकार किया है कि उसके दामाद का अपने कुटुम्ब के सदस्यों से अलग भोजन कक्ष था और वह पानीपत पर काम करता था ।

13. नसीम (अभि. सा. 9) पीड़िता के पैतृक गांव का पूर्व पंचायत प्रधान था जिसके मकान में सालिश की बैठक रखी गई थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह जमाल और उसकी बीबी गुलबानो को जानता था । मूल्यवान वस्तुओं की मांग के संबंध में उनके मकान में संकट खड़ा रहता था और पक्षकारों के बीच दो भरी भार के सोने की वस्तुओं के बारे में बातचीत हुई थी । गुलबानो के पिता वे वस्तुएं उन्हें नहीं दे सके । मौलवी नौशाद के चबूतरे में सालिश की बैठक रखी गई थी । वह सालिश की बैठक में मौजूद था । जमाल ने यह जिम्मा लिया था कि भविष्य में गुलबानो को प्रताड़ित नहीं करेगा । सालिश के पश्चात् गुलबानो को उसके ससुराल के मकान में ले जाया गया था । इसके एक सप्ताह पश्चात् उसने यह सुना कि गुलबानो की हत्या कर दी गई है और उसे रस्सी से फांसी के फंदे पर लटकाया गया था । वह जमाल के मकान पर गया जहां पुलिस और बीडीओ वहां पर पहुंचे थे । बीडीओ ने उसकी मौजूदगी में सुरथाल रिपोर्ट की और उसने उस पर अपने हस्ताक्षर किए । हस्ताक्षर को प्रदर्श 1/1 से चिह्नित किया गया है ।

14. नौशाद आलम (अभि. सा. 8) मौलवी था, जिसने उन दोनों के विवाह का अनुष्ठान किया था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि विवाह के पश्चात् सोने के दो भरी की मांग के संबंध में पति और पत्नी के बीच संकट खड़ा हुआ था । इस मुद्दे पर उसके चबूतरे में सालिश की बैठक रखी गई थी । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह और उसका भाई नसीम (अभि. सा. 9) एक ही मकान में रहते थे । सालिश के पश्चात् गुलबानो पुनः अपने ससुराल के मकान पर गई । 10 दिन पश्चात् उसने यह समाचार सुना कि गुलबानो की हत्या कर दी गई है ।

15. सफिरुद्दीन (अभि. सा. 7) एक अन्य साक्षी है जो स्थानीय व्यक्ति है और वह सालिश के समय पर मौजूद था । उसने अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 की साक्ष्य की संपुष्टि की है ।

16. मो. जाहिद (अभि. सा. 2) और हसबुद्दीन (अभि. सा. 3) अपीलार्थी जमाल के सह-ग्रामवासी हैं । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि पीड़िता गृहिणी की अपने वैवाहिक गृह में फांसी पर लटक कर अप्राकृतिक मृत्यु हुई है ।

17. मो. समसुलहक (अभि. सा. 4) और सबीर आलम (अभि. सा. 5) को पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

18. अब्दुल राशिद चौधरी (अभि. सा. 11) एक अन्य साक्षी है । उसने अभि. सा. 1 और 6 के साक्ष्य की संपुष्टि की है । उसने पीड़िता के पहने हुए कपड़ों के अभिग्रहण के संबंध में अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए हैं और न्यायालय में उनकी पहचान की है और उसने पूर्वोक्त विवाद के बारे में सालिश की बैठक होने की बात प्रकट की है ।

19. डा. शांतनु दत्ता (अभि. सा. 10) चिकित्सा अधिकारी हैं जिसने पीड़िता के शव का शवपरीक्षण किया । उसने निम्नलिखित क्षतियां पाई :–

20. उसने नायलॉन के रस्सी के तीन बंध गांठें पाई थीं और यह रस्सी गर्दन के चारों तरफ तिरछी पाई गई थी । गांठ का चिह्न गर्दन के दाहिनी ओर पाया गया था । बंद चिह्न के कारण त्वचा विदीर्ण थी और बंद चिह्न के चारों ओर कुछ खरोंचें भी देखी गई थी । उरोस्थि के अंत पर दाहिने तीसरी पसली का अस्थिभंग हुआ था । दाहिने फेफड़े के तीसरे लोबो के स्तर पर रक्तस्राव हुआ था । फेफड़े के पीछे की ओर से रक्तस्राव के कुछ धब्बे देख गए थे । यकृत (विस्तृत) के दाहिने लोबो पर रक्तस्राव

हुआ था । लीवर बेड के नीचे हेमाटोमा । कण्ठिका उपास्थि और टेटुआ का अस्थिभंग हुआ था ।

21. उसकी राय के अनुसार मृत्यु बंध गला घोंटने के कारण श्वासावरोध के कारण हुई थी जो मानव वध प्रकृति की है ।

22. उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि बंध के चिह्न फांसी पर लटक कर आत्महत्या करने या गला घोंटने से प्रकट हो सकते हैं । कण्ठिका उपास्थि और टेटुआ दोनों का अस्थिभंग जो आत्महत्या के कारण और लटकने के कारण आत्मघाती कदम से या मानव वध के कारण घट सकती है । मोदी विधिशास्त्र के अनुसार गला घोंटने के मामले में बंध चिह्न के चारों ओर त्वचा में रक्तस्राव भी हो सकता है । चेहरे और शरीर के अन्य भागों पर खरोंच के चिह्न भी देखे गए । नाक, मुंह और कान से रक्त बह सकता है । द्वितीय और तृतीय पसलियां के लचीलेपन के कारण जिन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता परंतु अन्य पसलियां चोट मारकर तोड़ी जा सकती हैं । उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि पीड़िता ने आत्महत्या की ।

23. साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि दुर्भाग्य से पीड़िता गृहिणी की उसकी माता-पिता के घर (यथामुद्रित वैवाहिक गृह) में मानव वध मृत्यु हुई थी । यह मृत्यु उसके विवाह के तीन वर्ष के भीतर हुई । उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था । वह सोने के दो भरी के मांग के कारण हमेशा प्रताड़ित रही थी और ऐसे प्रताड़ना के कारण वह अपने वैवाहिक गृह से चली गई और अपने माता-पिता के घर में उसने अपनी दूसरी संतान को जन्म दिया था । इसके पश्चात् अभि. सा. 8 के निवास स्थान पर सालिश की बैठक रखी गई थी (जिसने उनका विवाह कराया था) और अभि. सा. 9 (पूर्व प्रधान) के समक्ष जिसके बारे में अपीलार्थी सं. 1 ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा तथा उसे वैवाहिक गृह पर वापस ले जाएगा । अभिलेख पर यह साक्ष्य है कि अपीलार्थी सं. 1 और पीड़िता अलग भोजन कक्ष का इस्तेमाल करते थे और यद्यपि अपीलार्थी सं. 1 उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को पानीपत पर कार्य में था और वह अपनी पत्नी के साथ अपने निवास पर तब मौजूद हुआ जब उसकी मानव वध मृत्यु हो गई । अभि. सा. 10 का साक्ष्य न केवल गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध का चिह्न को ही प्रकट नहीं करता है जो गला घोंटने को उपदर्शित करता है, परंतु यह भी दर्शित है कि पीड़िता की तीसरी पसली का अस्थिभंग हुआ था और उसके फेफड़ों और यकृत के चारों ओर

अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था । पीड़िता के शरीर पर ऐसी गहरी बाहरी और आंतरिक क्षतियां को देखने पर अभि. सा. 10 द्वारा यह राय व्यक्त की गई कि पीड़िता की गला घोंटने के कारण मृत्यु हुई थी जो मानव वध प्रकृति की है । पुरजोर यह भी दलील दी गई कि क्षतियों से मानव वध मृत्यु उपदर्शित नहीं होती है । पसली में क्षति पीड़िता की मृत्यु के पश्चात् उसके शव को हिलाने-डुलाने कारण कारित हो सकती है । ऐसा कोई मामला नहीं है कि पीड़िता के पसलियों पर आंतरिक क्षति या अस्थिभंग शवपरीक्षण करने पर ऐसी क्षतियों पर प्रकट हुई थी । दूसरी ओर, पीड़िता के फेफड़ों और यकृत में अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव पाया गया था और गर्दन के चारों ओर तिरछा बंध चिह्न के साथ उसकी तीसरी पसली का अस्थिभंग हुआ था और वे विदीर्ण और खरोंचें भी प्रकट हुई थी जो स्पष्ट रूप से गला घोंटने के कारण फीसियल मृत्यु को उपदर्शित करता है जो प्रकृति में मानव वध है । शव-परीक्षा सर्जन ने जोरदार रूप से अपनी राय का बचाव किया और प्रतिपरीक्षा के दौरान लटककर आत्महत्या के सुझाव से इनकार किया । इसलिए, मैं इस बारे में प्रतिकूल मत व्यक्त करने का कोई कारण नहीं पाता हूं ।

24. इसलिए, यह स्पष्ट है कि दुर्भाग्यवश घरेलू पत्नी ने जब उसे 10 दिन पहले वैवाहिक गृह में लाया गया था तो उसकी विभत्स मानव वध मृत्यु हुई थी, जब उसे वैवाहिक गृह में वापस लाया गया था तो उसे यह आश्वासन दिया गया था कि अपीलार्थी सं. 1 उसे दहेज की मांग के संबंध में किसी भी भांति प्रताड़ित नहीं करेगा । तथापि, मैं यहां पर यह भी उल्लेख करता हूं कि मृतक के ससुराल में अपीलार्थी सं. 2 और 3 द्वारा प्रताड़ित किए जाने का साक्ष्य मौजूद है, जो प्रकृति में साधारण किस्म का है अभिलेख पर यह भी साक्ष्य प्रकट है कि अपीलार्थी सं. 1 और उसकी पत्नी का अलग भोजन कक्ष था । अभि. सा. 7 और 11 के स्वतंत्र साक्ष्य से यह अभिसाक्ष्य प्रकट होता है कि वह अपीलार्थी सं. 1 है जिसने साजिश की बैठक के दौरान यह आश्वासन दिया था कि वह दहेज मांग के संबंध में अपनी पत्नी के साथ उत्पीड़न का व्यवहार नहीं करेगा । अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सं. 1 ने अपनी पत्नी के साथ उसकी मानव वध मृत्यु से दस दिन पूर्व मूल्यवान वस्तुओं की मांग के संबंध में उसे प्रताड़ित किया । जबकि उसने मृतका के नातेदारों को यह आश्वासन दिया था कि वह भविष्य में मृतक को प्रताड़ित नहीं करेगा । इसके तत्काल पश्चात्, पीड़िता की उसकी वैवाहिक गृह में मानव वध मृत्यु हुई थी ।

अपीलार्थी सं. 1 घटना के समय पर पीड़िता के साथ मौजूद था और उसके मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में वह विफल हुआ था । इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के संघटक, संदेह के परे अपीलार्थी सं. 1 के विरुद्ध सिद्ध हुए हैं । तथापि, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी सं. 2 और 3 अर्थात् पीड़िता के ससुराल के सास-ससुर अलग मेस निवास करते थे । इसलिए, मैं उक्त अपीलार्थियों को संदेह का फायदा देता हूं । उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त करता हूं जबकि अपीलार्थी सं. 1 को दंड संहिता की धारा 498क और 304ख के अधीन दंडनीय अपराधों में दोषसिद्ध करता हूं ।

25. अपीलार्थी सं. 1 पर अधिरोपित दंड पर विचार करते हुए, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि पीड़िता घरेलू पत्नी की अपने विवाह के तीन वर्ष भीतर उसकी मानव वध मृत्यु हुई थी । उसके साथ विभत्स हमले की घटना घटी थी जो उसके शरीर पर महत्वपूर्ण अंगों के चारों ओर आंतरिक रक्तस्राव से सुस्पष्ट है अर्थात् जिसमें फेफड़े और यकृत सहित तीसरी पसली का अस्थिभंग हुआ था । **राजेश भटनागर** बनाम **उत्तराखण्ड राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि घरेलू पत्नी को टेलीविजन कूलर आदि चीजों के मांग के संबंध में प्रताड़ित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मानव वध मृत्यु हो जाए तो ऐसे अपराध के लिए अधिकतम दंड आजीवन कारावास का दिया जाना न्याय संगत है । दूसरी ओर **सुनील दत्त शर्मा** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)**[2] वाले ममाले में उच्चतम न्यायालय ने दहेज मृत्यु के संबंध में आनुपातिक दंड की परिधि को अभिकथित किया है और यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "………दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन किसी अपराध के लिए उसकी आपराधिक कसौटी से समाधान करने हेतु कुछ सिद्धांतों कि खोज की गई है अतः जिसमें किसी महिला की विवाह और मृत्यु के बीच बिताया गया समय; अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी के मृत्यु से पूर्व उसके प्रति अपनाया गया आचरण; दहेज की मांग पर

---

[1] (2012) 7 एस. सी. सी. 91 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 2866.

[2] (2014) 4 एस. सी. सी. 375 = 2013 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5889.

डटे रहने की सीमा और क्रूरता बरते जाने की रीति और परिस्थितियां अपराध की कसौटी का निर्धारण करने का निश्चयी आधार होगा कि क्या उपरोक्त पति, पत्नी के बारे में यह तथ्य कि क्या अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अपराध से भी आरोपित किया गया था और उक्त आरोप से उसकी दोषमुक्ति का आधार एक अन्य अति सुसंगत परिस्थिति होगी । इसके विरुद्ध कम करने वाली परिस्थितियां जिससे आपराधिक कसौटी का अवधारण किया जाएगा, उस पर पूरी भूमि का अवलोकन किया जाएगा । पूर्वोक्त दो परिस्थितियां जो परस्पर विरोधी हैं, उन्हें संतुलन के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता जैसा कि **संगीता** (उपरोक्त) वाले मामले में मत व्यक्त किया गया है परंतु भिन्न-भिन्न परिस्थितियां के दो समूहों का संचयी प्रभावी है कि इस बात को विवेक में रखा जाना चाहिए जब दंडादेश का विनिश्चय किया जाता है । हमारे अनुसार दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए दंड के प्रश्न पर विचार करते हुए यह सही दृष्टिकोण से संबंधित है ।"

26. उक्त रिपोर्ट में न्यायालय ने इस आधार पर दस वर्ष का कठोर कारावास से दोषसिद्ध पति को दंडादिष्ट किया है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विफल हैं क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने अपने पत्नी का गला घोंटा था ।

27. वर्तमान मामले में अपराध से संबंधित समवेत परिस्थितियों से यह दर्शित होता है पीड़िता को सोने के आभूषणों के मांग के संबंध में निरंतर प्रताड़ित किया गया था और उसे ऐसी मांग के संबंध में वैवाहिक गृह से बाहर किया गया था जबकि वह गर्भवती थी । घटना के दस दिन पूर्व अपीलार्थी सं. 1 ने सालिश की बैठक में यह आश्वासन दिया था कि वह दहेज की मांग के संबंध में अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करेगा और इस आश्वासन पर पीड़िता की मानव वध मृत्यु हुई तो वह अपने पति के साथ अलग मैस में निवास कर रही थी । पसली का अस्थिभंग सहित अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव के घाव को पीड़िता के शरीर पर पाया गया था । गर्दन के चारों ओर बंध के चिह्न से यह दर्शित होता है कि गला घोंटने से मानव वध प्रकट हुआ है । इन परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हुआ है कि अपीलार्थी सं. 1 ने पीड़िता पर विभत्स हमला किया था और इसके पश्चात् उसकी मृत्यु गला घोंट कर की गई थी । अपीलार्थी सं. 1 के लिए दंड को न्यायसंगत रूप देने के लिए संभवतः मामले में दंड को कम करने

वाली परिस्थितियां प्रकट नहीं होती हैं । शव-परीक्षा सर्जन द्वारा आत्महत्या का मिथ्या अभिवाक् को साबित नहीं किया गया है । अपीलार्थी सं. 1 अपनी पत्नी के शरीर पर पहुंची क्षतियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया । **सुनील दत्त** (उपरोक्त) वाले मामले की भांति जहां पति हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया गया । क्योंकि मामले में कोई ऐसा साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु होने तक गला घोंटा था, मेरे विवेक में इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था बल्कि अपीलार्थी सं. 1 वह व्यक्ति का जिसने अपनी पत्नी की मृत्यु होने तक गला घोंटा था, इसलिए 'अपराध की कसौटी' जिसका अपीलार्थी के विरुद्ध विनिश्चय किया जाता है और दंड की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाता है, तथापि, 'अपराध की कसौटी' का आपराधिक परख के साथ संतुलन किया जाना अपेक्षित है जिससे कि उचित दंडादेश के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके । 'अपराध की कसौटी' दोषसिद्ध अभियुक्त के विशेष परिस्थितियों से संबंध रखती है जिसके लिए दंड के प्रभाव पर सुधारक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है । इस बारे में मैं यह उल्लेख करता हूं कि अपीलार्थी की समाज में मजबूत पकड़ है और वह दो बच्चों का पिता है । पूर्वोक्त कारकों को समवेत और कम करने के संतुलन को देखते हुए मेरी यह राय है कि न्याय के हित में दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी के दंड को विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित 10 वर्ष के कठोर कारावास से 14 वर्ष के कठोर कारावास तक बढ़ाया जा सकता है ।

28. इन परिस्थितियों के अधीन मैंने अपीलार्थी सं. 1 पर अधिरोपित दंड को बढ़ाया है और यह निदेश दिया है कि वह दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए वह 14 वर्ष के कठोर कारावास को भोगेगा तथा 1,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करेगा और जुर्माने का संदाय का व्यतिक्रम करने पर 6 मास का और अतिरिक्त कारावास भोगेगा । दंड सहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश में बदलाव नहीं किया जाएगा । दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

29. अपीलार्थी सं. 2 और 3 की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

30. तद्नुसार, अपील का निपटारा किया जाता है । दंड को बढ़ाने के

नियम को पूर्वोक्त सीमा तक मंजूर किया जाता है । अपीलार्थी सं. 2 और 3 को विचारण न्यायालय के समाधान पर निष्पादित जमानत बंधपत्र के आधार पर अभिरक्षा से तत्काल निर्मुक्त किया जाता है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के निबंधनों में छह मास के लिए निरंतर रहेंगे यदि उन्हें किसी अन्य मामले में वांछित या निरुद्ध नहीं किया गया है ।

31. अपीलार्थी सं. 1 द्वारा अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के निबंधनों में उस पर अधिरोपित मूल दंड से मुजरा किया जाता है ।

32. इस निर्णय की प्रति के साथ निचले न्यायालय के अभिलेख आवश्यक अनुपालन के लिए शीघ्र विचारण न्यायालाय को वापस भेजे जाते हैं ।

33. इस निर्णय की अभिप्रमाणित फोटो स्टेट प्रति यदि उसके लिए आवेदन किया गया है, तो अध्यपेक्षा की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी ।

34. मैं न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज से सहमत हूं ।

तद्‌नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

सनी राय

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 9 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154] – हत्या – आहत साक्षी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का न लिखा जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का उद्देश्य – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दांडिक विधि को इस प्रकार कार्यान्वित करना है कि इत्तिला देने वाले का कार्य पूर्ण हो जाए और अपराध की सूचना पुलिस को प्राप्त हो जाए और यह रिपोर्ट स्वयं में सारभूत साक्ष्य नहीं है जिसका प्रयोग संपुष्टि या विरोधाभास के लिए ही किया जाता है किन्तु यदि इत्तिलाकर्ता का यह कथन है कि उसने शिकायत स्वयं नहीं लिखी थी और वह लिखने वाले का नाम भी नहीं बता सकता तब ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्षकथन प्रभावित नहीं होगा ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा आहत और उसके पति पर हमला किया जाना – क्षतियों के कारण पति की मृत्यु होना – आहत साक्षी के साक्ष्य की पड़ोसियों के साक्ष्य से संपुष्टि – अभियुक्त द्वारा धमकी दिए जाने का साक्ष्य – चिकित्सीय साक्ष्य से मानव वध किए जाने की संपुष्टि – अभियुक्त खुकुरी लेकर मृतक के घर आया और धमकी देते हुए आवाज लगाई, आहत डरकर पड़ोसी को बुलाने चली गई, लौटकर आने पर आहत और पड़ोसी ने मृतक को क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया और मृतक को यह कहते हुए सुना कि अपीलार्थी ने उसे क्षति कारित की है जिसकी संपुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है, ऐसी स्थिति में हत्या के अपराध के लिए की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 7 बजे अपराह्न में वास्तविक शिकायतकर्ता श्रीमती बालिका राय अपने पति श्यामलाल राय के साथ भूतल पर बने

अपने घर में बैठी हुई थी, उसी मोहल्ले का निवासी अभियुक्त सनी राय खुकुरी से लैस होकर श्यामलाल राय के मकान के सामने उसकी हत्या करने के लिए आया और इसके पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता अर्थात बालिका राय अपने पति को वहां छोड़कर अपने पड़ोसी के घर की ओर सहायता के लिए दौड़ी और इसी दौरान अभियुक्त सनी राय श्यामलाल राय के मकान में घुस गया और उसने खुकुरी से श्यामलाल राय को गंभीर क्षति कारित की । खुकुरी द्वारा किए गए इस हमले के परिणामस्वरूप, श्यामलाल राय का कलाई से ऊपर बायां हाथ और दाहिने हाथ की छोटी अंगुलि (कनिष्का) कट गई किन्तु श्यामलाल राय वहां से भागने में सफल हो गया और उसने अपने बड़े भाई के मकान में जाकर शरण ली जहां से उसे सबसे पहले बी. पी. एच. सी., मिरीक ले जाया गया और इस अस्पताल से उसे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कालेज और अस्पताल (जिसे संक्षेप में 'बंगाल मेडिकल' कहा गया है) ले जाया गया जहां पर तारीख 31 जुलाई, 2007 को सायंकाल उसकी मृत्यु हो गई । घटना से संबंधित इन तथ्यों का अभिकथन करते हुए मिरीक पुलिस थाने में तारीख 30 जुलाई, 2007 को दंड संहिता की धारा 448, 326 और 307 के अधीन लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 14/2007 रजिस्ट्रीकृत की गई और बंगाल मेडिकल में तारीख 31 जुलाई, 2007 को श्यामलाल राय की मृत्यु हो जाने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में धारा 302 बढ़ाई गई । इस मामले में तत्काल ही पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् मिरीक पुलिस थाने के अधिकारियों ने अभियुक्त सनी राय जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया था, के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 और 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । चूंकि अपराध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कारित किया गया था, इसलिए यह मामला निपटारे के लिए सेशन न्यायाधीश, दार्जिलिंग को सुपुर्द कर दिया गया और इसके पश्चात् यह मामला विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), कुर्सियोंग को विचारण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया जहां अभियुक्त सनी राय के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 और 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण कराए जाने की मांग की । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि

शिकायत अभि. सा. 1 द्वारा नहीं लिखी गई थी । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि दर्ज कराई गई शिकायत उसने नहीं लिखी थी और यह साक्षी उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकी जिसने इस शिकायत को लिखा था । न्यायालय की राय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दांडिक विधि का इस प्रकार प्रयोग करना था कि इत्तिलाकर्ता द्वारा सूचना देने का कार्य पूर्ण हो जाए और अभिकथित अपराध की सूचना पुलिस को प्राप्त हो जाए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं में कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है और इसका प्रयोग केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 के अधीन संपुष्टि या इस अधिनियम की धारा 145 के अधीन विरोधाभास प्रकट करने के लिए किया जाता है । अतः, ऐसी असामान्यता से अभियोजन पक्षकथन प्रभावित नहीं होगा यदि अभि. सा. 1 सहित अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से अन्यथा सिद्ध होता है । (पैरा 41)

अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब अभि. सा. 1 और उसका पति अपने घर में थे, तब सनी राय खुकुरी लेकर उनके घर के बाहर आया और श्यामलाल राय को आवाज लगाई, इस पर अभि. सा. 1 घर से बाहर आई और सनी राय से वहां से चले जाने को कहा और उसने बीना राय (अभि. सा. 2) को बुलाया ताकि वह सनी राय को समझाए । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 अपनी सहायता के लिए खड़का दाजू को बुलाने गई और जब वह वापस आई तब उसने देखा कि उसका पति श्यामलाल राय पुष्पालाल राय के मकान में मौजूद है जिसके वक्ष के बाईं ओर क्षति कारित हुई है और उसका बायां हाथ भी कटा हुआ है । बीना राय (अभि. सा. 2) आहत श्यामलाल राय पर हमला किए जाने की घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । किन्तु उसने अभियुक्त सनी राय को देखा था और यह चिल्लाते हुए सुना था कि सनी राय श्यामलाल राय की हत्या कर देगा और वह विवेक राय के साथ अभि. सा. 1 के घर के आंगन तक सनी राय को समझाने के लिए गई । सनी राय ने उस पर भी हमला करने की धमकी दी और बीना राय डरकर वहां से चली गई और इसके पश्चात् उसने अभि. सा. 1 के मकान के अंदर से लड़ाई-झगड़े की आवाजें सुनी और श्यामलाल राय जोर-जोर से चिल्लाते हुए सुना कि सनी राय ने उसका हाथ काट दिया है और उसने श्यामलाल राय को पुष्पालाल राय के घर की ओर जाते हुए देखा । अभि. सा. 2 अभियुक्त सनी राय की चाची है और उसने अभियुक्त के विरुद्ध इस मामले में अभिसाक्ष्य दिया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने इस साक्षी को यह सुझाव दिया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध पारिवारिक

शत्रुता के कारण मिथ्या साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 2 ने इस बात से इनकार किया है । इस साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के संबंध में दृढ़तापूर्वक यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि दोनों पक्षों के बीच शत्रुता थी । इस साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि न केवल अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से होती है अपितु यह साक्ष्य स्पष्ट और तर्कसम्मत है और इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अविचलित साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि हमले की घटना के पश्चात् श्यामलाल राय उसके (अभि. सा. 3) के घर आया और उसने श्यामलाल राय के शरीर पर क्षतियां देखीं और श्यामलाल राय ने उसे हमला करने वाले का नाम सनी राय बताया । इसके पश्चात् घटना के अगले दिन बंगाल मेडिकल में श्यामलाल राय की मृत्यु हो गई और इस प्रकार इस साक्षी के समक्ष दिया गया श्यामलाल राय का कथन मृत्युकालिक कथन है । अभि. सा. 3 के साक्ष्य से इस बात की संपुष्टि होती है कि अभियुक्त सनी राय ने श्यामलाल राय का हाथ काट दिया था और यह कि श्यामलाल राय उसके घर आया था । सुजान राय (अभि. सा. 5) अभि. सा. 3 की पुत्री है । यह साक्षी एक बाल साक्षी है जिसकी आयु 12 वर्ष है और यह कक्षा VI की छात्रा है । इस साक्षी का कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व विचारण न्यायाधीश द्वारा कुछ बौद्धिक प्रश्न पूछे गए और जब उसने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तब उसे इस मामले में साक्ष्य देने के लिए सक्षम पाया गया । अभि. सा. 5 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब वह पढ़ाई कर रही थी, अभियुक्त श्यामलाल राय क्षतिग्रस्त अवस्था में उसके कमरे में आया और श्यामलाल राय ने उससे यह कहा कि सनी राय ने उस पर हमला किया है और उसका हाथ काट दिया है । आहत श्यामलाल राय द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन के संबंध में, अभि. सा. 5 ने अभि. सा. 3 के साक्ष्य की पूर्ण रूप से संपुष्टि की है । डा. महानन्दा सरकार (अभि. सा. 17) बी. पी. एस. सी., मिरीक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं । तारीख 30 जुलाई, 2007 को 8.30 बजे अपराह्न में श्यामलाल राय नाम के एक व्यक्ति को उसके परिवार वालों द्वारा अस्पताल में लाया गया जिसके शरीर पर तेज धार वाले आयुध (खुकुरी) से गंभीर क्षति कारित की हुई थी । चिकित्सा परीक्षा किए जाने पर चिकित्सक ने यह पाया कि (1) बायां हाथ कलाई से कटा हुआ है (2) दाएं हाथ की छोटी अंगुलि कटी हुई है । (3) वक्ष के बाईं ओर अग्रभाग में 10 इंच × 3

इंच माप की क्षति कारित हुई है जो ई वक्षीय गुहा तक गहरी है (4) दाईं ओर बाईं भुजा (बाहु) में कटाव है जो अस्थि तक गहरा है (5) बाईं भुजा के अग्र भाग में खरोंच और अनामिका में कटाव है । अभि. सा. 17 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात की पुष्टि की है कि रोगी और रोगी के नातेदारों ने इस चिकित्सक को घटना के घटित होने के संबंध में बताया । अभि. सा. 17 ने अपने साक्ष्य में इस बात की पुष्टि की है कि उसे हमला करने वाले व्यक्ति का नाम बताया गया था । रोगी द्वारा चिकित्सक को कथन दिया गया था और इस घटना के संबंध में सर्वप्रथम रोगी के परिवार वालों ने जानकारी दी थी (यहां तक कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पूर्व) और मेरा यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 17 के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई आधार नहीं है क्योंकि एक स्वतंत्र साक्षी है । डा. दिब्याकर चेत्री (अभि. सा. 25) ने श्यामलाल राय के शव का शवपरीक्षण किया था और उसके शव की शनाख्त कांस्टेबल तपन कुमार दास द्वारा की गई थी और शवपरीक्षण के दौरान चिकित्सक ने श्यामलाल राय के शव पर अनेक क्षतियां पाईं और इस साक्षी की राय के अनुसार मृत्यु का कारण शवपरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित क्षतियां हैं । उसी दिन डा. दिब्याकर चेत्री ने मृतक के बाएं हाथ और दाएं हाथ की कटी हुई अंगुलि का भी परीक्षण किया था । (पैरा 42, 43, 44, 45, 46 और 47)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 का दांडिक अपील सं. 482.

2008 के सेशन विचारण मामला सं. 3 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), कुर्सियोंग द्वारा तारीख 19 अप्रैल, 2010 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री सुबीर गांगुली और सुमन्ता गांगुली
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री सुदीप घोष और बितासोक बनर्जी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने दिया ।

न्या. भारद्वाज – यह अपील 2008 के सेशन विचारण मामला सं. 3 2007 का जी. आर. मामला सं. 64 (1) में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), कुर्सियोंग द्वारा तारीख 19 अप्रैल, 2010 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा

अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 448 और 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया था और आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया था ।

2. जैसा कि अभिकथन किया गया है, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 7 बजे अपराह्न में वास्तविक शिकायतकर्ता श्रीमती बालिका राय अपने पति श्यामलाल राय के साथ भूतल पर बने अपने घर में बैठी हुई थी, उसी मोहल्ले का निवासी अभियुक्त सनी राय खुकुरी से लैस होकर श्यामलाल राय के मकान के सामने उसकी हत्या करने के लिए आया और इसके पश्चात् वास्तविक शिकायतकर्ता अर्थात बालिका राय अपने पति को वहां छोड़कर अपने पड़ोसी के घर की ओर सहायता के लिए दौड़ी और इसी दौरान अभियुक्त सनी राय श्यामलाल राय के मकान में घुस गया और उसने खुकुरी से श्यामलाल राय को गंभीर क्षति कारित की । खुकुरी द्वारा किए गए इस हमले के परिणामस्वरूप, श्यामलाल राय का कलाई से ऊपर बायां हाथ और दाहिने हाथ की छोटी अंगुलि (कनिष्का) कट गई किन्तु श्यामलाल राय वहां से भागने में सफल हो गया और उसने अपने बड़े भाई के मकान में जाकर शरण ली जहां से उसे सबसे पहले बी. पी. एच. सी., मिरीक ले जाया गया और इस अस्पताल से उसे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कालेज और अस्पताल (जिसे संक्षेप में 'बंगाल मेडिकल' कहा गया है) ले जाया गया जहां पर तारीख 31 जुलाई, 2007 को सायंकाल उसकी मृत्यु हो गई । घटना से संबंधित इन तथ्यों का अभिकथन करते हुए मिरीक पुलिस थाने में तारीख 30 जुलाई, 2007 को दंड संहिता की धारा 448, 326 और 307 के अधीन लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी और उसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 14/2007 रजिस्ट्रीकृत की गई और बंगाल मेडिकल में तारीख 31 जुलाई, 2007 को श्यामलाल राय की मृत्यु हो जाने के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में धारा 302 बढ़ाई गई ।

3. इस मामले में तत्काल ही पुलिस द्वारा अन्वेषण किया गया और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् मिरीक पुलिस थाने के अधिकारियों ने अभियुक्त सनी राय जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया था, के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 और 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. चूंकि अपराध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन कारित किया गया था, इसलिए यह मामला निपटारे के लिए सेशन न्यायाधीश, दार्जिलिंग

को सुपुर्द कर दिया गया और इसके पश्चात् यह मामला विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), कुर्सियोंग को विचारण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया जहां अभियुक्त सनी राय के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448 और 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण कराए जाने की मांग की ।

5. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने वास्तविक शिकायतकर्ता, बंगाल मेडिकल के चिकित्सक, मरणोत्तर परीक्षा करने वाले शल्य चिकित्सक तथा इस मामले के अन्वेषण अधिकारी सहित कुल मिलाकर 26 साक्षियों की परीक्षा कराई ।

6. साक्षियों की परीक्षा कराने के पश्चात्, अभियुक्त की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसमें अभियुक्त ने श्यामलाल राय की हत्या का अपराध कारित करने से इनकार किया ।

7. प्रतिरक्षा पक्षकथन, जैसा कि अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के ढंग से प्रतीत होता है, अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए अभिकथन से पूरी तरह इनकार करना है । तद्नुसार, अभियुक्त सनी राय ने वर्तमान मामले से दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की है ।

8. विचारण के पूर्ण होने पर, विचारण न्यायाधीश ने अपने तारीख 19 जुलाई, 2007 के निर्णय और आदेश से अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और दंड संहिता की धारा 448 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास से और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास से और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया । दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का भी आदेश किया ।

9. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री सुबीर गांगुली ने यह दलील दी है कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त सनी राय को आहत पर घातक हमला करते हुए नहीं देखा है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से भी अपीलार्थी के विरुद्ध हत्या का मामला सिद्ध नहीं होता है । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी उस समय घटनास्थल पर मौजूद था जब घटना घटित हुई थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने

भी अपीलार्थी को घटनास्थल पर नहीं देखा था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि लिखित शिकायत अभि. सा. 1 द्वारा तैयार नहीं की गई थी न ही उसे यह याद है कि इस शिकायत को किसने लिखा था । तद्नुसार, विद्वान् काउंसेल ने अपीलार्थी की दोषमुक्ति की प्रार्थना की है ।

10. इसके प्रतिकूल, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री बितासोक बनर्जी के साथ श्री सुदीप घोष ने यह दलील दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य विशेषकर अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 जो कि अत्यंत नैसर्गिक साक्षी हैं, से अभियोजन पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है । यह भी दलील दी गई है कि अभि. सा. 17 और अभि. सा. 25 अर्थात् चिकित्सा विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि आहत को धारदार आयुध से क्षतियां पहुंची हैं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है । वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है । तद्नुसार, अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

11. अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार करूंगा ।

12. आहत श्यामलाल राय की पत्नी बालिका राय (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को सात बजे अपराह्न में अभियुक्त सनी राय खुकुरी से लैस होकर उनके घर के बाहर आया और उसने बाहर से श्यामलाल को पुकारा और उसकी आवाज सुनकर वह बाहर गई और उसने सनी राय से वहां से चले जाने के लिए कहा और अपनी पड़ोसी बीना राय, जिसका मकान निकट ही था, को आवाज लगाते हुए सहायता के लिए खड़का दाजु के पास गई । वापस आने पर बालिका राय ने श्यामलाल राय को पुष्पालाल राय के मकान में क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया और श्यामलाल का बायां हाथ कटा हुआ था और उसके वक्ष की बाईं ओर क्षति पहुंची हुई थी । बालिका राय को बताया गया कि अभियुक्त सनी राय ने उसके पति पर हमला किया है जिससे उसके शरीर से बुरी तरह रक्त बह रहा है और बालिका राय, अनिता राय, वर्षा राय और रूबिन राय की सहायता से श्यामलाल राय को बी. पी. एच. सी., मिरीक उपचार के लिए लेकर गई जहां से उसे बेहतर उपचार के लिए बंगाल मेडिकल ले जाया गया किन्तु अगले दिन तारीख 31 जुलाई, 2007 को इसी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को 10 बजे अपराह्न में

उसने मिरीक पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई । अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभि. सा. 1 इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

13. बीना राय (अभि. सा. 2) अभियुक्त सनी राय की चाची है । इस साक्षी ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 6 बजे अपराह्न में सनी राय श्यामलाल राय को अपने घर से बाहर आने के लिए चीख कर आवाज लगा रहा था और सनी राय के हाथ में खुकुरी थी । बालिका राय (अभि. सा. 1) ने बीना राय और अन्य पड़ोसियों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और इस प्रकार बीना राय बाहर निकलकर बालिका राय के घर की ओर गई । उसने यह साक्ष्य दिया है कि सनी राय अपने अहाते में खड़े होकर चिल्ला रहा था कि वह श्यामलाल की हत्या कर देगा । वह विवेक नाम के व्यक्ति के साथ श्यामलाल के घर गई और उसने सनी राय को शांत करने का प्रयास किया और उसे वहां से चले जाने के लिए कहा और उस समय सनी राय ने उसे भी धमकी दी और बीना राय डरकर वहां से चली गई । अभि. सा. 2 ने यह भी कथन किया है कि उसने यह सुना था कि सनी राय श्यामलाल राय का दरवाजा खटखटा रहा था और उसने श्यामलाल राय के घर के अन्दर अफरा-तफरी का वातावरण देखा । इसके पश्चात् उसने यह सुना कि श्यामलाल उससे यह कह रहा था कि अभियुक्त ने उसका हाथ काट दिया है और श्यामलाल राय पुष्पालाल राय के घर चला गया । इसके पश्चात् श्यामलाल राय को बी. पी. एच. सी., मिरीक ले जाया गया जहां से उसे सिलीगुड़ी ले जाया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई ।

14. अभि. सा. 2 की प्रतिपरीक्षा से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त सनी राय उसका भतीजा है अर्थात् उसके बड़े भाई का पुत्र है । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने श्यामलाल के मुंह से यह सुना था कि अभियुक्त सनी राय ने उसका हाथ काट दिया है और उसने श्यामलाल राय को पुष्पालाल राय के घर की ओर भागते हुए देखा था ।

15. अनिता राय (अभि. सा. 3) पुष्पालाल राय की पत्नी है और आहत श्यामलाल राय की भाभी है । इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 7/8 बजे अपराह्न में उसकी पुत्री सुजान राय ने उसे यह बताया कि श्यामलाल उनके घर में आया था जिसके हाथ से रक्त बह रहा था और वह उसकी ओर दौड़ी थी और उसने

देखा कि श्यामलाल राय के शरीर से क्षति के कारण रक्त बह रहा है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि इसके पश्चात् वह और उसकी पुत्री सुजान राय ने श्यामलाल राय को बिस्तर पर लिटा दिया और घाव पर पट्टी बांधी और श्यामलाल राय से मालूम किया कि उस पर तेज धार वाले आयुध से किसने हमला किया है जिस पर श्यामलाल ने सनी राय का नाम बताया और श्यामलाल राय के शरीर का मुआयना करने पर इस साक्षी ने देखा कि श्यामलाल के हाथ और वक्ष से भी रक्त निकल रहा था । इस साक्षी के साक्ष्य में अभिलेख पर यह उपलब्ध है कि श्यामलाल राय को बी. पी. एच. सी., मिरीक ले जाया गया था और फिर वहां से उसे बंगाल मेडिकल ले जाया गया था जहां पर उसकी मृत्यु हो गई ।

16. बिबेक राय (अभि. सा. 4) मृतक श्यामलाल राय का पुत्र है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 7/7.30 बजे अपराह्न में अभियुक्त सनी राय अपने दोनों हाथों में खुकुरी से लैस होकर उनके घर आया था और चीखकर बोल रहा था कि वह उसके पिता अर्थात् श्यामलाल राय की हत्या कर देगा । उसके साक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि बीना राय (अभि. सा. 2) जो कि उनके पड़ोस में रहती है, घर से बाहर आई और उसने मालूम किया कि वह इस प्रकार क्यों चीख रहा है, तब इस पर सनी राय उनके घर में घुस आया और बीना राय (अभि. सा. 2) सनी राय के पीछे-पीछे चली आई किन्तु सनी राय ने बीना राय को पीछे को धकेल दिया । उसके साक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि इसके पश्चात् उसका पिता बाहर आया और सनी राय ने उस पर हमला कर दिया और उसके पिता का उक्त घटना में एक हाथ कट गया ।

17. अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि बीना राय घर से बाहर आई थी और उसने सनी राय को ऐसा करने से मना किया था और बीना राय अपने घर वापस चली गई और उसका पिता क्षतिग्रस्त अवस्था में दौड़ता हुआ आया और उस समय वह सड़क पर खड़ा हुआ था ।

18. सुजान राय (अभि. सा. 5) पुष्पालाल राय की पुत्री है जिसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 7/8 बजे अपराह्न में, श्यामलाल उनके घर में आया जिसके हाथ और वक्ष से रक्त बह रहा था और उनके बिस्तर पर लेट गया । इस साक्षी ने यह भी साक्ष्य दिया है कि श्यामलाल राय ने उससे यह कहा था कि

अभियुक्त सनी राय ने उसका हाथ काटा है और श्यामलाल ने इस साक्षी से पट्टी बांधने को कहा । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अन्वेषण अधिकारी ने उससे पूछताछ नहीं की थी ।

19. हरी राय (अभि. सा. 6) मारुति वैन सं. डब्ल्यू बी 77 3902 का चालक है । इस साक्षी ने इस न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 7 बजे अपराह्न में अनिता राय ने उसे फोन पर निवेदन किया कि वह अपना वाहन लेकर उसके घर आ जाए ताकि रोगी को अस्पताल ले जाया जा सके और वे श्यामलाल राय को इसी वाहन से अस्पताल ले गए और हरी राय ने देखा कि श्यामलाल के वक्ष पर क्षति कारित हुई है और उसका हाथ भी कटा हुआ है ।

20. बिनोद राय (अभि. सा. 7) अभियुक्त सनी राय का पिता है । इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और इस प्रकार उसे अभियोजन पक्ष की ओर से निवेदन किए जाने पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

21. बिधन राय (अभि. सा. 8) है । इस साक्षी ने अभिकथित अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और अभियोजन पक्ष के निवेदनानुसार इसे पक्षद्रोही घोषित किया गया है ।

22. बिकास तमंग (अभि. सा. 9), अभिग्रहण का साक्षी है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मिरीक पुलिस थाना के थाना प्रभारी ने अभियुक्त सनी राय की मौजूदगी में जंगल से खुकुरी बरामद करके अभिग्रहण सूची तैयार की थी जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे । अभिग्रहण सूची पर इस साक्षी के हस्ताक्षरों को प्रदर्श 3 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त सनी राय ने जंगल में जाकर खुकुरी दिखाई थी और बड़े बाबू ने अभिग्रहण सूची तैयार करके इस खुकुरी को अभिगृहीत किया और उसी समय वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था । विचारण के दौरान अभिगृहीत की गई वस्तु अर्थात् खुकुरी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई और अभि. सा. 9 ने इसे पहचानकर बताया कि यह जंगल से बरामद की गई थी । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि वह खुकुरी बरामद किए जाने की तारीख नहीं बता सकता और जब उसने कागज पर हस्ताक्षर किए थे तब वह कोरा था ।

23. कमल दीवान (अभि. सा. 10) अभिग्रहण ज्ञापन का एक अन्य

साक्षी है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि मिरीक पुलिस थाने के बड़े बाबू उसे उस स्थान पर ले गए जहां सनी राय झाड़ी में से खुकुरी निकालकर लाया और बड़े बाबू ने उसे अभिग्रहण सूची तैयार करके अभिगृहीत किया और बड़े बाबू ने कमल दीवान को वह खुकुरी अभिगृहीत करने के पूर्व दिखाई । अभि. सा. 10 ने अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए जिसे प्रदर्श 3/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । विचारण के दौरान शनाख्त के लिए खुकुरी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और अभि. सा. 10 ने पहचानकर बताया कि यह वही खुकुरी है क्योंकि उसका हत्था टूटा हुआ था । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसने सड़क पर ही अभिग्रहण सूची पर हस्ताक्षर किए थे ।

24. अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 ने यह कथन किया है कि अभियुक्त सनी राय झाड़ी से खुकुरी निकालकर लाया था और इसके बरामद किए जाने में कोई भी असामान्य बात नहीं है ।

25. बिनीता चेत्री (अभि. सा. 11) बी. पी. एच. सी., मिरीक में समूह घ के स्टाफ के रूप में कार्यरत है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य मे यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 8 बजे अपराह्न में श्यामलाल राय नाम का एक व्यक्ति गंभीर रूप से रक्त बहने की अवस्था में बी. पी. एच. सी., मिरीक लाया गया जिसके हाथ, जंघा और वक्ष में क्षति पहुंची हुई थी और उसे बंगाल मेडिकल भेज दिया गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में किसी भी बात से इनकार नहीं किया है । अतः, साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि श्यामलाल राय को गंभीर क्षतियां पहुंची थीं जिनसे रक्त बह रहा था ।

26. राजू राउत (अभि. सा. 12) बी. पी. एच. सी., मिरीक का कर्मचारी है जिसके साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 11 के साक्ष्य से होती है ।

27. अमर बहादुर राय (अभि. सा. 13) है । इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने आहत श्यामलाल राय को बी. पी. एच. सी., मिरीक में देखा था और उस समय उसके शरीर से रक्त बह रहा था तथा उसका एक हाथ कटा हुआ था । अभि. सा. 13 के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के साक्ष्य से भी होती है ।

28. सहायक उप निरीक्षक निर्मल दास (अभि. सा. 14) ने मृतक के शव की मृत्युसमीक्षा उसके परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में की थी और सम्यक् रूप से शव की शनाख्त जनकलाल राय, बीरेन राय और बाल

बहादुर राय द्वारा की गई थी ।

29. श्री निलंजन डे (अभि. सा. 15) कुर्सियोंग न्यायालय के विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट है और सुसंगत समय पर इस साक्षी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे । इस साक्षी ने न्यायालय में अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 6 अगस्त, 2007 को उसने बीना राय और विवेक का कथन अभिलिखित किया था और अभि. सा. 5 की प्रतिपरीक्षा में कोई भी ऐसी असंगतता नहीं पाई गई है जिससे उसे संदिग्ध कहा जा सके ।

30. अजॉय राय (अभि. सा. 16) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को वह मृतक की पत्नी के निवेदन पर मृतक के घर गया था और वहां पहुंचकर उसे कोई नहीं मिला किन्तु उसने वहां पर कलाई से कटा हुआ बायां हांथ और छोटी अंगुलि (कनिष्का) देखी और पुलिस ने उक्त कटे हुए हाथ और अंगुलि को अभिग्रहण सूची तैयार करके अभिगृहीत किया और इस साक्षी ने उस सूची पर हस्ताक्षर किए । अभि. सा. 16 के हस्ताक्षरों को प्रदर्श 7 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि उसी दिन पुलिस अधिकारी ने कुछ मिट्टी, तकिए का गिलाफ और बिस्तर की चादर अभिगृहीत की और इस संबंध में अभिग्रहण सूची तैयार की जिस पर उसके हस्ताक्षर लिए गए । विचारण के दौरान, अभिगृहीत की गई इन वस्तुओं को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अभि. सा. 16 ने उनकी शनाख्त की ।

31. डा. महानन्दा सरकार (अभि. सा. 17) बी. पी. एच. सी., मिरीक में कार्यरत एक चिकित्सक है जिसने यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को वह चिकित्सा अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी पर मौजूद था । इस साक्षी के अनुसार तारीख 30 जुलाई, 2007 को जब वह इस अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात था तब 8.30 बजे अपराह्न में श्यामलाल राय नाम का एक व्यक्ति स्वास्थ केन्द्र पर आया और उसकी चिकित्सा परीक्षा करने पर उसने यह देखा कि (1) उसका बायां हाथ कलाई से कटा हुआ है, (2) दाएं हाथ की कनिष्का भी कटी हुई है, (3) वक्ष के बाईं ओर अग्र भाग में एक गहरा कटाव है जिसकी माप 10 इंच x 3 इंच है जिसमें गुहा बनी हुई है (4) दाएं और बाएं हाथ में अस्थि-गहरा कटाव है (5) अनामिका में अस्थि-गहरा कटाव है और बाएं प्रबाहु में खरोंच है । इस चिकित्सक द्वारा तैयार की गई क्षति-रिपोर्ट प्रदर्श 11 है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से इस बात की पुष्टि हो गई है कि रोगी और उसके परिवार

वालों ने उस पर किए गए हमले की कहानी बताई है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में सनी राय के नाम की पुष्टि हमलावर के रूप में की है ।

32. जीतेन्द्र नाथ राय (अभि. सा. 18) वह साक्षी है जो उप-निरीक्षक भजन सरकार के साथ मृतक श्यामलाल राय के घर गया था और वहां पर उप-निरीक्षक भजन सरकार ने बाएं हाथ और कनिष्का से संबंधित एक रिपोर्ट उसकी मौजूदगी में तैयार की थी जिस पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर किए थे । इस साक्षी के हस्ताक्षरों को इस रिपोर्ट पर प्रदर्श 12 के रूप में चिह्नांकित किया गया है ।

33. अदीप राय (अभि. सा. 19) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को लगभग 10/10.30 बजे अपराह्न में जब वह अपने निर्माणाधीन मकान से घर वापस आ रहा था, मोहल्ले के कुछ व्यक्तियों ने उससे श्यामलाल राय के मकान की देखभाल करने को कहा और लगभग 11.30 बजे अपराह्न में पुलिस वहां आई और कटी हुई बाईं हथेली को अभिगृहीत किया, छोटी अंगुलि के एक भाग, बिस्तर की चादर, तकिए का गिलाफ और कुछ रक्तरंजित मिट्टी बरामद की जिसके संबंध में अभिग्रहण सूची तैयार की गई और अदीप राय ने उक्त अभिग्रहण सूची पर हस्तक्षार किए ।

34. जनकलाल राय घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु उसने घटना के बारे में सुना था और वह बी. पी. एच. सी., मिरीक गया था और उसने श्यामलाल राय को स्ट्रेचर पर देखा जिसका बायां हाथ कलाई से पूरा कटा हुआ था और उसके वक्ष की बाईं ओर और बाएं कन्धे पर क्षति कारित हुई थी । जनकलाल राय ने यह साक्ष्य दिया है कि श्यामलाल राय उस समय होश में था और उसने यह बताया कि सनी राय ने उसके घर में आकर उस पर खुकुरी से हमला किया है और उसकी बाईं कलाई काटी है तथा उसके वक्ष के बाईं ओर क्षति पहुंचाई है । चिकित्सक (अभि. सा. 17) के साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि रोगी श्यामलाल राय उस समय होश में था जब उसे बी. पी. एच. सी., मिरीक ले जाया गया था । अभि. सा. 20 की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे इस तथ्य को अविश्वसनीय कहा जा सके । इसके पश्चात् बंगाल मेडिकल में श्यामलाल राय की मृत्यु हो गई । अतः, श्यामलाल राय का कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन उपबंधों के अनुसार एक मृत्यु-कालिक कथन है ।

35. बीरेन राय (अभि. सा. 21) ने यह साक्ष्य दिया है कि वह और जनकलाल राय (अभि. सा. 20) बी. पी. एच. सी., मिरीक गए थे और वहां पहुंचने पर उसने श्यामलाल राय को स्ट्रेचर पर देखा जिसका बायां हाथ पूरी तरह कलाई से कटा हुआ था और उसके वक्ष की बाईं ओर और पीठ पर क्षति कारित हुई थी और उस समय श्यामलाल राय होश में था । अभि. सा. 21 ने अभि. सा. 20 और अभि. सा. 17 के साक्ष्य की पुष्टि की है ।

36. राबिन राय (अभि. सा. 22) ने यह कथन किया है कि तारीख 30 जुलाई, 2007 को श्यामलाल राय की पत्नी खड़का दाजू के घर आई और उसने अभियुक्त सनी राय द्वारा किए जा रहे हमले से बचने के लिए सहायता मांगी । अभि. सा. 1 ने खड़का दाजू से उसके घर आने को कहा और वहां पहुंचकर खड़का दाजू ने देखा कि श्यामलाल राय को मारुति वैन में डाला जा रहा है जिसकी दशा गंभीर थी, उसका बायां हाथ पूरी तरह कटा हुआ था और उसके वक्ष से रक्त बह रहा था । बालिका और अनिता राय ने उससे निवेदन किया कि वह उनके साथ मिरीक स्वास्थ्य केन्द्र चले और इसके पश्चात् तारीख 31 जुलाई, 2007 को सायंकाल श्यामलाल राय की मृत्यु हो गई ।

37. जीतेन्द्र नाथ राय (अभि. सा. 23) ने न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि पुलिस उप-निरीक्षक भजन सरकार ने कलाई से कटे हुए मृतक के बाएं हाथ और दाईं छोटी अंगुलि के संबंध में रिपोर्ट तैयार की और अभि. सा. 23 ने उस रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए । इस साक्षी के हस्ताक्षरों को इस रिपोर्ट पर प्रदर्श 12/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है ।

38. पुलिस सहायक उप-निरीक्षक जैनुल आबिदीन ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह भी मृतक के कटे हुए बाएं हाथ और दाएं हाथ की छोटी अंगुलि के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट का साक्षी है जिस पर उसके हस्ताक्षरों को प्रदर्श 12/2 के रूप में चिह्नांकित किया गया है ।

39. डा. दिब्याकर चेत्री (अभि. सा. 25) ने श्यामलाल राय के शव का शव-परीक्षण किया है जिसकी शनाख्त कांस्टेबल तपन कुमार दास द्वारा की गई है और शवपरीक्षण के दौरान चिकित्सक ने श्यामलाल राय के शव पर कई क्षतियां देखी और इस चिकित्सक की राय के अनुसार मृतक की मृत्यु शवपरीक्षण रिपोर्ट में दर्शायी गई क्षतियों के परिणामस्वरूप हुई है । उसी दिन डा. दिब्याकर चेत्री ने मृतक के बाएं हाथ और दाईं छोटी अंगुलि

का भी परीक्षण किया ।

40. पुलिस उप-निरीक्षक बी. सी. सरकार (अभि. सा. 26) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि इस मामले के अन्वेषण के दौरान आहत श्यामलाल राय के निवास पर उसे उसका कटा हुआ बायां हाथ और दाएं हाथ की छोटी अंगुलि मिली जिसे उसने साक्षियों की मौजूदगी में समुचित रूप से अभिग्रहण सूची तैयार करके कब्जे में लिया ।

41. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि शिकायत अभि. सा. 1 द्वारा नहीं लिखी गई थी । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि दर्ज कराई गई शिकायत उसने नहीं लिखी थी और यह साक्षी उस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकी जिसने इस शिकायत को लिखा था । मेरी राय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दांडिक विधि का इस प्रकार प्रयोग करना था कि इत्तिलाकर्ता द्वारा सूचना देने का कार्य पूर्ण हो जाए और अभिकथित अपराध की सूचना पुलिस को प्राप्त हो जाए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट स्वयं में कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है और इसका प्रयोग केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 157 के अधीन संपुष्टि या इस अधिनियम की धारा 145 के अधीन विरोधाभास प्रकट करने के लिए किया जाता है । अतः, ऐसी असामान्यता से अभियोजन पक्षकथन प्रभावित नहीं होगा यदि अभि. सा. 1 सहित अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से अन्यथा सिद्ध होता है ।

42. अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब अभि. सा. 1 और उसका पति अपने घर में थे, तब सनी राय खुकुरी लेकर उनके घर के बाहर आया और श्यामलाल राय को आवाज लगाई, इस पर अभि. सा. 1 घर से बाहर आई और सनी राय से वहां से चले जाने को कहा और उसने बीना राय (अभि. सा. 2) को बुलाया ताकि वह सनी राय को समझाए । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 अपनी सहायता के लिए खड़ा दाजू को बुलाने गई और जब वह वापस आई तब उसने देखा कि उसका पति श्यामलाल राय पुष्पालाल राय के मकान में मौजूद है जिसके वक्ष के बाईं ओर क्षति कारित हुई है और उसका बायां हाथ भी कटा हुआ है ।

43. बीना राय (अभि. सा. 2) आहत श्यामलाल राय पर हमला किए जाने की घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । किन्तु उसने अभियुक्त सनी राय को देखा था और यह चिल्लाते हुए सुना था कि सनी राय श्यामलाल

राय की हत्या कर देगा और वह विवेक राय के साथ अभि. सा. 1 के घर के आंगन तक सनी राय को समझाने के लिए गई । सनी राय ने उस पर भी हमला करने की धमकी दी और बीना राय डरकर वहां से चली गई और इसके पश्चात् उसने अभि. सा. 1 के मकान के अंदर से लड़ाई-झगड़े की आवाजें सुनी और श्यामलाल राय जोर-जोर से चिल्लाते हुए सुना कि सनी राय ने उसका हाथ काट दिया है और उसने श्यामलाल राय को पुष्पालाल राय के घर की ओर जाते हुए देखा । अभि. सा. 2 अभियुक्त सनी राय की चाची है और उसने अभियुक्त के विरुद्ध इस मामले में अभिसाक्ष्य दिया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने इस साक्षी को यह सुझाव दिया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध पारिवारिक शत्रुता के कारण मिथ्या साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 2 ने इस बात से इनकार किया है । इस साक्षी के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के संबंध में दृढ़तापूर्वक यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 2 के साक्ष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि दोनों पक्षों के बीच शत्रुता थी । इस साक्षी के साक्ष्य की संपुष्टि न केवल अभि. सा. 1 और अभि. सा. 4 के साक्ष्य से होती है अपितु यह साक्ष्य स्पष्ट और तर्कसम्मत है और इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान भी अविचलित साक्ष्य दिया है ।

44. अभि. सा. 3 के साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि हमले की घटना के पश्चात् श्यामलाल राय उसके (अभि. सा. 3) घर आया और उसने श्यामलाल राय के शरीर पर क्षतियां देखी और श्यामलाल राय ने उसे हमला करने वाले का नाम सनी राय बताया । इसके पश्चात् घटना के अगले दिन बंगाल मेडिकल में श्यामलाल राय की मृत्यु हो गई और इस प्रकार इस साक्षी के समक्ष दिया गया श्यामलाल राय का कथन मृत्युकालिक कथन है । अभि. सा. 3 के साक्ष्य से इस बात की संपुष्टि होती है कि अभियुक्त सनी राय ने श्यामलाल राय का हाथ काट दिया था और यह कि श्यामलाल राय उसके घर आया था ।

45. सुजान राय (अभि. सा. 5) अभि. सा. 3 की पुत्री है । यह साक्षी एक बाल साक्षी है जिसकी आयु 12 वर्ष है और यह कक्षा VI की छात्रा है । इस साक्षी का कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व विचारण न्यायाधीश द्वारा कुछ बौद्धिक प्रश्न पूछे गए और जब उसने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तब उसे इस मामले में साक्ष्य देने के लिए सक्षम पाया गया । अभि. सा. 5 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब वह पढ़ाई कर रही थी, अभियुक्त श्यामलाल राय क्षतिग्रस्त अवस्था में उसके कमरे में आया और श्यामलाल राय ने उससे यह कहा कि सनी राय ने उस पर हमला किया है

और उसका हाथ काट दिया है । आहत श्यामलाल राय द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन के संबंध में, अभि. सा. 5 ने अभि. सा. 3 के साक्ष्य की पूर्ण रूप से संपुष्टि की है ।

46. डा. महानन्द सरकार (अभि. सा. 17) बी. पी. एस. सी., मिरीक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं । तारीख 30 जुलाई, 2007 को 8.30 बजे अपराह्न में श्यामलाल राय नाम के एक व्यक्ति को उसके परिवार वालों द्वारा अस्पताल में लाया गया जिसके शरीर पर तेज धार वाले आयुध (खुकुरी) से गंभीर क्षति कारित की हुई थी । चिकित्सा परीक्षा किए जाने पर चिकित्सक ने यह पाया कि (1) बायां हाथ कलाई से कटा हुआ है (2) दाएं हाथ की छोटी अंगुलि कटी हुई है । (3) वक्ष के बाईं ओर अग्रभाग में 10 इंच × 3 इंच माप की क्षति कारित हुई है जो ई वक्षीय गुहा तक गहरी है (4) दाईं ओर बाईं भुजा (बाहु) में कटाव है जो अस्थि तक गहरा है (5) बाईं भुजा के अग्र भाग में खरोंच और अनामिका में कटाव है । अभि. सा. 17 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात की पुष्टि की है कि रोगी और रोगी के नातेदारों ने इस चिकित्सक को घटना के घटित होने के संबंध में बताया । अभि. सा. 17 ने अपने साक्ष्य में इस बात की पुष्टि की है कि उसे हमला करने वाले व्यक्ति का नाम बताया गया था । रोगी द्वारा चिकित्सक को कथन दिया गया था और इस घटना के संबंध में सर्वप्रथम रोगी के परिवार वालों ने जानकारी दी थी (यहां तक कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पूर्व) और मेरा यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 17 के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने का कोई आधार नहीं है क्योंकि एक स्वतंत्र साक्षी है ।

47. डा. दिब्याकर चेत्री (अभि. सा. 25) ने श्यामलाल राय के शव का शवपरीक्षण किया था और उसके शव की शनाख्त कांस्टेबल तपन कुमार दास द्वारा की गई थी और शवपरीक्षण के दौरान चिकित्सक ने श्यामलाल राय के शव पर अनेक क्षतियां पाईं और इस साक्षी की राय के अनुसार मृत्यु का कारण शवपरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित क्षतियां हैं । उसी दिन डा. दिब्याकर चेत्री ने मृतक के बाएं हाथ और दाएं हाथ की कटी हुई अंगुलि का भी परीक्षण किया था ।

48. प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के तर्कसम्मत और संगत साक्ष्य, जिसकी संपुष्टि उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, के आधार पर मेरी यह राय है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है और इस प्रकार अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाते हैं ।

49. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए अपील खारिज की जाती है ।

50. अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान अपीलार्थी द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के निबंधनों में अधिरोपित सारभूत दंडादेश की अवधि में से कम किया जाएगा ।

51. इस निर्णय की प्रति निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय को आवश्यक अनुपालन के लिए तत्काल भेजी जाए ।

52. इस निर्णय की अभिप्रमाणित फोटो कापी पक्षकारों को, यदि इसके लिए आवेदन किया गया है, समीचीन रूप से दिलायी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

(2018) 1 दा. नि. प. 816 **पंजाब-हरियाणा**

कृष्ण कुमार और अन्य

बनाम

नवनीत उर्फ सीमा और अन्य

तारीख 21 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति सुश्री जयश्री ठाकुर

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 2(च) और (ध) तथा 17 – साझी गृहस्थी – निवास का अधिकार – परिवादी पत्नी को ससुर या उसके नातेदारों के मकान में निवास करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह उपरोक्त उपबंधों के अधीन ससुर या सास या उनके नातेदारों का कोई मकान साझी गृहस्थी गठित नहीं करता, वह केवल अपने पति के मकान में ही रहने की हकदार है ।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 – धारा 20 [सपठित हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24] – धनीय अनुतोष – परिवादी पत्नी अपने और अपनी अवयस्क बालिका के भरणपोषण और लालन-पालन के लिए पति के वेतन के अनुपात में रकम पाने की हकदार है, इसलिए भरणपोषण की रकम को 6,000/- रुपए से बढ़ाकर 9,000/- रुपए प्रतिमास किया जाना उचित और न्यायसंगत है ।

इसमें परिवादी/प्रत्यर्थी सं. 1 का विवाह तारीख 12 दिसंबर, 2006 को इसमें याची सं. 3 के साथ संपन्न हुआ जिस विवाह बंधन से 15 सितंबर, 2007 को एक लड़की पैदा हुई । वह दिए गए दहेज से संतुष्ट न होने के कारण अपने पति और उनके माता-पिता द्वारा अपने ससुराल से निकाल दी गई । अंततः, अभिकथित साझी गृहस्थी अर्थात् मकान सं. 568, गली सं. 11, गांधी नगर, करनाल में निवास के अधिकार और भरणपोषण के विनिर्दिष्ट अनुतोषों के साथ महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 17, 18, 19, 20, 22 और 23 के अधीन दावा किए गए अनुतोषों के साथ-साथ महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अर्जी फाइल की गई । विचारण न्यायालय ने इस आधार पर साझी गृहस्थी में निवास के अनुतोष को खारिज कर दिया कि उक्त मकान अनन्यतः ससुर का था और आदेश की तारीख से प्रतिमास चार हजार रुपए तक का भरणपोषण मंजूर किया गया । उक्त आदेश एकपक्षीय था जिसकी चुनौती परिवादी पति द्वारा अपील में अपर सेशन न्यायाधीश, करनाल के समक्ष की गई जिन्होंने अपील मंजूर की और साझी गृहस्थी अर्थात् मकान सं. 568 गली सं. 11 गांधी नगर, करनाल में परिवादी/प्रत्यर्थी सं. 1 पत्नी को निवास की मंजूरी प्रदान करने और प्रतिमास 6,000/- रुपए तक का भरणपोषण भी बढ़ाकर विचारण न्यायालय के आदेश को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से भरणपोषण देने के बजाए आदेश की तारीख से भरणपोषण मंजूर करते हुए परिवाद फाइल करने की तारीख से भरणपोषण संदत्त किए जाने को भी उपांतरित किया और अपील मंजूर की । उक्त आक्षेपित आदेश में प्रश्नगत मकान से हटाने के याची सं. 1 के विरुद्ध अवरोध आदेश जारी किया । उक्त आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने 2017 की पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 1253, कृष्ण कुमार और अन्य बनाम नवनीत **उर्फ** सीमा और अन्य नामक मामला ससुर, सास और परिवादी पत्नी के पति द्वारा फाइल किया गया । जबकि 'नवनीत **उर्फ** सीमा बनाम संदीप कुमार और अन्य' शीर्षक वाला 2017 का पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 2471 परिवादी पत्नी द्वारा फाइल किया गया । 2017 के पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 1253 में याचियों ने अपील में पारित निर्णय के विरुद्ध परिवादी पत्नी के ससुर के एकमात्र मकान में निवास के अधिकार को मंजूर करने वाले और अवरोध आदेश के विरुद्ध चुनौती की ईप्सा कर रहे हैं जबकि 2017 के पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 2471 में याची अर्थात् परिवादी पत्नी ने उक्त निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी है कि इस प्रकार अधिनिर्णीत भरणपोषण अपर्याप्त है चूंकि उस पर एक अवयस्क बालिका के भरणपोषण का

उत्तरदायित्व है और यह कि उसके पति की आय लगभग 40,000/- रुपए है और उसे बैंक को अच्छा कारबार देने के लिए बारह लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है । विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह उद्‌भूत हुआ – (i) क्या परिवादी पत्नी उस मकान में रहने के अधिकार की हकदार है जो उसके पति का नहीं है ? (ii) क्या परिवादी पत्नी भरणपोषण की रकम के बढ़ाए जाने की हकदार है ? उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश देते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वीकार्यतः परिवादी पत्नी का याची सं. 3 संदीप कुमार के साथ विवाह हुआ और जिस विवाह बंधन से एक अवयस्क बालिका अर्थात् पायल का जन्म हुआ था । परिवादी पत्नी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में अपने चिकित्सा विधिक रिपोर्ट के माध्यम से घरेलू हिंसा साबित करने में सफल रही जिसके परिणामस्वरूप तारीख 20 मई, 2015 के आदेश द्वारा करनाल के प्रथम वर्ग नए मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जी मंजूर की गई । चूंकि परिवादी पत्नी अपने पति के मासवार वेतन के बारे में कुछ साबित करने में असमर्थ रही इसलिए 10,000/- रुपए से 12,000/- रुपए प्रतिमास अर्जित करने की क्षमता रखते हुए एक कुशल श्रमिक मानते हुए 4,000/- रुपए प्रतिमास की रकम अनुज्ञात की गई थी । जहां तक साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार का संबंध है, यह अनुज्ञात नहीं किया गया, चूंकि मकान के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख पर कुछ नहीं था । अपील न्यायालय ने सुभाष और एक अन्य बनाम शिवानी वाले मामले का अवलंब लेकर आवेदन की तारीख से प्रतिमास 6,000/- रुपए तक भरणपोषण को भी बढ़ाते हुए, आक्षेपित निर्णय द्वारा अपील मंजूर की थी । इसके अलावा उसे साझी गृहस्थी में भी रहने की अनुज्ञा दी गई थी और इसमें याचियों को स्थल-नक्शा में यथा दर्शित प्रश्नगत मकान से न हटाने का भी निदेश दिया गया था । मैंने अधिनियम की धारा 2(ध) के उपबंधों के संदर्भ में याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय का परिशीलन किया जो पत्नी को घरेलू गृहस्थी से बेदखली का प्रतिरोध करने की हकदार बनाती है । कानून के अनुसार साझी गृहस्थी वह है जहां पत्नी रहती है या इसी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी के साथ या अकेले घरेलू गृहस्थी में रह रही थी और ऐसी गृहस्थी भी सम्मिलित होगी, चाहे व्यथित व्यक्ति या ससुर द्वारा संयुक्ततः स्वामित्वाधीन हो या किराए पर लिया गया हो या उनमें से किसी एक के स्वामित्वाधीन हो या किराए पर लिया गया हो, चाहे व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या संयुक्ततः या अकेले दोनों का कोई अधिकार, हक, हित या साम्या हो । प्रत्यर्थी पत्नी विवाह के पश्चात्

मकान में ठहरी थी और साझी गृहस्थी में हित और ठहरने का अधिकार अर्जित कर लिया था । एस. आर. बत्रा वाले मामले का निर्णय ऐसी स्थिति के बारे में नहीं है जहां पति विभिन्न निवास लेकर स्थिति को परिवर्तित कर रिष्टि कर रहा है और यह दावा कर अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्व से छुटकारा पाना चाहता है कि वह अब बेरोजगार है और उसके पास कोई निवास नहीं है । पति भी घरेलू नातेदारी के लिए साझी गृहस्थी हेतु अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन अपनी पत्नी के विधिक अधिकारों को प्रवृत्त बनाने में समर्थ बनाने के लिए कोई अभिवाक् प्रस्तुत नहीं कर रहा है । याची सं. 1, ससुर का निश्चित ही प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी है । उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने एस. आर. बत्रा और एक अन्य बनाम तरुणा बत्रा वाले मामले में महिला संरक्षण अधिनियम की अन्य उपबंधों के अलावा साझी गृहस्थी की परिभाषा पर विचार किया । एक समरूप प्रश्न उठा कि क्या ऐसा मकान जो अनन्यतः परिवादी की सास का है जिसमें वह केवल अपने विवाह के पश्चात् कुछ समय के लिए अपने पति के साथ रह रही थी, महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2(ध) के अधीन 'साझी गृहस्थी' की परिधि के भीतर आता है । उच्चतम न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि 'प्रश्नगत मकान प्रत्यर्थी की सास का है' । यह उसके पति का नहीं है । इसलिए प्रत्यर्थी उस मकान में रहने के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती । ब्रिटिश मेट्रिमोनियल होम अधिनियम, 1967 की तरह भारत में ऐसी कोई विधि नहीं है और किसी भी दशा में ऐसे अधिकार जो किसी विधि के अधीन उपलब्ध हो सकते हैं, पति के विरुद्ध भी हो सकते हैं न कि ससुर या सास के विरुद्ध । प्रत्यर्थी श्रीमती तरुणा बत्रा के विद्वान् काउंसेल ने यह कहा कि साझी गृहस्थी की परिभाषा के अंतर्गत ऐसी गृहस्थी सम्मिलित है जहां व्यथित व्यक्ति रहती है या किसी प्रक्रम पर घरेलू नातेदारी में रह रही थी । उन्होंने दलील दी कि क्योंकि स्वीकार्यतः प्रत्यर्थी पहले प्रश्नगत संपत्ति में रह रही थी इसलिए उक्त संपत्ति उसकी साझी गृहस्थी है । वर्तमान मामले में याची सं. 3 पति और परिवादी पत्नी के संबंध अस्तित्व में नहीं है जिनके परिणामस्वरूप पक्षकारों के बीच कई मुकदमे हुए । परिवाद के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए परिवादी पत्नी और याची सं. 3 पति दोनों ने हकीकत नगर, करनाल में अलग आवास लिया । इस पृथक् आवास में उनके ठहरने के दौराना, परिवादी पत्नी ने याची सं. 3 पति के विरुद्ध एक परिवाद दर्ज कराया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन चालान

किया । इसलिए पति और पत्नी दोनों के बीच मुकदमेबाजी का युद्ध आरंभ हुआ । इसके पश्चात् याची सं. 3 पति ने परिवादी पत्नी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद कार्यवाही आरंभ की और इसके पश्चात् परिवादी पत्नी ने करनाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 406, 506 और आयुध अधिनियम की धारा 25/54/59 के अधीन 19 नवंबर, 2015 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 1072 दर्ज कराया । यह तर्क दिया गया कि याची सं. 3 करनाल में रह रहा है अर्थात् जैसा की प्रत्यक्ष है कि तामिली उसी पते पर की गई थी अतः परिवादी पत्नी उसमें निवास करने की हकदार है, ऐसा तर्क है जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है । करनाल में उक्त पते पर पति पर की गई मात्र तामिली को सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता कि वह वहां रह रहा है चूंकि उसके माता-पिता मुकदमे में पक्षकार हैं और यह कि यह उनका स्थायी पता है । तथापि, अवलंबित वेतन पर्ची याची सं. 3 को यमुना नगर में कार्य करने वाला दर्शाया गया है । इस मामले में न तो पति न ही पत्नी ऐसे प्रश्नगत मकान में रह रहे हैं, जो याची सं. 1 का अनन्यतः है । एस. आर. बत्रा वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ससुर या सास के मकान को मात्र इस कारण साझी गृहस्थी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवादी पत्नी और उसके पति पहले वहां पति और पत्नी की तरह साथ-साथ रह रहे थे । उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्नी साझी गृहस्थी में ही निवास के अधिकार का दावा करने के हकदार है और साझी गृहस्थी का अभिप्राय पति का या पति द्वारा किराए पर लिया गया या ऐसा मकान है, जो ऐसे संयुक्त कुटुम्ब का है जिसका पति सदस्य है । अतः, सुभाष और एक अन्य बनाम शिवानी वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय विभेदित है और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं है । पत्नी और उसके पति के अन्य संबंध के बीच घरेलू नातेदारी के मात्र अस्तित्व के कारण, पत्नी के लिए ऐसे मकान में निवास करने का दावा करने का मामला नहीं बनाएगा जो अनन्यतः पति के नातेदारों का है । साझी गृहस्थी का अर्थ पति का या पति द्वारा किराए पर लिया गया या ऐसा मकान, जो ऐसे संयुक्त कुटुम्ब का है जिसका पति सदस्य है, लिया जाना चाहिए । पूर्वगामी चर्चा और एस. आर. बत्रा वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित विधि के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा विरचित प्रथम प्रश्न का उत्तर परिवादी पत्नी के विरुद्ध दिया जाता है । प्रश्नगत मकान अनन्यतः याची सं. 1 (ससुर) का होने के कारण इसे महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2(ध) की परिधि

के भीतर साझी गृहस्थी नहीं कहा जा सकता । परिणामतः अपील न्यायालय द्वारा पारित तारीख 8 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय को इस विस्तार तक कि परिवादी पत्नी को ऐसे प्रश्नगत मकान में निवास करने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, जो उसके ससुर का है और आगे यह कि याची सं. 1 ससुर को ऐसे प्रश्नगत मकान से हटाने से प्रतिसिद्ध नहीं किया जा सकता, जो साझी गृहस्थी नहीं है । इसके बजाए परिवादी पत्नी को आनुकल्पिक आवास या उसके बदले किराए के संदाय का दावा करने का हकदार ठहराया जाता है । (पैरा 7, 14, 15, 16, 17 और 18)

विचारार्थ दूसरा प्रश्न यह है कि क्या परिवादी पत्नी भरणपोषण के रकम को बढ़ाए जाने के हकदार हैं ? विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल परिवाद में परिवादी पत्नी ने 6,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण का दावा किया था । तथापि, किसी दस्तावेजी अभिलेख के अभाव में विचारण न्यायालय ने तारीख 20 मई, 2015 के अपने आदेश द्वारा परिवादी पत्नी को 4,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण का हकदार ठहराया । इस रकम को अपील न्यायालय द्वारा तारीख 8 मार्च, 2017 के आदेश द्वारा अपील में बढ़ाकर 6,000/- रुपए प्रतिमास किया गया । हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर याची सं. 3 पति द्वारा आरंभ किए गए विवाह-विच्छेद कार्यवाही में पति को महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन परिवादी पत्नी को प्राप्त हो रहे रकम को मिलाकर भरणपोषण के रूप में 9,000/- रुपए के रकम के संदाय का निदेश दिया । तथापि, यह न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन पारित उक्त आदेश विवाह-विच्छेद के कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान ही अस्तित्व में बना रहेगा । वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण में परिवादी पत्नी भरणपोषण की रकम को बढ़ाए जाने की मांग कर रही है और अवयस्क बालिका के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमास की रकम के अलावा अपने लिए 10,000/- रुपए प्रतिमास का दावा कर रही है । परिवादी पत्नी ने यह दावा किया कि उसके पति का वर्तमान वेतन 40,000/- रुपए प्रतिमास है और उसकी पुत्री पायल देव अंतरराष्ट्रीय स्कूल, बुटाना, जिला करनाल में कक्षा 4 में अब पढ़ रही है, जिस तथ्य पर भी भरणपोषण रकम को बढ़ाते समय विचार किया जाना चाहिए । 2017 के दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 1253 में सहायक प्रबंध के रूप में याची सं. 3 पति के पदभार ग्रहण करने वाला पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शित करता है कि याची सं. 3 संदीप कुमार का मूल वेतन प्रतिवर्ष मकान किराया भत्ता

30,000/- रुपए यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष 9,600/- रुपए चिकित्सा प्रतिवर्ष 15,000/- रुपए दोपहर का भोजन भत्ता 10,920/- रुपए व्यक्तिगत वेतन प्रतिवर्ष 18,000/- रुपए अन्य भत्ते प्रतिवर्ष 98,040/- रुपए के अलावा 1,39,980/- रुपए प्रतिवर्ष है । यदि मूल वेतन और व्यक्तिगत वेतन तथा अन्य भत्तों की संगणना की जाए तो यह प्रतिवर्ष 2,56,020/- रुपए आती है । उक्त पदभार ग्रहण पत्र तारीख 10 मार्च, 2015 का है, जो लगभग तीन वर्ष पुराना है, जो इस अवधि के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि और अन्य प्रोत्साहनों के रूप में बढ़ गया होगा । इसलिए यदि याची सं. 3 का कुल वेतन 3,00,000/- रुपए लगाया जाए तो माहवार वेतन 25,000/- रुपए प्रतिमास आता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रहने की लागत और अप्राप्तवय बालिका की आवश्यकता बढ़ रही है जिसकी देखभाल परिवादी पत्नी कर रही है, को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह विचारित मत है कि न्याय का प्रयोजन तभी पूरा होगा यदि किराए के आवास और अपने भरणपोषण तथा अवयस्क बालिका के लालन-पालन के लिए परिवादी पत्नी को भरणपोषण के रूप में 15,000/- रुपए प्रतिमास अधिनिर्णीत किया जाए । पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, दूसरे प्रश्न का उत्तर परिवादी पत्नी के पक्ष में दिया जाता है । परिवादी पत्नी को दांडिक पुनरीक्षण (2017 के दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 2471) में इस आदेश की तारीख से 15,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण का हकदार ठहराया जाता है । 15,000/- रुपए का यह रकम उस भरणपोषण रकम के समायोजन के अधीन होगा, जो परिवादी पत्नी किसी अन्य कार्यवाही में पा रही है । यह भी तर्क किया गया है कि परिवाद की तारीख से न कि आदेश की तारीख से जैसा जे.एम.आई.सी. द्वारा अनुज्ञात किया गया है, 6,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण के मंजूर करने वाला आक्षेपित आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए अपील न्यायालय द्वारा कोई अकाट्य कारण नहीं दिया गया है । यह तर्क कायम रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि याची सं. 3 पति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रतिमास 9,000/- रुपए का भरणपोषण अदा करने के दायित्व से बांध दिया गया है, जो सारतः उस रकम से अधिक है, जो अधिनिर्णीत की गई है । (पैरा 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2016]	2016 (3) आर. सी. आर. (दांडिक) 959 (पंजाब-हरियाणा) : **सुभाष और एक अन्य** बनाम **शिवानी** ;	5

[2007] (2007) 3 एस. सी. सी. 169 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1118 :
एस. आर. बत्रा और एक अन्य बनाम **श्रीमती तरुणा बत्रा ।** 4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 1253.

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन फाइल परिवाद से उद्भूत दांडिक पुनरीक्षण ।

याची की ओर से श्री अक्षय जिंदल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राहुल देशवाल

आदेश

उपरोक्त शीर्षक वाले दो दांडिक पुनरीक्षणों का निपटान एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि उक्त मुकदमे के पक्षकार एक ही हैं और दोनों घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में 'महिला संरक्षण अधिनियम' कहा गया) के अधीन फाइल परिवाद से उद्भूत कार्यवाहियों में 8 मार्च, 2017 के एक ही आदेश की चुनौती देते हैं ।

2. पक्षकारों के बीच वाद को समझने के लिए 2017 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 1253 से कुछ संक्षिप्त तथ्य लिए जा रहे हैं जो परिवादी प्रत्यर्थी सं. 1 नवनीत **उर्फ** सीमा और अन्य के विरुद्ध याची सं. 1 कृष्ण कुमार (ससुर) याची सं. 2 चमेली (सास) और याची सं. 3 संदीप कुमार (पति) द्वारा की गई है । पक्षकारों को इस आदेश में निर्दिष्ट किया जाएगा जैसा 2017 के दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 1253 में निर्दिष्ट किया गया है ।

3. इसमें परिवादी/प्रत्यर्थी सं. 1 का विवाह तारीख 12 दिसंबर, 2006 को इसमें याची सं. 3 के साथ संपन्न हुआ जिस विवाह बंधन से 15 सितंबर, 2007 को एक लड़की पैदा हुई । वह दिए गए दहेज से संतुष्ट न होने के कारण अपने पति और उनके माता-पिता द्वारा अपने ससुराल से निकाल दी गई । अंततः, अभिकथित साझी गृहस्थी अर्थात् मकान सं. 568, गली सं. 11, गांधी नगर, करनाल में निवास के अधिकार और भरणपोषण के विनिर्दिष्ट अनुतोषों के साथ महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 17, 18, 19, 20, 22 और 23 के अधीन दावा किए गए अनुतोषों के साथ-साथ महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन अर्जी फाइल की

गई । विचारण न्यायालय ने इस आधार पर साझी गृहस्थी में निवास के अनुतोष को खारिज कर दिया कि उक्त मकान अनन्यतः ससुर का था और आदेश की तारीख से प्रतिमास चार हजार रुपए तक का भरणपोषण मंजूर किया गया । उक्त आदेश एकपक्षीय था जिसकी चुनौती परिवादी पति द्वारा अपील में अपर सेशन न्यायाधीश, करनाल के समक्ष की गई जिन्होंने अपील मंजूर की और साझी गृहस्थी अर्थात् मकान सं. 568 गली सं. 11 गांधी नगर, करनाल में परिवादी/प्रत्यर्थी सं. 1 पत्नी को निवास की मंजूरी प्रदान करने और प्रतिमास 6,000/- रुपए तक का भरणपोषण भी बढ़ाकर विचारण न्यायालय के आदेश को विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से भरणपोषण देने के बजाए आदेश की तारीख से भरणपोषण मंजूर करते हुए परिवाद फाइल करने की तारीख से भरणपोषण संदत्त किए जाने को भी उपांतरित किया और अपील मंजूर की । उक्त आक्षेपित आदेश में प्रश्नगत मकान से हटाने के याची सं. 1 के विरुद्ध अवरोध आदेश जारी किया । उक्त आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने 2017 की पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 1253, कृष्ण कुमार और अन्य बनाम नवनीत उर्फ सीमा और अन्य नामक मामला ससुर, सास और परिवादी पत्नी के पति द्वारा फाइल किया गया । जबकि 'नवनीत उर्फ सीमा बनाम संदीप कुमार और अन्य' शीर्षक वाला 2017 का पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 2471 परिवादी पत्नी द्वारा फाइल किया गया । 2017 के पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 1253 में याचियों ने अपील में पारित निर्णय के विरुद्ध परिवादी पत्नी के ससुर के एकमात्र मकान में निवास के अधिकार को मंजूर करने वाले और अवरोध आदेश के विरुद्ध चुनौती की ईप्सा कर रहे हैं जबकि 2017 के पुनरीक्षण दांडिक मामला सं. 2471 में याची अर्थात् परिवादी पत्नी उक्त निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी है कि इस प्रकार अधिनिर्णीत भरणपोषण अपर्याप्त है चूंकि उस पर एक अवयस्क बालिका के भरणपोषण का उत्तरदायित्व है और यह कि उसके पति की आय लगभग 40,000/- रुपए है और उसे बैंक को अच्छा कारबार देने के लिए बारह लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है ।

4. याचियों (2017 के दांडिक पुनरीक्षण मामला सं. 1253) की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री अक्षय जिंदल ने अपील में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, करनाल द्वारा पारित तारीख 8 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय को इस आधार पर दलील दी कि निवास के अधिकार को मंजूर करना संधार्य नहीं है, चूंकि प्रश्नगत मकान परिवादी पत्नी के ससुर अर्थात् याची

सं. 1 कृष्ण कुमार के एकमात्र कब्जे में है जिस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यह तर्क किया गया कि अपील न्यायालय ने **एस. आर. बत्रा और एक अन्य** बनाम **श्रीमती तरुणा बत्रा**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित उक्ति की उपेक्षा की है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सास के मकान को किसी भी सीमा तक साझी गृहस्थी नहीं माना जा सकता । तथापि, याची सं. 3 (पति) उक्त मकान में नहीं रह रहा है और वस्तुतः यमुना नगर जिले के आई. टी. आई. चौक के समीप सरोजनी नगर में रह रहा है । यह भी निवदेन किया गया कि पहले पक्षकारों के बीच अर्थात् याची सं. 3 पति और परिवादी पत्नी के बीच के समझौता किया गया था और हकीकत नगर, करनाल में एक पृथक् आवास दिया गया था जहां दोनों पक्षकार एक साथ डेढ़ वर्ष तक रहे । हकीकत नगर, करनाल में ठहरने की अवधि के दौरान याचियों के विरुद्ध कई मुकदमे संस्थित किए गए और इस दुश्मनी के कारण अपील न्यायालय द्वारा यथा अनुज्ञात उसके पिता के मकान में परिवादी पत्नी का रहना असंभव होगा । तथापि, आवेदन की तारीख से भरणपोषण अनुज्ञात करने का आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि कोई अकाट्य कारण नहीं दिया गया है कि क्यों बढ़ाया गया भरणपोषण आदेश की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख से संदत्त किया जाए । यह भी दलील दी गई कि अपील न्यायालय ने परिवादी पत्नी की समति के बिना मकान से हटाने के लिए याची सं. 1 (ससुर) को अवरुद्ध करते हुए व्यादेश भी पारित किया है, जो भी कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

5. समानांतर स्तंभ में, परिवादी पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री राहुल देशवाल का यह तर्क है कि भरणपोषण का अनुतोष पूर्णतः अपर्याप्त है चूंकि याची सं. 2, पति यमुना नगर के एच.डी.एफ.सी. बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है और प्रतिमास चालीस हजार रुपए अर्जित कर रहा है और परिवादी पत्नी पर अवयस्क पुत्री के भरणपोषण का उत्तरदायित्व है जिसका संपूर्ण भविष्य उस पर निर्भर है । विद्वान् काउंसेल का यह भी निवेदन है कि हमारे अपने उच्च न्यायालय ने **सुभाष और एक अन्य** बनाम **शिवानी**[2] वाले मामले में उसके ससुर की साझी गृहस्थी में रहने के अधिकार को उसमें परिवादी को अनुज्ञा दी गई

---

[1] (2007) 3 एस. सी. सी. 169 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1118.

[2] 2016(3) आर. सी. आर. (दांडिक) 959 (पंजाब-हरियाणा).

थी । चूंकि यह वह मकान था जिसमें वह अपने विवाह के पश्चात् गई और पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने तक वहां रहती रही । यह तर्क किया गया कि याची सं. 3 पति द्वारा फाइल विवाह-विच्छेद अर्जी लंबित है जिसमें याची सं. 3 पति को आवेदन की तारीख से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन परिवादी पत्नी को भरणपोषण के रूप में 9,000/- रुपए की रकम संदत्त करने का निदेश दिया गया है जिसमें वह रकम भी सम्मिलित है जो परिवादी पत्नी महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन पा रही है और उक्त रकम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अधीन अर्जी के लंबित रहने के दौरान ही बनी रहेगी । न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया कि याची सं. 3 पति यमुना नगर में नहीं रह रहा है क्योंकि उसे करनाल के गांधी नगर के गली सं. 11 के मकान सं. 568 के निवास पर परिवाद मामले में और वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण वाले मामले में भी नोटिस तामिल की गई थी । आगे यह तर्क किया गया कि परिवादी पत्नी विवाह के समय स्थल-नक्शा प्रदर्श पी./1 में पी.सी.डी.एफ. के रूप में दर्शित भाग में मकान में रह रही थी और उसके पश्चात् स्थल-नक्शा प्रदर्श पी./1 में ए.बी.ई.एफ. के रूप में दर्शाए गए भाग में दो कमरे, शौचालय और स्नानागार, 40,000/- रुपए अपनी भैंस बेचकर उसके माता-पिता द्वारा दिए गए धन से निर्मित किए गए जो उस संनिर्माण में उपयोग के लिए दिए गए थे और इसलिए उसे उक्त मकान में रहने का अधिकार है । यह भी तर्क किया गया कि परिवादी पत्नी यह साबित करने में समाधानप्रद रूप से सफल रही कि वह घरेलू हिंसा से पीड़ित है और महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित अनुतोष का दावा करने की हकदार है ।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को उनके सहायकों के साथ सुना और मामले के अभिवचनों का परिशीलन किया ।

7. स्वीकार्यतः परिवादी पत्नी का याची सं. 3 संदीप कुमार के साथ विवाह हुआ और जिस विवाह बंधन से एक अवयस्क बालिका अर्थात् पायल का जन्म हुआ था । परिवादी पत्नी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में अपने चिकित्सा विधिक रिपोर्ट के माध्यम से घरेलू हिंसा साबित करने में सफल रही जिसके परिणामस्वरूप तारीख 20 मई, 2015 के आदेश द्वारा करनाल के प्रथम वर्ग नये मजिस्ट्रेट द्वारा अर्जी मंजूर की गई । चूंकि परिवादी पत्नी अपने पति (याची सं. 3) के मासवार वेतन के बारे में कुछ साबित करने में असमर्थ रही इसलिए 10,000/- रुपए से 12,000/- रुपए प्रतिमास अर्जित करने

की क्षमता रखते हुए एक कुशल श्रमिक मानते हुए 4,000/- रुपए प्रतिमास की रकम अनुज्ञात की गई थी । जहां तक साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार का संबंध है, यह अनुज्ञात नहीं किया गया, चूंकि मकान के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख पर कुछ नहीं था । अपील न्यायालय ने **सुभाष और एक अन्य** बनाम **शिवानी** (पूर्वोक्त) वाले मामले का अवलंब लेकर आवेदन की तारीख से प्रतिमास 6,000/- रुपए तक भरणपोषण को भी बढ़ाते हुए, आक्षेपित निर्णय द्वारा अपील मंजूर की थी । इसके अलावा उसे साझी गृहस्थी में भी रहने की अनुज्ञा दी गई थी और इसमें याचियों को स्थल-नक्शा में यथा दर्शित प्रश्नगत मकान से न हटाने का भी निदेश दिया गया था ।

8. विचारार्थ मुख्य प्रश्न यह उद्भूत हुआ :–

(i) क्या परिवादी पत्नी उस मकान में रहने के अधिकार की हकदार है जो उसके पति का नहीं है ?

(ii) क्या परिवादी पत्नी भरणपोषण की रकम के बढ़ाए जाने के हकदार है ?

9. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया जब यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अधीन यथा उपबंधित विशेष उपबंध के बावजूद महिलाओं को पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया जा रहा है । विधायिका की यह राय थी कि घरेलू नातेदारी का दुरुपयोग किया जा रहा है जो दहेज या अन्यथा के कारण हो सकता है और महिलाओं को उस नातेदारी में संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए । 'दुरुपयोग' पद का व्यापक अर्थ निकाला जाना चाहिए जो शारीरिक दुरुपयोग के अलावा लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग हो सकता है । महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2(ध) 'साझी गृहस्थी' पद को इस प्रकार परिभाषित करती है :–

"'साझी गृहस्थी' से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्तः स्वामित्व या किराएदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी

या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुम्ब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ।"

10. महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2(च) 'घरेलू नातेदारी' पद को इस प्रकार परिभाषित करती है :–

"घरेलू नातेदारी से दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य हैं ।"

11. महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 17 में निवास करने के अधिकार का उपबंध है, जो इस प्रकार है :–

"17. साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं ।

(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय, कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा ।"

12. महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 19 में यह इस प्रकार उल्लेख है :–

"19. **निवास आदेश** – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा –

(क) प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से, किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे, प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में

विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं ;

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना ;

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना ;

(घ) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंक्रांत करने या व्ययनित करने या उसे विल्लंगमित करने से अवरुद्ध करना ;

(ङ) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना ; या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना ..."

13. अपील न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय तारीख 8 मार्च, 2017 में **सुभाष और एक अन्य** बनाम **शिवानी** (पूर्वोक्त) वाले मामले में अपने निजी उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को उपांतरित किया और इस प्रकार मत व्यक्त किया (पैरा 14)

"…. वर्तमान मामले के तथ्यों और इस न्यायालय के विचारित मत के साथ उपरोक्त निर्णय में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित उक्ति को ध्यान में रखते हुए परिवादी-अपीलार्थी प्रत्यर्थियों की साझी गृहस्थी में निवास करने की हकदार है और प्रत्यर्थियों को परिवादी-अपीलार्थी की सहमति के बिना प्रश्नगत मकान से हटाने का कोई अधिकार नहीं है ।"

14. **सुभाष और एक अन्य** बनाम **शिवानी** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्च न्यायलय ने यह मत व्यक्त किया :–

"मैंने याची के विद्वान् काउंसेल को सुना जिन्होंने एस. आर.

बत्रा और एक अन्य **बनाम** (श्रीमती) तरुणा बत्रा, (2007) 1 एस. सी. सी. 169 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 1118 वाले मामले के निर्णय का अवलंब लिया जिसमें मामले की परिस्थितियों में यह मत व्यक्त किया गया था कि पत्नी घरेलू गृहस्थी में केवल निवास के अधिकार का दावा कर सकती है और घरेलू गृहस्थी का अभिप्राय पति का या पति द्वारा किराए पर लिया गया मकान या ऐसा मकान है जो ऐसे संयुक्त कुटुम्ब का है जिसका पति सदस्य है । उच्चतम न्यायालय ने आगे यह मत व्यक्त किया कि अधिनियम की धारा 2(ध) में साझी गृहस्थी की परिभाषा ठीक से शब्दांकित नहीं की गई है ।

मैंने अधिनियम की धारा 2(ध) के उपबंधों के संदर्भ में याची के विद्वान् काउंसेल द्वारा उद्धृत निर्णय का परिशीलन किया जो पत्नी को घरेलू गृहस्थी से बेदखली का प्रतिरोध करने की हकदार बनाती है । कानून के अनुसार साझी गृहस्थी वह है जहां पत्नी (व्यथित व्यक्ति) रहती है या इसी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी के साथ या अकेले घरेलू गृहस्थी में रह रही थी और ऐसी गृहस्थी भी सम्मिलित होगी, चाहे व्यथित व्यक्ति या ससुर द्वारा संयुक्ततः स्वामित्वाधीन हो या किराए पर लिया गया हो या उनमें से किसी एक के स्वामित्वाधीन हो या किराए पर लिया गया हो, चाहे व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी (ससुराल वाले) या संयुक्ततः या अकेले दोनों का कोई अधिकार, हक, हित या साम्या हो । प्रत्यर्थी पत्नी विवाह के पश्चात् मकान में ठहरी थी और साझी गृहस्थी में हित और ठहरने का अधिकार अर्जित कर लिया था । **एस. आर. बत्रा** (पूर्वोक्त) वाले मामले का निर्णय ऐसी स्थिति के बारे में नहीं है जहां पति (प्रत्यर्थी) विभिन्न निवास लेकर स्थिति को परिवर्तित कर रिष्टि कर रहा है और यह दावा कर अपनी पत्नी के प्रति अपने दायित्व से छुटकारा पाना चाहता है कि वह अब बेरोजगार है और उसके पास कोई निवास नहीं है । पति भी घरेलू नातेदारी के लिए साझी गृहस्थी हेतु अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन अपनी पत्नी के विधिक अधिकारों को प्रवृत्त बनाने में समर्थ बनाने के लिए कोई अभिवाक् प्रस्तुत नहीं कर रहा है । याची सं. 1, ससुर का निश्चित ही प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी है ।"

15. उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **एस. आर. बत्रा और एक अन्य** बनाम **श्रीमती तरुणा बत्रा** (पूर्वोक्त) वाले मामले में महिला संरक्षण अधिनियम की अन्य उपबंधों के अलावा साझी गृहस्थी की

परिभाषा पर विचार किया । एक समरूप प्रश्न उठा कि क्या ऐसा मकान जो अनन्यतः परिवादी की सास का है जिसमें वह केवल अपने विवाह के पश्चात् कुछ समय के लिए अपने पति के साथ रह रही थी, महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2(ध) के अधीन 'साझी गृहस्थी' की परिधि के भीतर आता है । उच्चतम न्यायालय ने अपील मंजूर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि 'प्रश्नगत मकान प्रत्यर्थी की सास का है' । यह उसके पति का नहीं है । इसलिए प्रत्यर्थी उस मकान में रहने के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती । ब्रिटिश मेट्रिमोनियल होम अधिनियम, 1967 की तरह भारत में ऐसी कोई विधि नहीं है और किसी भी दशा में ऐसे अधिकार जो किसी विधि के अधीन उपलब्ध हो सकते हैं, पति के विरुद्ध भी हो सकते हैं न कि ससुर या सास के विरुद्ध । प्रत्यर्थी श्रीमती तरुणा बत्रा के विद्वान् काउंसेल ने यह कहा कि साझी गृहस्थी की परिभाषा के अंतर्गत ऐसी गृहस्थी सम्मिलित है जहां व्यथित व्यक्ति रहती है या किसी प्रक्रम पर घरेलू नातेदारी में रह रही थी । उन्होंने दलील दी कि क्योंकि स्वीकार्यतः प्रत्यर्थी पहले प्रश्नगत संपत्ति में रह रही थी इसलिए उक्त संपत्ति उसकी साझी गृहस्थी है । उच्चतम न्यायालय ने आगे इस प्रकार यह मत व्यक्त किया :–

> "25. हम इस निवेदन से सहमत नहीं हो सकते ।
>
> 26. यदि पूर्वोक्त निवेदन को स्वीकार किया जाता है तो इसका यह अर्थ होगा कि जहां कहीं भी पति-पत्नी पहले एक साथ रह रहे थे वह संपत्ति साझी गृहस्थी हो जाती है । यह बिल्कुल संभव है कि पति और पत्नी एक साथ दर्जनों स्थानों अर्थात् पति के पिता, पति के पितामह और पितामही उनके मातामह और मातामही, चाचा, चाची, भाई, बहन, भतीजा/भतीजी आदि के साथ पर रहे हों । यदि प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा पक्षपोषित निर्वचन को स्वीकार किया जाए तो पति के नातेदारों के ये सभी मकान साझी गृहस्थी हो जाएगी और पत्नी मात्र इस कारण अपने पति के नातेदारों के इन सभी मकानों में निवास करने पर बल दे सकती है क्योंकि वह पहले इन मकानों में कुछ समय के लिए अपने पति के साथ ठहरी थी । ऐसा मत अव्यवस्था पैदा करेगा और बेतुका होगा ।
>
> 27. यह सुस्थिर है कि ऐसा कोई निर्वचन जो बेतुकापन पैदा करता है, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।
>
> 28. प्रत्यर्थी श्रीमती तरुणा बत्रा के विद्वान् काउंसेल ने नियम

की धारा 19(1)(च) का अवलंब लिया और यह दावा किया कि उसे आनुकल्पिक आवास दिया जाना चाहिए । हमारी राय में आनुकल्पिक आवास का दावा पति के विरुद्ध ही किया जा सकता है न कि ससुराल वालों या अन्य नातेदारों के विरुद्ध ।

29. अधिनियम की धारा 17(1) का जहां तक संबंध है, हमारी राय में पत्नी केवल साझी गृहस्थी में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है और साझी गृहस्थी का केवल यह अर्थ पति का या पति द्वारा किराए पर लिया गया या ऐसा मकान है, जो उस संयुक्त कुटुम्ब का है ।

30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 2(ध) में साझी गृहस्थी को उचित शब्दों में अंकित नहीं किया गया है और भद्दे प्रारूपण का परिणाम प्रतीत होता है, किंतु हमें ऐसा निर्वचन करना चाहिए जो संवेदनशील हो और जो समाज में अराजकता पैदा न करता हो ।

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील मंजूर की जाती है । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है और (श्रीमती) तरुणा बत्रा के व्यादेश आवेदन को खारिज करते हुए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आदेश को कायम रखा जाता है । खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है ।"

एस. आर. बत्रा (पूर्वोक्त) वाले मामले में अधिकथित तर्काधार को बाद में विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णयों अर्थात् हाशीर **बनाम** सीमा, 2015 (3) आर. सी. आर. (क्रि.) 683 = ए. आई. आर. 2016 केरल 2 वाले मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा, वी. पी. अनुराधा **बनाम** एस. सुगंधा और अन्य, 2015 (4) आर. सी. आर. (क्रि.) 631 = 2015 क्रि. ला ज. 3478 (मद्रास) वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा, हरीशचंद्र टंडन **बनाम** दर्पण टंडन और अन्य, 2015 (153) जी. आर. जे. 273 वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा में अनुसरण किया गया ।

16. वर्तमान मामले में याची सं. 3 पति और परिवादी पत्नी के संबंध अस्तित्व में नहीं हैं जिनके परिणामस्वरूप पक्षकारों के बीच कई मुकदमे हुए। परिवाद के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए परिवादी पत्नी और याची सं. 3 पति दोनों ने हकीकत

नगर, करनाल में अलग आवास लिया । इस पृथक् आवास में उनके ठहरने के दौरान, परिवादी पत्नी ने याची सं. 3 पति के विरुद्ध एक परिवाद दर्ज कराया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अधीन चालान किया । इसलिए पति और पत्नी दोनों के बीच मुकदमेबाजी का युद्ध आरंभ हुआ । इसके पश्चात् याची सं. 3 पति ने परिवादी पत्नी के विरुद्ध विवाह-विच्छेद कार्यवाही आरंभ की और इसके पश्चात् परिवादी पत्नी ने करनाल में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 406, 506 और आयुध अधिनियम की धारा 25/54/59 के अधीन 19 नवंबर, 2015 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 1072 दर्ज कराया ।

17. यह तर्क दिया गया कि याची सं. 3 करनाल में रह रहा है अर्थात् जैसा कि प्रत्यक्ष है कि तामिली उसी पते पर की गई थी अतः परिवादी पत्नी उसमें निवास करने की हकदार है, ऐसा तर्क है जो कायम रखे जाने योग्य नहीं है । करनाल में उक्त पते पर पति पर की गई मात्र तामिली को सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता कि वह वहां रह रहा है चूंकि उसके माता-पिता मुकदमे में पक्षकार हैं और यह कि यह उनका स्थायी पता है । तथापि, अवलंबित वेतन पर्ची याची सं. 3 को यमुना नगर में कार्य करने वाला दर्शाया गया है । इस मामले में न तो पति न ही पत्नी ऐसे प्रश्नगत मकान में रह रहे हैं, जो याची सं. 1 (ससुर) का अनन्यतः है । **एस. आर. बत्रा** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ससुर या सास के मकान को मात्र इस कारण साझी गृहस्थी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवादी पत्नी और उसके पति पहले वहां पति और पत्नी की तरह साथ-साथ रह रहे थे । उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्नी साझी गृहस्थी में ही निवास के अधिकार का दावा करने के हकदार है और साझी गृहस्थी का अभिप्राय पति का या पति द्वारा किराए पर लिया गया या ऐसा मकान है, जो ऐसे संयुक्त कुटुम्ब का है जिसका पति सदस्य है । अतः, **सुभाष और एक अन्य** बनाम **शिवानी** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय का विनिश्चय विभेदित है और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं है । पत्नी और उसके पति के अन्य संबंध के बीच घरेलू नातेदारी के मात्र अस्तित्व के कारण, पत्नी के लिए ऐसे मकान में निवास करने का दावा करने का मामला नहीं बनाएगा जो अनन्यतः पति के नातेदारों का है । साझी गृहस्थी का अर्थ पति का या पति द्वारा किराए पर लिया गया या ऐसा मकान, जो ऐसे संयुक्त कुटुम्ब का है

जिसका पति सदस्य है, लिया जाना चाहिए ।

18. पूर्वगामी चर्चा और **एस. आर. बत्रा** (पूर्वोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित विधि के विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा विरचित प्रथम प्रश्न का उत्तर परिवादी पत्नी के विरुद्ध दिया जाता है । प्रश्नगत मकान अनन्यतः याची सं. 1 (ससुर) का होने के कारण इसे महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2(ध) की परिधि के भीतर साझी गृहस्थी नहीं कहा जा सकता । परिणामतः अपील न्यायालय द्वारा पारित तारीख 8 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय को इस विस्तार तक कि परिवादी पत्नी को ऐसे प्रश्नगत मकान में निवास करने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, जो उसके ससुर का है और आगे यह कि याची सं. 1 ससुर को ऐसे प्रश्नगत मकान से हटाने से प्रतिसिद्ध नहीं किया जा सकता, जो साझी गृहस्थी नहीं है । इसके बजाए परिवादी पत्नी को आनुकल्पिक आवास या उसके बदले किराए के संदाय का दावा करने का हकदार ठहराया जाता है ।

19. विचारार्थ दूसरा प्रश्न यह है कि क्या परिवादी पत्नी भरणपोषण के रकम को बढ़ाए जाने के हकदार हैं ? विचारण न्यायालय के समक्ष फाइल परिवाद में परिवादी पत्नी ने 6,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण का दावा किया था । तथापि, किसी दस्तावेजी अभिलेख के अभाव में विचारण न्यायालय ने तारीख 20 मई, 2015 के अपने आदेश द्वारा परिवादी पत्नी को 4,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण का हकदार ठहराया । इस रकम को अपील न्यायालय द्वारा तारीख 8 मार्च, 2017 के आदेश द्वारा अपील में बढ़ाकर 6,000/- रुपए प्रतिमास किया गया । हिंदू विवाह की धारा 24 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर याची सं. 3 पति द्वारा आरंभ किए गए विवाह-विच्छेद कार्यवाही में पति को महिला संरक्षण अधिनियम के अधीन परिवादी पत्नी को प्राप्त हो रही रकम को मिलाकर भरणपोषण के रूप में 9,000/- रुपए के रकम के संदाय का निदेश दिया । तथापि, यह न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन पारित उक्त आदेश विवाह-विच्छेद के कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान ही अस्तित्व में बना रहेगा । वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण में परिवादी पत्नी भरणपोषण की रकम को बढ़ाए जाने की मांग कर रही है और अवयस्क बालिका के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमास की रकम के अलावा अपने लिए 10,000/- रुपए प्रतिमास की दावा कर रही है । परिवादी पत्नी ने यह दावा किया कि उसके पति का

वर्तमान वेतन 40,000/- रुपए प्रतिमास है और उसकी पुत्री पायल देव अंतरराष्ट्रीय स्कूल, बुटाना, जिला करनाल में कक्षा 4 में अब पढ़ रही है, जिस तथ्य पर भी भरणपोषण रकम को बढ़ाते समय विचार किया जाना चाहिए । 2017 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 1253 में सहायक प्रबंध के रूप में याची सं. 3 पति के पदभार ग्रहण करने वाला पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है, जो यह दर्शित करता है कि याची सं. 3 संदीप कुमार का मूल वेतन प्रतिवर्ष मकान किराया भत्ता 30,000/- रुपए यात्रा भत्ता प्रतिवर्ष 9,600/- रुपए चिकित्सा प्रतिवर्ष 15,000/- रुपए दोपहर का भोजन भत्ता 10,920/- रुपए व्यक्तिगत वेतन प्रतिवर्ष 18,000/- रुपए अन्य भत्ते प्रतिवर्ष 98,040/- रुपए के अलावा 1,39,980/-रुपए प्रतिवर्ष हैं । यदि मूल वेतन और व्यक्तिगत वेतन तथा अन्य भत्तों की संगणना की जाए तो यह प्रतिवर्ष 2,56,020/- रुपए आती है । उक्त पदभार ग्रहण पत्र तारीख 10 मार्च, 2015 का है, जो लगभग तीन वर्ष पुराना है, जो इस अवधि के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि और अन्य प्रोत्साहनों के रूप में बढ़ गया होगा । इसलिए यदि याची सं. 3 का कुल वेतन 3,00,000/- रुपए लगाया जाए तो माहवार वेतन 25,000/- रुपए प्रतिमास आता है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रहने की लागत और अप्राप्तवय बालिका की आवश्यकता बढ़ रही है जिसकी देखभाल परिवादी पत्नी कर रही है, को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह विचारित मत है कि न्याय का प्रयोजन तभी पूरा होगा यदि किराए के आवास (जिसके लिए उसे ससुर के मकान में निवास के बदले हकदार ठहराया गया है) और अपने भरणपोषण तथा अवयस्क बालिका के लालन-पालन के लिए परिवादी पत्नी को भरणपोषण के रूप में 15,000/- रुपए प्रतिमास अधिनिर्णीत किया जाए ।

20. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, दूसरे प्रश्न का उत्तर परिवादी पत्नी के पक्ष में दिया जाता है । परिवादी पत्नी को दांडिक पुनरीक्षण (2017 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 2471) में इस आदेश की तारीख से 15,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण का हकदार ठहराया जाता है । 15,000/- रुपए का यह रकम उस भरणपोषण रकम के समायोजन के अधीन होगा, जो परिवादी पत्नी किसी अन्य कार्यवाही में पा रही है । यह भी तर्क किया गया है कि परिवाद की तारीख से न कि आदेश की तारीख से जैसा जे.एम.आई.सी. द्वारा अनुज्ञात किया गया है, 6,000/- रुपए प्रतिमास के भरणपोषण के मंजूर करने वाला आक्षेपित आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि इसके लिए अपील न्यायालय द्वारा कोई अकाट्य

कारण नहीं दिया गया है । यह तर्क कायम रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि याची सं. 3 पति को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन, प्रतिमास 9,000/- रुपए का भरणपोषण अदा करने के दायित्व से बांध दिया गया है, जो सारतः उस रकम से अधिक है, जो अधिनिर्णीत की गई है ।

21. तद्नुसार, दोनों याचिकाओं को भागतः मंजूर किया गया ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

पा.

(2018) 1 दा. नि. प. 836 पटना

बिच्छू मंडल उर्फ विजय मंडल

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 15 सितंबर, 2017

न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र जयसवाल

दंड संहिता, 1860(1860 का 45) – धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 134] – बलात्संग – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के आधार पर दोषसिद्धि – अभियुक्त द्वारा 3 वर्षीय अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग – घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में दादी द्वारा कथन दिया जाना – साक्ष्य की गुणवत्ता – प्रतिपरीक्षा के दौरान भी साक्षी के कथन का स्पष्ट पाया जाना – आहत के रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी घटनास्थल पर पहुंची जहां उसने अभियुक्त को आहत के साथ बलात्संग करते देखा और उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर तत्काल अन्य साक्षियों के घटनास्थल पर पहुंचने से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की मौजूदगी प्रबलित होती है, ऐसी स्थिति में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के कथन के आधार पर की गई दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 – बलात्संग – आहत की वीर्य-रंजित चड्डी का न्यायालयिक प्रयोगशाला न भेजा जाना किन्तु अपीलार्थी का घटनास्थल पर ही पकड़ा जाना और आहत की दादी द्वारा बलात्संग की पुष्टि – अन्य साक्षियों द्वारा चड्डी पर वीर्य पाए जाने की संपुष्टि –

पुलिस द्वारा चड्डी का अभिगृहीत किया जाना – आहत की दादी द्वारा बलात्संग की घटना देखी गई है और अन्य साक्षियों द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किए जाने के तथ्य का समर्थन किया गया है और इस बात की पुष्टि की गई है कि आहत की चड्डी पर वीर्य पाया गया था जिसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में अन्वेषण अधिकारी द्वारा चड्डी को रासायनिक परीक्षण के लिए न भेजना अन्वेषण की खामी नहीं है इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 – बलात्संग – आहत की योनी से लिए गए लेप में शुक्राणुओं का न पाया जाना – चिकित्सक द्वारा आहत के गुप्तांग पर क्षति के चिह्नों का पाया जाना – आहत की चिकित्सा परीक्षा से चिकित्सक ने आहत के गुप्तांगों पर लालिमा और संकुचन पाया था साथ ही उसने पैरीनियम पर खरोंचें देखी थीं और यह निष्कर्ष निकाला कि आहत के साथ लैंगिक सम्पर्क हुआ है यद्यपि आहत के योनिक लेप में शुक्राणु नहीं पाए गए थे, ऐसी स्थिति में आहत के साथ बलात्संग किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना हल्का में मामला सं. 17/2013 दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध महेश मंडल पुत्र स्व. लक्ष्मण मंडल निवासी ग्राम मोरसंग चांदपुर, पुलिस थाना कुरशेला, जिला कटिहार द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2013 को दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया जिसमें यह अभिकथन किया गया कि तारीख 19 जनवरी, 2013 को लगभग 5 बजे अपराह्न में अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल ने उसकी पुत्री मौसम कुमारी, आयु 3 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया । इसी दौरान उसकी माता अर्थात् बसिया देवी, जो अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, बिच्छू मंडल के घर मौसम कुमारी द्वारा शोर मचाने पर पहुंची और उसने अभियुक्त को मौसम कुमारी के साथ बलात्संग करते हुए देखा । इसके पश्चात् उसकी माता ने शोर मचाया जिसे सुनकर वे और ग्रामवासी वहां पहुंचे और बिच्छू मंडल को पकड़ लिया और तारीख 20 जनवरी, 2013 को उसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया । उक्त मामले का अन्वेषण पुलिस द्वारा किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र और केस डायरी प्राप्त होने और उसका परिशीलन करने पर

विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया और मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया और स्थानांतरण होने पर मामला अन्त में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-I, कटिहार के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 376 के अधीन दोषी पाया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि इस मामले में सात मुख्य साक्षी हैं । उपरोक्त साक्षियों में बसिया देवी ऐसी साक्षी है जिसने अभियुक्त को आहत के साथ बलात्संग करते हुए देखा है और शेष साक्षी घटनास्थल पर तब पहुंचे हैं जब बसिया देवी द्वारा घटना को देखकर शोर मचाया गया है और घटनास्थल पर अभियुक्त को पकड़ा गया है । चूंकि बसिया देवी (अभि. सा. 7) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना के दिन और समय पर अभियुक्त बिच्छू मंडल उसकी पौत्री (मौसम कुमारी) के साथ सड़क पर खेल रहा था जो कि बसिया देवी के मकान के सामने है और इसी दौरान अभियुक्त उसकी पोत्री को अपने घर ले गया जो उसके मकान से 10 कदम की दूरी पर बराबर में ही स्थित है । मौसम कुमारी रोने-चिल्लाने लगी थी । इसके पश्चात् इस आवाज को सुनकर बसिया देवी बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के घर दौड़कर गई और उसने विजय मंडल को मौसम कुमारी के साथ बिस्तर पर बलात्संग करते हुए देखा और उस समय मौसम कुमारी तेज आवाज से रो रही थी । बसिया देवी द्वारा चीख-पुकार किए जाने पर उसके परिवार के सदस्य और ग्रामवासी वहां पहुंचे । बिच्छू मंडल ने भागने का प्रयास किया किन्तु उसे ग्रामवासियों ने पकड़ लिया। पुलिस थाने में सूचना दिए जाने पर, पुलिस वहां पहुंची और बिच्छू मंडल को पुलिस थाने ले गई । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से कोई भी ऐसी तर्कसम्मत सामग्री उद्धृत नहीं की गई है जिससे घटना के समय घटनास्थल पर उक्त साक्षी की मौजूदगी और उसके द्वारा इस घटना को देखे जाने से इनकार किया जा सके । इस प्रकार, अभि. सा. 7 के

उपरोक्त परिसाक्ष्य का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है । यह विधि की सुस्थिर स्थिति है कि साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है न कि साक्ष्य की मात्रा । यदि केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य संगत, विश्वासप्रद और विश्वसनीय है, तब उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । (पैरा 14)

इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि आहत की दादी (अभि. सा. 7) ने आहत के साथ अभियुक्त द्वारा कारित की गई बलात्संग की घटना का समर्थन किया है और अन्य अभियुक्तों ने अभियुक्त के फरार होने के दौरान घटनास्थल पर अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के तथ्य का समर्थन किया है और इसकी भी पुष्टि की है कि आहत की चड्डी पर वीर्य पाया गया था और वह चड्डी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । यद्यपि वीर्य-रंजित आहत की चड्डी अन्वेषण अधिकारी द्वारा रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजी गई थी और इससे अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई गलती और खामी प्रतीत होती है, फिर भी इससे अभियोजन पक्षकथन की गुणता प्रभावित नहीं होती है । (पैरा 19)

आहत की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श 1) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि डा. अभिलाषा कुमारी द्वारा आहत की चिकित्सा परीक्षा कराई गई थी और चिकित्सक ने आहत के गुप्तांगों पर लालिमा और संकुचन पाया था साथ ही उसने आधा इंच के आकार में पैरीनियम पर खरोंचें पाई थीं जो कि चिकित्सक की राय के अनुसार आहत के साथ लैंगिक सम्पर्क स्थापित करने से कारित हुई थी । उक्त क्षति रिपोर्ट को इस मामले में परीक्षा कराए गए साक्षी अभि. सा. 1 द्वारा साबित किया गया है । इस प्रकार, अभियोजन के उपरोक्त प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है । यद्यपि, आहत की योनिक लेप में कोई भी शुक्राणु नहीं पाए गए थे किन्तु न्यायालय की सुविचारित राय में उपरोक्त पहलू में ऐसा कोई सार नहीं है जिसके आधार पर आहत के साथ बलात्संग किए जाने की घटना से इनकार किया जा सके । (पैरा 20)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2004] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1497 : **अमन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य;** 21

[1996] (1996) 6 एस. सी. सी. 29 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **बाबुल नाथ** । 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक (एकल) अपील सं. 568.

2013 के सेशन विचारण मामला सं. 167 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-I, कटिहार द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2014 के दोषसिद्धि के आदेश और तारीख 27 जनवरी, 2014 को पारित दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अरुण कुमार त्रिपाठी (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री आभा सिंह (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति प्रकाश चन्द्र जयसवाल – अपीलार्थी की ओर से विद्वान् न्यायमित्र तथा राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक की सुनवाई की गई है ।

2. यह अपील पुलिस थाना हल्का में दर्ज कराए गए मामला सं. 17/2013 से उद्भूत 2013 के सेशन विचारण मामला सं. 167 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-I, कटिहार द्वारा तारीख 21 जनवरी, 2014 के दोषसिद्धि के आदेश और तारीख 27 जनवरी, 2014 को पारित उस दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है और 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है ।

3. इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना हल्का में मामला सं. 17/2013 दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध महेश मंडल पुत्र स्व. लक्ष्मण मंडल निवासी ग्राम मोरसंग चांदपुर, पुलिस थाना कुरशेला, जिला कटिहार द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2013 को दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किया गया जिसमें यह अभिकथन किया गया कि तारीख 19 जनवरी, 2013 को लगभग 5 बजे अपराह्न में अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल ने उसकी पुत्री मौसम कुमारी, आयु 3 वर्ष को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया । इसी दौरान उसकी माता अर्थात् बसिया देवी, जो अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, बिच्छू मंडल के घर मौसम कुमारी

द्वारा शोर मचाने पर पहुंची और उसने अभियुक्त को मौसम कुमारी के साथ बलात्संग करते हुए देखा । इसके पश्चात् उसकी माता ने शोर मचाया जिसे सुनकर वे और ग्रामवासी वहां पहुंचे और बिच्छू मंडल को पकड़ लिया और तारीख 20 जनवरी, 2013 को उसे पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. उक्त मामले का अन्वेषण पुलिस द्वारा किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

5. आरोप पत्र और केस डायरी प्राप्त होने और उसका परिशीलन करने पर विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया और मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया और स्थानांतरण होने पर मामला अन्त में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश-I, कटिहार के समक्ष विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया ।

6. अभियुक्त बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया जिस पर उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की ।

7. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन सिद्ध करने के लिए कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा कराई जिनमें डा. अभिलाषा कुमारी (अभि. सा. 1), रामरूप साह (अभि. सा. 2), कंचन देवी (अभि. सा. 3), प्रकाश मंडल (अभि. सा. 4), मन्टू मंडल (अभि. सा. 5), हीरा लाल मंडल (अभि. सा. 6), बसिया देवी (अभि. सा. 7), इत्तिलाकर्ता महेश मंडल (अभि. सा. 8), अन्वेषण अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज खान (अभि. सा. 9), अजय कुमार मंडल (अभि. सा. 10) और पलटू मंडल (अभि. सा. 11) हैं । उपरोक्त साक्षियों में से अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 औपचारिक साक्षी हैं ।

8. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया । प्रतिरक्षा पक्ष ने अपनी प्रतिरक्षा में केवल घटना के घटित होने से पूर्णतया इनकार किया है और निर्दोष होने का दावा किया है । अभियुक्त ने अपने पक्षकथन के समर्थन में कोई भी प्रत्यक्ष या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

9. पक्षकारों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय पारित किया और दोषसिद्धि

का आदेश तथा दंडादेश विस्तार से पारित किया जैसा कि पूर्वगामी पैराओं में उल्लिखित है ।

10. दोषसिद्धि के उपरोक्त आदेश और दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्त बिच्छू मंडल उर्फ विजय मंडल ने दांडिक अपील प्रस्तुत की है ।

11. इस मामले में विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है या नहीं ।

12. अपीलार्थी के विद्वान् न्यायमित्र द्वारा यह दलील दी गई है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा कराए गए साक्षियों में कोई भी साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । चिकित्सक ने भी आहत के योनिक लेप में शुक्राणु नहीं पाए हैं, इसलिए दंड संहिता की धारा 376 के अधीन कोई भी अपराध नहीं बनता है । विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से मूल्यांकन किए बिना अपीलार्थी को बलात्संग कारित करने के लिए गलत दोषसिद्ध किया है जो कि अपीलार्थी द्वारा वास्तव में कारित ही नहीं किया गया है ।

13. दूसरी ओर, विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश की शुद्धता और विधिमान्यता का समर्थन करते हुए यह दलील दी है कि बसिया देवी (अभि. सा. 7) आहत की दादी है जो कि इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । इस साक्षी ने अभियुक्त को अप्राप्तवय कन्या के साथ, जिसकी आयु लगभग 3 वर्ष थी, बलात्संग करते हुए देखा है और इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन निरन्तर रूप से किया है । चिकित्सक ने आहत की चिकित्सा परीक्षा के आधार पर यह पाया है कि आहत के साथ लैंगिक सम्पर्क स्थापित किए जाने के चिह्न दिखाई देते हैं । इसलिए, दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्संग कारित करने का अपराध अपीलार्थी के विरुद्ध साबित होता है । और विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा तथ्यों का ठीक ही मूल्यांकन किया है और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश ठीक ही पारित किया है जो कि कायम रखा जाना चाहिए और इस अपील में कोई सार नहीं है तथा यह खारिज की जानी चाहिए ।

14. अभिलेख का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि इस

मामले में सात मुख्य साक्षी हैं । उपरोक्त साक्षियों में बसिया देवी (अभि. सा. 7) ऐसी साक्षी है जिसने अभियुक्त को आहत के साथ बलात्संग करते हुए देखा है और शेष साक्षी घटनास्थल पर तब पहुंचे हैं जब बसिया देवी द्वारा घटना को देखकर शोर मचाया गया है और घटनास्थल पर अभियुक्त को पकड़ा गया है । चूंकि बसिया देवी (अभि. सा. 7) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि घटना के दिन और समय पर अभियुक्त बिच्छू मंडल उसकी पौत्री (मौसम कुमारी) के साथ सड़क पर खेल रहा था जो कि बसिया देवी के मकान के सामने है और इसी दौरान अभियुक्त उसकी पोत्री को अपने घर ले गया जो उसके मकान से 10 कदम की दूरी पर बराबर में ही स्थित है । मौसम कुमारी रोने-चिल्लाने लगी थी । इसके पश्चात् इस आवाज को सुनकर बसिया देवी बिच्छू मंडल **उर्फ** विजय मंडल के घर दौड़कर गई और उसने विजय मंडल को मौसम कुमारी के साथ बिस्तर पर बलात्संग करते हुए देखा और उस समय मौसम कुमारी तेज आवाज से रो रही थी । बसिया देवी द्वारा चीख-पुकार किए जाने पर उसके परिवार के सदस्य और ग्रामवासी वहां पहुंचे । बिच्छू मंडल ने भागने का प्रयास किया किन्तु उसे ग्रामवासियों ने पकड़ लिया । पुलिस थाने में सूचना दिए जाने पर, पुलिस वहां पहुंची और बिच्छू मंडल को पुलिस थाने ले गई । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गई है किन्तु प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से कोई भी ऐसी तर्कसम्मत सामग्री उद्धृत नहीं की गई है जिससे घटना के समय घटनास्थल पर उक्त साक्षी की मौजूदगी और उसके द्वारा इस घटना को देखे जाने से इनकार किया जा सके । इस प्रकार, अभि. सा. 7 के उपरोक्त परिसाक्ष्य का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से समर्थन किया है । यह विधि की सुस्थिर स्थिति है कि साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है न कि साक्ष्य की मात्रा । यदि केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का परिसाक्ष्य संगत, विश्वासप्रद और विश्वसनीय है, तब उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

15. आहत लगभग 3 वर्ष की एक अप्राप्तवय कन्या प्रतीत होती है । अभिलेख के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि आहत को न्यायालय में उसकी माता ने अपनी गोद में लेकर पेश किया है । न्यायालय ने आहत से पूछताछ की है और यह निष्कर्ष निकाला है कि वह न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने के योग्य नहीं है । इसीलिए, न्यायालय द्वारा उसका साक्ष्य अभिलिखित नहीं किया गया ।

16. कंचन देवी (अभि. सा. 3), जो आहत की माता है और महेश मंडल (अभि. सा. 8) जो इत्तिलाकर्ता है और आहत का पिता है, के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने का असफल प्रयास किया है जबकि उन्होंने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया है । किन्तु बसिया देवी (अभि. सा. 7) के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने से यह प्रतीत होता है कि वे अभियुक्त द्वारा आहत के साथ कारित किए गए बलात्संग की घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं जैसा कि अभि. सा. 7 की मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में कथन किया गया है कि उसने घटना देखकर शोर मचाया था और इस शोर की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य तथा ग्रामवासी दौड़कर वहां पहुंचे और इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में यह कथन किया है कि चीख-पुकार की आवाज सुनकर वह पहले तो बिच्छू मंडल के घर पहुंची और उसके बाद उसका पुत्र और पुत्रवधु वहां पहुंचे । अभि. सा. 7 के उपरोक्त परिसाक्ष्य से यह भी उपदर्शित होता है कि 'अभि. सा. 3 और अभि. सा. 8', अभि. सा. 7 के घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् एक साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे । कंचन देवी (अभि. सा. 3) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यह कथन किया है कि जब वह अभियुक्त के घर पहुंची थी उस समय वह उसकी पुत्री के साथ बलात्संग कर चुका था । अभि. सा. 7 और अभि. सा. 3 के उपरोक्त परिसाक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि उपरोक्त दोनों साक्षियों ने, अर्थात् कंचन देवी (अभि. सा. 3) और इत्तिलाकर्ता महेश मंडल (अभि. सा. 8), अभियुक्त द्वारा आहत के साथ बलात्संग कारित किए जाने की घटना नहीं देखी है बल्कि उक्त साक्षियों के परिसाक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि उन्होंने अभियुक्त को घटनास्थल से भागते हुए देखा था ।

17. रामरूप साह (अभि. सा. 2), प्रकाश मंडल (अभि. सा. 4), मन्टू मंडल (अभि. सा. 5) और हीरा लाल मंडल (अभि. सा. 6) के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि इन साक्षियों ने भी अभियुक्त द्वारा आहत के साथ बलात्संग होते हुए नहीं देखा है क्योंकि ये साक्षी आहत के ग्रामवासी हैं और बसिया देवी (अभि. सा. 7) के साक्ष्य के अनुसार ये साक्षी बसिया देवी द्वारा चीख-पुकार किए जाने पर घटनास्थल पर पहुंचे थे । स्वयं रामरूप साह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह और ग्रामवासी बसिया देवी (अभि. सा. 7) द्वारा किए गए शोर की आवाज

सुनकर घटनास्थल पर तुरन्त पहुंचे थे । मन्टू मंडल (अभि. सा. 5) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यह कथन किया है कि जब वह चीख-पुकार सुनकर बिच्छू मंडल के घर पहुंचा था तब उसने देखा कि अभियुक्त मौसम कुमारी के साथ बलात्संग कर चुका है । इसी प्रकार, हीरा लाल मंडल (अभि. सा. 6) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब उसने बिच्छू मंडल के घर में प्रवेश किया था, तब उसने देखा कि बिच्छू मंडल मौसम कुमारी के साथ बलात्संग कर चुका है । यद्यपि प्रकाश मंडल (अभि. सा. 4) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब वह ग्रामवासियों के साथ बिच्छू मंडल के घर पर पहुंचा था, तब बिच्छू मंडल मौसम कुमारी के साथ बलात्संग कर रहा था किन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब वहां अनेक व्यक्ति एकत्र हो गए थे और ग्रामवासियों ने बिच्छू मंडल को पकड़ रखा था ।

18. अभि. सा. 2 ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 1 में यह कथन किया है कि वीर्य गिरा हुआ था । कंचन देवी (अभि. सा. 3) ने अपनी मुख्य परीक्षा के पैरा 2 में यह कथन किया है कि उसकी पुत्री के वस्त्रों पर वीर्य लगा हुआ था और महेश मंडल (अभि. सा. 8) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में यह कथन किया है कि पुलिस ने आहत की चड्डी अभिगृहीत की थी । अन्वेषण अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज खान (अभि. सा. 9) के परिसाक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण अधिकारी ने यह कथन किया है कि आहत की दादी ने आहत की चड्डी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की थी जो उसने अभिगृहीत की और अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 4) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि वीर्य लगी हुई आहत की चड्डी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और यह चड्डी घटना के समय घटनास्थल से ही अभिगृहीत की गई थी ।

19. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के उपरोक्त साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि आहत की दादी (अभि. सा. 7) ने आहत के साथ अभियुक्त द्वारा कारित की गई बलात्संग की घटना का समर्थन किया है और अन्य अभियुक्तों ने अभियुक्त के फरार होने के दौरान घटनास्थल पर अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के तथ्य का समर्थन किया है और इसकी भी पुष्टि की है कि आहत की चड्डी पर वीर्य पाया गया था और वह चड्डी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत की गई थी । यद्यपि वीर्य-

रंजित आहत की चड्डी अन्वेषण अधिकारी द्वारा रासायनिक परीक्षण के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजी गई थी और इससे अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई गलती और खामी प्रतीत होती है, फिर भी इससे अभियोजन पक्षकथन की गुणता प्रभावित नहीं होती है ।

20. आहत की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श 1) का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि डा. अभिलाषा कुमारी द्वारा आहत की चिकित्सा परीक्षा कराई गई थी और चिकित्सक ने आहत के गुप्तांगों पर लालिमा और संकुचन पाया था साथ ही उसने आधा इंच के आकार में पैरीनियम पर खरोंचें पाई थीं जो कि चिकित्सक की राय के अनुसार आहत के साथ लैंगिक सम्पर्क स्थापित करने से कारित हुई थी । उक्त क्षति रिपोर्ट को इस मामले में परीक्षा कराए गए साक्षी अभि. सा. 1 द्वारा साबित किया गया है । इस प्रकार, अभियोजन के उपरोक्त प्रत्यक्ष परिसाक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है । यद्यपि, आहत की योनिक लेप में कोई भी शुक्राणु नहीं पाए गए थे किन्तु मेरी सुविचारित राय में उपरोक्त पहलू में ऐसा कोई सार नहीं है जिसके आधार पर आहत के साथ बलात्संग किए जाने की घटना से इनकार किया जा सके ।

21. **उत्तर प्रदेश** बनाम **बाबुल नाथ**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि बलात्संग का अपराध गठित होने के लिए यह किसी भी प्रकार आवश्यक नहीं है कि योनिच्छद विदीर्ण करते हुए और वीर्य निष्कासन के साथ योनि में शिश्न की प्रविष्टि हो । शिश्न का केवल आंशिक या थोड़ा-बहुत प्रवेशन बाह्य कपाट में होना या वीर्य का निष्कासित न होना या आहत के गुप्तांग में प्रवेशन का प्रयास करना दंड संहिता की धारा 375 और 376 के प्रयोजनार्थ अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है । ऐसा होने पर यह पूर्णतया संभव है कि बलात्संग का अपराध गुप्तांग को बिना कोई क्षति पहुंचाए या वीर्य निष्कासन के बिना भी कारित किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अमन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[2] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया है कि बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य निष्कासन के साथ शिश्न का पूर्ण रूप से प्रवेशन हो और योनिच्छद

---

[1] (1996) 6 एस. सी. सी. 29.

[2] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1497.

विदीर्ण हो । भाग के बाह्य कपाट में आंशिक प्रवेशन चाहे वीर्य निष्कासन हो या नहीं, बलात्संग का अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है । दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध में प्रवेशन की गहराई महत्वपूर्ण नहीं है ।

22. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए, मेरा यह निष्कर्ष है और मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि अभियोजन पक्ष ने ऐसे अपीलार्थी द्वारा लगभग 3 वर्ष की अप्राप्तवय कन्या के साथ बलात्संग कारित करने का अपराध विश्वसनीय, विश्वासप्रद, तर्कसम्मत और युक्तियुक्त, प्रत्यक्षदर्शी तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सफलतापूर्वक सिद्ध किया है जो उस कन्या को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया था । इसलिए, विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश किसी भी कमी और अनुचितता से ग्रसित नहीं है और इसमें इस न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है और यह आक्षेपित निर्णय कायम रखा जाता है । इस अपील में कोई सार नहीं है और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

23. पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा विहित की गई सेवा-शुल्क न्यायमित्र को संदाय की जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

सुरेन्द्र त्रिलोकी यादव

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 12 दिसम्बर, 2017

मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 6, 8] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अंतिम बार देखे जाने की कहानी – अभियुक्त के बारे में मृतक की हत्या किए जाने का अभिकथन किया जाना – इत्तिला देने वाले द्वारा यह साक्ष्य दिया जाना कि मृतक रात्रि में अभियुक्त के साथ अपने घर से चला था और दूसरे दिन प्रातः मृतक का शव बरामद हुआ था – साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने मृतक और अभियुक्त-अपीलार्थियों को मध्यरात्रि में एकसाथ जाते हुए देखा गया तथा सभी अभियुक्त-अपीलार्थी रायफल और बन्दूकों से लैस थे – दो साक्षी जिन्होंने मृतक व अभियुक्त को अंतिम बार देखा, गोली की आवाज सुनी – जहां मामले में अभिलेख पर अभियुक्तों को मिथ्या फंसाए जाने का साक्ष्य नहीं है और चिकित्सा साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि मृतक की मृत्यु गोली लगने से हुई और परिस्थितियों की शृंखला पूरी है वहां पर अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित है ।

अभियोजन का पक्षकथन यह है कि बालेश्वर यादव ने पुलिस अस्थामा के उप निरीक्षक के समक्ष तारीख 12 मई, 1992 को फर्द बयान अभिलिखित किया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इत्तिला देने वाले की यह शिकायत थी कि उसका छोटा भाई अर्थात् बिन्दा यादव अपने ससुराल से अपने ग्राम पर पहुंचा था और तारीख 11 मई, 1992 को उसका मित्र और वर्तमान अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव 8 बजे अपराह्न उनके मकान पर पहुंचे और बिन्दा यादव से चलने के लिए कहा और रात्रि में अपने मकान में रुकने के लिए भी कहा गया । भोजन करने के पश्चात् बिन्दा यादव सुरेन्द्र यादव के साथ उसके मकान पर गया और प्रातः यह कथन किया कि इत्तिला देने वाले ने अपने छोटे भाई बिन्दा यादव के शव के बारे में सूचित किया था जो उस क्षेत्र के नजदीक खाई में

पाया गया था । यह कहा गया था कि बिन्दा यादव की अभियुक्त-अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव के साथ रामदेव यादव, त्रिलोकी यादव, सुरेश यादव, बिन्देश्वर यादव, गोपाल यादव और ललन यादव द्वारा हत्या की गई थी । उन सभी को पूर्वोक्त अपराध के लिए अभियोजित किया गया था । सुरेन्द्र यादव को दोषसिद्ध किया गया जिस पर उसने यह अपील फाइल की है और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 7 इत्तिला देने वाला है और उसने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि तारीख 11 मई, 1992 को शाम के समय लगभग 8 बजे अपराह्न अपीलार्थी उसके मकान पर पहुंचा और मृतक बिन्दा यादव से अपने मकान पर चलने के लिए अनुरोध किया । खाना खाने के पश्चात् मृतक बिन्दा यादव सुरेन्द्र यादव के साथ उसके मकान पर गया और इसके पश्चात् वह नहीं लौटा, परन्तु प्रातः उसके शव को बरामद किया गया था । जांच करने पर इत्तिला देने वाला अभि. सा. 7 ने यह बताया था कि उसके भाई बिन्दा यादव की भैंस या गाय की चोरी के संबंध में कुछ विवाद होने के कारण अपीलार्थी और उसके मित्रों द्वारा उसकी हत्या की गई थी । राम प्रवेश यादव (अभि सा. 1) और यादू यादव (अभि. सा. 5) ने अपने कथन में अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव के साथ मृतक को राम यादव के चबूतरे पर देखे जाने के बारे में कथन किया जहां मृतक बिन्दा यादव सामूहिक गाना गा रहा था । इन साक्षियों ने यह भी कथन किया है कि अन्य अभियुक्त व्यक्ति उस गाने का आनन्द लेने के लिए चबूतरे पर देखे गए थे और वे बन्दूक, रायफल और लाठियों से भी लैस थे । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने यह बताया है कि वे लगभग 11.30 बजे रात्रि में खेत की ओर गए और उसने यह भी देखा कि सभी अभियुक्त व्यक्ति मृतक बिन्दा यादव के साथ जा रहे थे और इसके पश्चात् उसने तत्काल बन्दूक की गोली की आवाज सुनी । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 यादू यादव ने अपने-अपने कथन में यह संगत बात की और उन दोनों ने यह बताया कि मृतक रात्रि में सुरेन्द्र यादव और अन्य व्यक्तियों के साथ देखा गया था । अभि. सा. 5 ने अपने कथन के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वह टार्च लेकर रात्रि में अपने कृषि खेत की ओर जा रहा था तब टार्च के प्रकाश में उसने सुरेन्द्र यादव को रायफल से और अन्य सह-अभियुक्तों को बन्दूक और लाठियों से लैस हुआ देखा जो ग्राम के उत्तर की ओर जा रहे थे और बिन्दा

यादव भी उनके साथ था । इसके पश्चात् उसने उस क्षेत्र से गोली चलने की आवाज सुनी जहां वे लोग गए थे तथा बिन्दा यादव का शव उस स्थान से प्रातः बरामद किया गया था । इस साक्ष्य का सार यह है जो अभिलेख पर प्रकट है तथा विद्वान् रिट न्यायालय ने इन आधारों पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया । तथापि, विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर जोर देने का प्रयास किया कि यद्यपि सभी अन्य छह अभियुक्त व्यक्ति अपीलार्थी के साथ देखे गए थे परन्तु उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया और इसलिए, अपीलार्थी भी वैसे ही उपचार पाने के हकदार हैं । मात्र इस कारण विचारण न्यायालय अन्य सह-अभियुक्तों को गलत रीति या अवैध तरीके से दोषमुक्त कर दिया गया और यदि राज्य सरकार ने उनकी दोषमुक्ति को चुनौती देने के लिए अपील फाइल नहीं की है तो अपीलार्थी को फायदा नहीं दिया जा सकता और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिशीलन करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि फर्द बयान के कारण ही जिसका उल्लेख नहीं किया गया अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 ने रात्रि में मृतक को ले जाते हुए अभियुक्तों को देखा था, उन्हें फायदा दिया गया परन्तु वर्तमान अपीलार्थी के मामले में वशीभूत करने वाला साक्ष्य यह है कि जो स्पष्ट रूप से अभिलेख पर प्रकट हुआ है और जिससे यह दर्शित होता है कि यह अपीलार्थी मृतक के घर पर पहुंचा लतिका देवी (अभि. सा. 4), रजिया देवी (अभि. सा. 6) उस बात के साक्षी हैं और अभि. सा. 7 इत्तिला देने वाले ने यह भी साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी उनके मकान पर पहुंचा और अपने मकान पर रुकवाने के लिए बिन्दा यादव को लेकर गया । अभि. सा. 5 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि अपराध कारित करने का हेतु यह है कि अपीलार्थी को यह आशंका थी कि अपीलार्थी की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध थे, इसलिए, उसने यह अपराध किया था । (पैरा 8)

इस विवाद को छोड़कर कि मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी और मृतक दोस्त थे और एक दूसरे को जानते थे । न्यायालय की जानकारी में इस बारे में कुछ भी नहीं लाया गया कि जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलिखित साक्षियों के कथन विशिष्ट रूप से राम प्रवेश यादव (अभि. सा. 1), लाखन यादव (अभि. सा. 2) और यादू यादव (अभि. सा. 5) के कथनों पर अविश्वास किया जाना चाहिए । मृतक के घर पर अपीलार्थी के आने के बारे में तथ्य जिस पर उसने अपने घर ले जाना लतिका देवी (अभि. सा. 4) रजिया देवी (अभि. सा. 6) और इत्तिला देने वाला बालेश्वर यादव (अभि. सा. 7) के कथन में

साबित हुआ है । मृतक घटना की तारीख को अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के साथ चबूतरे पर अपीलार्थी के साथ दिखाई दिया था जिस बात की भी राम प्रवेश यादव (अभि. सा. 1) लाखन यादव (अभि. सा. 2) और यादू यादव (अभि. सा. 5) के कथनों से पुष्टि हुई है । इसके पश्चात् लाखन यादव (अभि. सा. 2) और यादू यादव (अभि. सा. 5) ने अपीलार्थी के संग मृतक को देखा जो रायफल लिए हुए ग्राम के उत्तरी दिशा की ओर जा रहा था जहां से प्रातः उसके शव की बरामदगी हुई थी । ये सारी परिस्थितियां अभिलेख पर प्रकट हैं और यदि हम उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की पृष्ठभूमि में उक्त परिस्थितियों का विश्लेषण करें जिसमें पारिस्थितिक साक्ष्य दोषसिद्धि के सिद्धांत अभिकथित किए गए हैं, हमने यह निष्कर्ष निकाला कि परिस्थिति की श्रृंखला हर तरह से पूरी तरह जुड़ी हैं और पूर्ण हैं । एक अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि मामले में दोषसिद्धि के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की सभी अध्यपेक्षाएं पूरा होना कब कहा जा सकता है । सिद्धांत के पैरा 10 में निम्नलिखित रीति अभिलिखित की गई है कि तथ्यात्मक सूत्र से यह दर्शित होता है कि अभियोजन मामला सम्पूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य की ओर इंगित करता है । जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है तब न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि (1) परिस्थितियां जिनसे दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकलता हो और उन्हें अकाट्य रूप से तथा दृढ़तापूर्वक साबित होना चाहिए ; (2) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अभियुक्त की दोषिता की ओर अचूक रूप से इंगित करती हों ; (3) परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है उनकी श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार न बचे कि सम्पूर्ण मानवीय संभावनाओं में वह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा न कि किसी और द्वारा ; और (4) दोषसिद्धि कायम रखे जाने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य पूरा होना चाहिए और अभियुक्त के दोषिता के अलावा किसी अन्य कल्पना के स्पष्टीकरण देने में समर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता के केवल संगत होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता के संगत होना चाहिए । (पैरा 9)

यदि वर्तमान मामले में साक्ष्य का पूर्वोक्त सिद्धांत के पृष्ठभूमि में विश्लेषण किया जाता है तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में परिस्थितियां पूर्ण हैं और यह एक ऐसा मामला है जहां इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए साक्षियों के अभिसाक्ष्य का अवलंब लिया

जा सकता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी है । इसके पश्चात् इसी निर्णय के पैरा 21 और 22 में विद्वान् न्यायालय ने किए जाने वाले अपराध की उपधारणा के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपधारित करने के लिए सिद्धांत अभिकथित किया है और समय के बीच निकटता के बारे में तथ्य जिसमें अपराध किया गया है और अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य का सह संबंध है । एक अन्य मामले में अन्तिम बार देखे जाने की कहानी की ब्यौरेवार चर्चा की गई और अभिकथित सिद्धांत यह है कि यदि आसन्न मृत्यु हुई है, आहत अभियुक्त के साथ अन्तिम बार देखा गया का साक्ष्य उपलब्ध है तो इस बात से यह पर्याप्त है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित किया जाए । यदि वर्तमान मामले में साक्ष्य जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई कि पूर्वोक्त विधिक सिद्धांत की पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया जाए जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया है तब हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी मृतक के घर पर रात्रि में लगभग 8.30 बजे गया था और उसे अपने मकान पर लाया । साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक अपीलार्थी के साथ उसके घर पर रात्रि में गाना गाता हुआ दिखाई दिया था । उसके पश्चात् अपीलार्थी को अपने हाथ में रायफल के साथ ग्राम के विशिष्ट स्थान की ओर जाते हुए देखा गया था तथा मृतक भी उसके साथ जाते हुए देखा गया । इसके पश्चात्, साक्षियों के कथनों से यह दर्शित हुआ है कि उन्होंने बंदूक से गोलियां चलाए जाने की आवाज भी सुनी और प्रातः मृतक का शव बरामद किया गया था । चिकित्सा साक्ष्य से मृत्यु का कारण अग्न्यायुध का इस्तेमाल रहा है । हमारा यह मत है कि ये पारिस्थितिक साक्ष्य हैं जिनसे यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि अपीलार्थी जो आरोप उसके विरुद्ध लगाए गए, उनका दोषी है और हमें मामले में कोई दंड मोचन का कारण दिखाई नहीं देता । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विस्तृत रूप से साक्ष्य का विश्लेषण किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी अपराध कारित किए जाने के लिए जिम्मेदार है और हमें मामले में कोई गलती दिखाई नहीं देती जिससे कि मामले में कोई भिन्न मत अपनाना आवश्यक हो । तद्नुसार, फाइल की गई अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और उसे खारिज किया जाता है । अपीलार्थी जमानत पर है, उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और उसे तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए जिससे कि वह शेष दंड भोगे । (पैरा 11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 11 एस. सी. सी. 43 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 1012 :
राजा उर्फ **राजिंद्र** बनाम **हरियाणा राज्य ;** 9

[2015] (2015) 11 एस. सी. सी. 178 =
ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 1418 :
कीर्तिपाल बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ;** 11

[2007] (2007) 13 एस. सी. सी. 90 =
ए. आई. आर. 2006 एस. सी. (सप्ली.) 190 :
उजागर सिंह बनाम **पंजाब राज्य ;** 10

[1995] (1995) सप्ली. 4 एस. सी. सी. 259 =
ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 607 :
बलविन्दर सिंह बनाम **पंजाब राज्य ।** 10

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1994 की दांडिक अपील (डी.बी) सं. 166.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के साथ पठित धारा 389 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ए. एन. सामसी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन ने दिया ।

मु. न्या. मेनन – अपीलार्थी ने 1992 के सेशन विचारण सं. 565 में सेशन न्यायाधीश, नालंदा, बिहार शरीफ द्वारा तारीख 11 मार्च, 1994 को पारित की गई दोषसिद्धि को चुनौती दी है जिसमें उसे दंड संहिता की धारा 302/34 और 201/34 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया गया और उसे क्रमशः कठोर आजीवन कारावास और 7 वर्ष के कठोर कारावास से भी दंडादिष्ट किया गया, यह अपील अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के साथ पठित धारा 389 के अधीन फाइल की गई है ।

2. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि बालेश्वर यादव (अभि. सा. 7) ने पुलिस उपनिरीक्षक अस्थामा के समक्ष तारीख 12 मई, 1992 को फर्द बयान अभिलिखित किया था जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इत्तिला देने वाले की यह शिकायत थी कि उसका छोटा भाई अर्थात् बिन्दा यादव अपने ससुराल से अपने ग्राम पर पहुंचा था और तारीख 11 मई, 1992 को उसका मित्र और वर्तमान अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव 8 बजे अपराह्न उनके मकान पर पहुंचे और बिन्दा यादव से चलने के लिए कहा और रात्रि में अपने मकान में रुकने के लिए भी कहा गया । भोजन करने के पश्चात् बिन्दा यादव सुरेन्द्र यादव के साथ उसके मकान पर गया और प्रातः यह कथन किया कि इत्तिला देने वाले ने अपने छोटे भाई बिन्दा यादव के शव के बारे में सूचित किया था जो उस क्षेत्र के नजदीक खाई में पाया गया था । यह कहा गया था कि बिन्दा यादव की अभियुक्त अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव के साथ रामदेव यादव, त्रिलोकी यादव, सुरेश यादव, बिन्देश्वर यादव, गोपाल यादव और ललन यादव द्वारा हत्या की गई थी । उन सभी को पूर्वोक्त अपराध के लिए अभियोजित किया गया था । सुरेन्द्र यादव को दोषसिद्ध किया गया जिस पर उसने यह अपील फाइल की है और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया ।

3. हमारे समक्ष अपीलार्थी का मामला यह है कि सम्पूर्ण दोषसिद्धि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है अर्थात् उस साक्ष्य का यह प्रभाव है कि अपीलार्थी बिन्दा यादव से अपने घर चलने का अनुरोध किया गया था । वह उसके मकान पर गया और लाखन यादव (अभि. सा. 2), यादू यादव (अभि. सा. 5) की भांति कतिपय साक्षी ने अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव और अन्य छह अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मृतक बिन्दा यादव को देखा था । हमने साक्ष्य के माध्यम से इस बात पर जोर दिया और अभिलेख पर साक्ष्य और कथन के आधार पर इस बात पर जोर दिया कि मामले में अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और, इसलिए, दोषसिद्धि विधि में गलत है ।

4. इसके प्रतिकूल, अभियोजन की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उन साक्षियों के कथन खासतौर पर लाखन यादव (अभि. सा. 2), यादू यादव (अभि. सा. 5) और उन परिस्थितियों की ओर हमारा ध्यान दिलाया जो अभिलेख पर प्रकट हैं और यह दलील दी कि यह एक ऐसा मामला है जहां परिस्थितियों की शृंखला पूरी है और अभियोजन का सम्पूर्ण

पक्षकथन सिद्ध होता है ।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 9 साक्षियों की परीक्षा की गई । वे राम प्रवेश यादव (अभि. सा. 1), लाखन यादव (अभि. सा. 2), योगेन्द्र यादव (अभि. सा. 3), लतिका देवी (अभि. सा. 4), यादू यादव उर्फ यादू नन्दन (अभि. सा. 5), रजिया देवी (अभि. सा. 6), बालेश्वर यादव (अभि. सा. 7), कल्याण कुमार (अभि. सा. 8) और डा. राम प्रताप सिंह (अभि. सा. 9) हैं, उनकी परीक्षा की गई ।

6. प्रतिरक्षा की ओर से केवल एक साक्षी मोहन प्रसाद की परीक्षा की गई थी ।

7. डा. राम प्रताप सिंह (अभि. सा. 9) डाक्टर है जिन्होंने शवपरीक्षण किया और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 4) पेश की जिससे स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि मृतक को बन्दूक की गोलियों से क्षति हुई और उस कारण से उसकी मृत्यु हुई । डाक्टर ने मृतक के शरीर पर पांच क्षतियां देखी जो सभी पांच क्षति अग्न्यायुध के प्रयोग से कारित की गई थी ।

8. अभि. सा. 7 इत्तिला देने वाला है और उसने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि तारीख 11 मई, 1992 को शाम के समय लगभग 8 बजे अपराह्न अपीलार्थी उसके मकान पर पहुंचा और मृतक बिन्दा यादव से अपने मकान पर चलने के लिए अनुरोध किया । खाना खाने के पश्चात् मृतक बिन्दा यादव सुरेन्द्र यादव के साथ उसके मकान पर गया और इसके पश्चात् वह नहीं लौटा, परन्तु प्रातः उसके शव को बरामद किया गया था । जांच करने पर इत्तिला देने वाला अभि. सा. 7 ने यह बताया था कि उसके भाई बिन्दा यादव की भैंस या गाय की चोरी के संबंध में कुछ विवाद होने के कारण अपीलार्थी और उसके मित्रों द्वारा उसकी हत्या की गई थी । राम प्रवेश यादव (अभि सा. 1) और यादू यादव (अभि. सा. 5) ने अपने कथन में अपीलार्थी सुरेन्द्र यादव के साथ मृतक को राम यादव के चबूतरे पर देखे जाने के बारे में कथन किया जहां मृतक बिन्दा यादव सामूहिक गाना गा रहा था । इन साक्षियों ने यह भी कथन किया है कि अन्य अभियुक्त व्यक्ति उस गाने का आनन्द लेने के लिए चबूतरे पर देखे गए थे और वे बन्दूक, रायफल और लाठियों से भी लैस थे । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने यह बताया है कि वे लगभग 11.30 बजे रात्रि में खेत की ओर गए और उसने यह भी देखा कि सभी अभियुक्त व्यक्ति मृतक बिन्दा यादव के साथ जा रहे

थे और इसके पश्चात् उसने तत्काल बन्दूक की गोली की आवाज सुनी। अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 यादू यादव ने अपने-अपने कथन में यह संगत बात की और उन दोनों ने यह बताया कि मृतक रात्रि में सुरेन्द्र यादव और अन्य व्यक्तियों के साथ देखा गया था। अभि. सा. 5 ने अपने कथन के पैरा 2 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जब वह टार्च लेकर रात्रि में अपने कृषि खेत की ओर जा रहा था तब टार्च के प्रकाश में उसने सुरेन्द्र यादव को रायफल से और अन्य सह-अभियुक्तों को बन्दूक और लाठियों से लैस हुआ देखा जो ग्राम के उत्तर की ओर जा रहे थे और बिन्दा यादव भी उनके साथ था। इसके पश्चात् उसने उस क्षेत्र से गोली चलने की आवाज सुनी जहां वे लोग गए थे तथा बिन्दा यादव का शव उस स्थान से प्रातः बरामद किया गया था। इस साक्ष्य का सार यह है जो अभिलेख पर प्रकट है तथा विद्वान् रिट न्यायालय ने इन आधारों पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया। तथापि, विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर जोर देने का प्रयास किया कि यद्यपि सभी अन्य छह अभियुक्त व्यक्ति अपीलार्थी के साथ देखे गए थे परन्तु उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया और, इसलिए, अपीलार्थी भी वैसे ही उपचार पाने के हकदार हैं। मात्र इस कारण विचारण न्यायालय अन्य सह-अभियुक्तों को गलत रीति या अवैध तरीके से दोषमुक्त कर दिया गया और यदि राज्य सरकार ने उनकी दोषमुक्ति को चुनौती देने के लिए अपील फाइल नहीं की है तो अपीलार्थी को फायदा नहीं दिया जा सकता और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परिशीलन करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि फर्द बयान के कारण ही जिसका उल्लेख नहीं किया गया अभि. सा. 2 और अभि. सा. 5 ने रात्रि में मृतक को ले जाते हुए अभियुक्तों को देखा था, उन्हें फायदा दिया गया परन्तु वर्तमान अपीलार्थी के मामले में वशीभूत करने वाला साक्ष्य यह है कि जो स्पष्ट रूप से अभिलेख पर प्रकट हुआ है और जिससे यह दर्शित होता है कि यह अपीलार्थी मृतक के घर पर पहुंचा लतिका देवी (अभि. सा. 4), रजिया देवी (अभि. सा. 6) उस बात के साक्षी हैं और अभि. सा. 7 इत्तिला देने वाले ने यह भी साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी उनके मकान पर पहुंचा और अपने मकान पर रुकवाने के लिए बिन्दा यादव को लेकर गया। अभि. सा. 5 ने अपने साक्ष्य में यह भी कहा है कि अपराध कारित करने का हेतु यह है कि अपीलार्थी को यह आशंका थी कि मृतक के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए, उसने यह अपराध किया था।

9. इस विवाद को छोड़कर कि मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया

यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी और मृतक दोस्त थे और एक दूसरे को जानते थे । हमारी जानकारी में इस बारे में कुछ भी नहीं लाया गया कि जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलिखित साक्षियों के कथन विशिष्ट रूप से राम प्रवेश यादव (अभि. सा. 1), लाखन यादव (अभि. सा. 2) और यादू यादव (अभि. सा. 5) के कथनों पर अविश्वास किया जाना चाहिए । मृतक के घर पर अपीलार्थी के आने के बारे में तथ्य जिस पर उसने अपने घर ले जाना लतिका देवी (अभि. सा. 4) रजिया देवी (अभि. सा. 6) और इत्तिला देने वाला बालेश्वर यादव (अभि. सा. 7) के कथन में साबित हुआ है । मृतक घटना की तारीख को अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों के साथ चबूतरे में अपीलार्थी के साथ दिखाई दिया था जिस बात की भी रामप्रवेश यादव (अभि. सा. 1) लाखन यादव (अभि. सा. 2) और यादू यादव (अभि. सा. 5) के कथनों से पुष्टि हुई है । इसके पश्चात् लाखन यादव (अभि. सा. 2) और यादू यादव (अभि. सा. 5) ने अपीलार्थी के संग मृतक को देखा जो रायफल लिए हुए ग्राम के उत्तरी दिशा की ओर जा रहा था जहां से प्रातः उसके शव की बरामदगी हुई थी । ये सारी परिस्थितियां अभिलेख पर प्रकट हैं और यदि हम उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि की पृष्ठभूमि में उक्त परिस्थितियों का विश्लेषण करे जिसमें पारिस्थितिक साक्ष्य दोषसिद्धि के सिद्धांत अभिकथित किए गए हैं, हमने यह निष्कर्ष निकाला कि परिस्थिति की शृंखला हर तरह से पूरी तरह जुड़ी हैं और पूर्ण हैं । **राजा** उर्फ **राजिंद्र** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि मामले में दोषसिद्धि के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की सभी अध्यपेक्षाएं पूरा होना कब कहा जा सकता है । सिद्धांत के पैरा 10 में निम्नलिखित रीति अभिलिखित की गई है :–

> "तथ्यात्मक सूत्र से यह दर्शित होता है कि अभियोजन मामला सम्पूर्ण रूप से पारिस्थितिक साक्ष्य की ओर इंगित करता है । जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है तब न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि –
>
> (1) परिस्थितियां जिनसे दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकलता हो और उन्हें अकाट्य रूप से तथा दृढ़तापूर्वक साबित होना चाहिए ;
>
> (2) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति होनी चाहिए जो

---

[1] (2015) 11 एस. सी. सी. 43 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 1012.

अभियुक्त की दोषिता की ओर अचूक रूप से इंगित करती हो ;

(3) परिस्थितियां जिन्हें संचयी रूप से लिया गया है उनकी श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार न बचे कि सम्पूर्ण मानवीय संभावनाओं में वह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा न कि किसी और द्वारा ; और

(4) दोषसिद्धि कायम रखे जाने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य पूरा होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के अलावा किसी अन्य कल्पना के स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की दोषिता के केवल संगत ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषिता के असंगत होना भी चाहिए ।"

10. और इसके पश्चात् पैरा 12 और 13 में **बलविन्दर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] तथा **उजागर सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् जिनमें उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित रीति में सिद्धांत अधिकथित किए हैं :–

"11. बलविंदर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (1995) सप्ली 4 एस. सी. सी. 259 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 607) वाले मामले में यह सिद्धांत अधिकथित किया है –

"......4. परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाता है, को पूर्ण रूप से साबित होना चाहिए और वे परिस्थितियां प्रकृति में निश्चायक होनी चाहिए और अपराध के साथ अभियुक्त को जोड़ना चाहिए । घटनाओं की श्रृंखलाओं में सभी कड़ियां युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होनी चाहिए और सिद्ध हुई परिस्थितियों से अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के ही संगत होना चाहिए और सम्पूर्ण रूप से उसकी निर्दोषिता के असंगत होना चाहिए । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में न्यायालय को इस बारे में चौकसी बरतनी चाहिए कि संदेह के खतरे से बचने के लिए विधिक सबूत को विचार में लेना चाहिए और भावनात्मक विचारों के खतरे से बचने के लिए निगरानी रखनी चाहिए, तथापि, सबूत का स्थान प्रबल होना चाहिए ।

---

[1] (1995) सप्ली. 4 एस. सी. सी. 259 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 607.

[2] (2007) 13 एस. सी. सी. 90 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. (सप्ली.) 190.

12. पूर्वोक्त बातों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि न्यायालय के लिए यह अपेक्षित है कि विचार करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन करे कि घटनाओं की शृंखला स्पष्ट रूप से सिद्ध की गई हों और अभियुक्त की निर्दोषिता की युक्तियुक्त संभावना पूरी तरह से निकाल दिया गया हो । यह कहना व्यर्थ है कि क्या शृंखला पूरी है या नहीं । प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर है जो साक्ष्य से प्रकट है और किसी सार्वभौम मापदण्ड का हमेशा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए [उजागर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य (2007) 13 एस. सी. सी. 90 एस. सी. सी. पृ. 98 पैरा 14 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप्ली.) 190 पृ. 195, पैरा 14 का मामला देखिए]

13. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितियों को सिद्ध किया गया है कि घटना की तारीख को अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा मृतक को उसके घर से बुलाए जाने पर उसे अपीलार्थी-अभियुक्त के साथ देखा गया था । मृतक की माता कलावती (अभि. सा. 11) ने इस बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया है । इसके पश्चात् अभिलेख पर लाई गई सामग्री से स्पष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी मृतक के साथ चाय की दुकान पर देखा गया था । उक्त तथ्य के बारे में महेन्द्र (अभि. सा. 10) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया । इस प्रकार पूर्वोक्त साक्ष्य से जो सिद्ध हुए हैं, अर्थात् अभियुक्त और मृतक, मृतक के मकान से चले गए थे और उन्हें चाय की दुकान पर एक साथ चाय पीते देखा गया था । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि अन्तिम बार देखे जाने की कहानी जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि चाय की दुकान के मालिक की परीक्षा नहीं की गई । जब पूर्वोक्त दो साक्षियों का साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य है और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से संपुष्टि कर ली गई है तब चाय की दुकान की मालिक की परीक्षा न करने के कारण कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जिसके बारे में अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वह तात्विक साक्षी है । विधि में यह सुस्थापित है कि तात्विक साक्षी की परीक्षा न करना अभिलेख पर उपलब्ध परिसाक्ष्य के महत्व को त्यक्त करने का कोई तकनीकि सूत्र नहीं है, यदि यह नैसर्गिक विश्वास योग्य है । [हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** ज्ञानचंद (2001) 6 एस. सी. सी. 71 = ए. आई. आर. 2001

एस. सी. 2075 वाला मामला देखिए ।] इसके अलावा वहां ऐसा साक्षी नहीं है जो तथ्य के बारे में अभिसाक्ष्य देने के लिए सक्षम साक्षी था और उसकी परीक्षा न करने से अभियोजन वृत्तांत को वास्तविक रूप से नष्ट करता हो ।"

11. यदि वर्तमान मामले में साक्ष्य का पूर्वोक्त सिद्धांत के पृष्ठभूमि में विश्लेषण किया जाता है तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान मामले में परिस्थितियां पूर्ण हैं और यह एक ऐसा मामला है जहां इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए साक्षियों के अभिसाक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है कि परिस्थितियों की शृंखला पूरी है । इसके पश्चात् इसी निर्णय के पैरा 21 और 22 में विद्वान् न्यायालय ने किए जाने वाले अपराध की उपधारणा के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में उपधारित करने के लिए सिद्धांत अभिकथित किया है और समय के बीच निकटता के बारे में तथ्य जिसमें अपराध किया गया है और अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य का सह संबंध है । **कीर्तिपाल** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1] वाले मामले में अन्तिम बार देखे जाने की कहानी की ब्यौरेवार चर्चा की गई और अभिकथित सिद्धांत यह है कि यदि आसन्न मृत्यु हुई है, आहत अभियुक्त के साथ अन्तिम बार देखा गया का साक्ष्य उपलब्ध है तो इस बात से यह पर्याप्त है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अभिलिखित की जाए । यदि वर्तमान मामले में साक्ष्य जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई कि पूर्वोक्त विधिक सिद्धांत की पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया जाए जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया है तब हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि परिस्थितियों की शृंखला पूरी है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी मृतक के घर पर रात्रि में लगभग 8.30 बजे गया था और उसे अपने मकान पर लाया । साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतक अपीलार्थी के साथ उसके घर पर रात्रि में गाना गाता हुआ दिखाई दिया था । उसके पश्चात् अपीलार्थी को अपने हाथ में रायफल के साथ ग्राम के विशिष्ट स्थान की ओर जाते हुए देखा गया था तथा मृतक भी उसके साथ जाते हुए देखा गया । इसके पश्चात्, साक्षियों के कथनों से यह दर्शित हुआ है कि उन्होंने बंदूक से गोलियां चलाए जाने की आवाज भी सुनी और प्रातः मृतक का शव बरामद किया गया था । चिकित्सा साक्ष्य से मृत्यु का कारण अग्न्यायुध का इस्तेमाल रहा है । हमारा यह मत है कि ये पारिस्थितिक

[1] (2015) 11 एस. सी. सी. 178 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 1418.

साक्ष्य हैं जिनसे यह अभिनिर्धारित करना पर्याप्त है कि अपीलार्थी जो आरोप उसके विरुद्ध लगाए गए, उनका दोषी है और हमें मामले में कोई दंड मोचन का कारण दिखाई नहीं देता ।

12. विद्वान् विचारण न्यायालय ने विस्तृत रूप से साक्ष्य का विश्लेषण किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी अपराध कारित किए जाने के लिए जिम्मेदार है और हमें मामले में कोई गलती दिखाई नहीं देती जिससे कि मामले में कोई भिन्न मत अपनाना आवश्यक हो । तद्नुसार, फाइल की गई अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं और उसे खारिज किया जाता है । अपीलार्थी जमानत पर है, उसके जमानत बंध-पत्र रद्द किए जाते हैं और उसे तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए जिससे कि वह शेष दंड भोगे ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2018) 1 दा. नि. प. 861 **पटना**

मनोज कुमार ज्ञानचंद महतो

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 26 मार्च, 2018

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – दहेज मृत्यु – साक्ष्य का मूल्यांकन – दहेज की मांग पूरी न करने के कारण अपीलार्थी द्वारा मृतका के साथ क्रूरता कारित किए जाने और उसे आग में जलाए जाने का अभिकथन – विवाह के सात वर्ष के भीतर ससुराल में आहत की मृत्यु होना – अपीलार्थी द्वारा मृतका को अस्पताल पहुंचाया जाना – अभियुक्त और मृतका के बीच सौहार्द संबंधों का होना – मृतका को तंग किए जाने की शिकायत का न पाया जाना – मृतका को अपीलार्थी के कहने पर अस्पताल लाया गया और उसके इलाज का आधा खर्चा अपीलार्थी द्वारा वहन किया गया और साथ ही मृतका द्वारा कभी भी यह शिकायत नहीं

की गई कि उसके साथ अपीलार्थी दुर्व्यवहार करता है, ऐसी स्थिति में मात्र मृतका के पिता के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 306 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106] – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – सबूत का भार – अपीलार्थी द्वारा मृतका को दहेज की मांग पूरी न करने के लिए यातना दिया जाना – मृतका को उकसाने का साक्ष्य न होना – घटना के समय अपीलार्थी का घटनास्थल पर मौजूद न होना – अभिलेख पर खाना बनाते समय आग लगने का साक्ष्य उपलब्ध होना – अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी ने मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया है साथ ही मृतका के पिता द्वारा यह कथन किया गया है कि उसने अपनी पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की थी, अतः ऐसी स्थिति में आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

मृतका के पिता राजेश्वर सिंह (अभि. सा. 1) ने तारीख 9 सितंबर, 2014 को यह अभिकथन करते हुए फर्द बयान दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री का विवाह अपीलार्थी के साथ लगभग एक वर्ष पूर्व किया था । विवाह के समय, पर्याप्त उपहार और धन तथा सामान अपीलार्थी के परिवारवालों को दिया गया था । लगभग 2-3 मास पश्चात् अपीलार्थी, उसकी माता और बहिन द्वारा निरन्तर रूप से 3 लाख रूपए की मांग की जाने लगी । उपरोक्त मांग के पूरा न किए जाने पर अभि. सा. 1 की पुत्री को शारीरिक और मानसिक यातना दी जाने लगी । इत्तिलाकर्ता की पुत्री (अभि. सा. 1) किसी समय इत्तिलाकर्ता के पास मिलने आई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा । उस दौरान इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) द्वारा अपीलार्थी और उसके परिवार वालों को इस संबंध में सूचना देने के पश्चात् भी वे उसकी पुत्री से अस्पताल में मिलने नहीं आए । इसके पश्चात् उसकी पुत्री पुनः अपनी ससुराल गई । तारीख 8 सितंबर, 2014 को लगभग 7 बजे अपराह्न में अपीलार्थी के ग्रामवासियों ने उसे (अभि. सा. 1) बताया कि उसकी पुत्री को तेल छिड़कर आग में जला दिया है । इस सूचना के प्राप्त होने पर, राजेश्वर (अभि. सा. 1) अपीलार्थी के घर गया जहां पर उसे यह बताया गया कि उसकी पुत्री का पटना में इलाज चल रहा है । अपीलार्थी के घर में इत्तिलाकर्ता को कपड़े का जला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा मिला । रसोई में आग लगने का कोई भी साक्ष्य दिखाई नहीं दिया । गैस का

सिलेंडर भी ठीक हालत में पाया गया । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता तारीख 9 सितंबर, 2014 को पटना आया और मौर्य अस्पताल, न्यू जगनपुरा, बाईपास रोड में अपनी पुत्री से मिला । उसकी पुत्री अचेत अवस्था में थी और उसको लगभग 100 प्रतिशत दाह-क्षतियां कारित हुईं थीं । अपीलार्थी, उसकी माता और उसकी बहिन ग्राम में घटना के समय घर पर ही मौजूद थी । इन सभी ने मिलकर मृतका की हत्या करने का प्रयास किया था । इसके पहले भी अपीलार्थी की माता और बहिन द्वारा इत्तिलाकर्ता की पुत्री के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया गया था । इस प्रकार, इत्तिलाकर्ता द्वारा यह प्रकथन किया गया कि अपीलार्थी और अन्य व्यक्तियों ने मृतका की हत्या की है । उपरोक्त फर्द बयान के आधार पर तारीख 15 सितंबर, 2014 को पालीगंज पुलिस थाने में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 498क, 307, 201, 341, 323 और 34 के अधीन मामला सं. 208/2014 दर्ज कराया गया । तारीख 14 सितंबर, 2014 को अर्थात् लगभग एक सप्ताह पश्चात् मृतका की मृत्यु हो गई जिसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 304ख जोड़ी गई । अपीलार्थी (मनोज कुमार) को पुलिस थाना पालीगंज में दर्ज कराए गए 2014 के दांडिक मामला सं. 208 से उद्भूत 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 179 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश VII, दानापुर, पटना द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2017 को पारित निर्णय के अनुसार भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उसे तारीख 30 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा 5 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया था । आरंभ में यह मामला दंड संहिता की धारा 341, 323, 307, 498-क, 201/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3/4 के अधीन फाइल किया गया था किन्तु मृतका की मृत्यु हो जाने पर इस मामले में दंड संहिता की धारा 304ख भी जोड़ी गई । अपीलार्थी के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति अर्थात् उसकी माता और बहिन का भी विचारण किया गया किन्तु उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी मनोज कुमार ज्ञानचंद महतो ने दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि

मृतका को अपीलार्थी के कहने पर अस्पताल लाया गया था । मृतका के जीवित रहने तक उसके उपचार का आधा खर्च अपीलार्थी द्वारा वहन किया गया था । केवल इसके पश्चात् होने वाला खर्च उपरोक्त साक्षी द्वारा वहन किया गया है । यदि अपीलार्थी का आशय मृतका की हत्या करने का होता, तब वह उसे अस्पताल ले जाने और उसका इलाज करवाने की परवाह न करता । कुछ अन्य बातें जो स्पष्ट दिखाई देती हैं, इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा इत्तिलाकर्ता और उसके साथियों को घर से बाहर रखने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया । यदि घर में अपराध में फंसाने वाली किसी भी सामग्री के संबंध में कोई भी संदेह होता तो अपीलार्थी के परिवार के सदस्य अभि. सा. 1 को आसानी से घर में आने नहीं देते । दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध साबित करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है और उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके साथ दहेज को लेकर यातनापूर्ण व्यवहार किया गया था । यद्यपि, मृतका के विवाह और उसकी मृत्यु के बीच एक वर्ष का समय इस धारा के लागू होने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है किन्तु दहेज की मांग के संबंध में अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्ष्य के न होने पर किसी भी न्यायालय के लिए दहेज की मांग और उसके पश्चात्वर्ती यातनापूर्ण व्यवहार के संबंध में अभि. सा. 1 एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब लेना अत्यंत कठिन होगा । अभि. सा. 1 के साक्ष्य में भी कई प्रकार के अभाव हैं क्योंकि इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उसने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की थी । मृतका ने भी कभी उसे न तो बताया और न इस संबंध में कोई पत्र लिखा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है । अब यह प्रश्न शेष रह जाता है कि यदि अपीलार्थी को साक्ष्य के अभाव में दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषमुक्त कर दिया जाता है, क्या मात्र इस आधार पर दंड संहिता की धारा 306 के अधीन उसे दोषसिद्ध करना न्यायोचित होगा कि मृतका की मृत्यु ऐसी हालत में हुई है जब वह अपनी ससुराल में रह रही थी । (पैरा 14, 17 और 18)

इस प्रकार, दुष्प्रेरण के आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह साबित करे कि दुष्प्रेरक ने आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाया है । वर्तमान मामले में, ऐसा

कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी ने ऐसा कृत्य किया है जिसे मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले कृत्य के रूप में माना जा सके । इस तथ्य को अभि. सा. 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के साक्ष्य से भी बल मिलता है क्योंकि इन साक्षियों ने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है जिससे ऐसी किसी सामग्री का पता चलता हो जिसके आधार पर अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सके । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 उस व्यक्ति के बारे में है जिसे वह तथ्य साबित करना होता है जो विशेषकर उसी की जानकारी में होता है । वर्तमान मामले में, यद्यपि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपनी प्रतिरक्षा में कुछ नहीं कहा है किन्तु उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु का कारण आत्महत्या नहीं है अपितु मृतका को आग लगी जब वह खाना बना रही थी । यह सत्य है कि खाना बनाते समय आग लगने का साक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया है फिर भी अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का अवलंब लेना वर्तमान मामले में न्यायोचित नहीं होगा । इस न्यायालय को खेद है कि इस घटना के वास्तविक कारण का पता नहीं चल सका । निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है वह केवल यह है कि अपीलार्थी ने आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं किया है । न ही मृतका द्वारा आत्महत्या की गई है । इस प्रकार, मृतका की मृत्यु का कारण छिपा हुआ ही है । निश्चय ही इस आधार पर अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता । (पैरा 19, 21, 23, 25 और 26)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 2946.

2016 के सेशन विचारण मामला सं. 179 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश VII, दानापुर, पटना द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2017 को पारित निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री कृष्ण प्रसाद सिंह (ज्येष्ठ अधिवक्ता) और प्रमोद कुमार
प्रत्यर्थी की ओर से	सुश्री आभा सिंह (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार – अपीलार्थी, इत्तिलाकर्ता और राज्य की

ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना गया है ।

2. अपीलार्थी (मनोज कुमार) को पुलिस थाना पालीगंज में दर्ज कराए गए 2014 के दांडिक मामला सं. 208 से उद्भूत 2016 के सेशन विचारण मामला सं. 179 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश VII, दानापुर, पटना द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2017 को पारित निर्णय के अनुसार भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उसे तारीख 30 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा 5 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 6 मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया था ।

3. यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी पिंकी कुमारी को आत्महत्या करने के लिए विवश किया है ।

4. आरंभ में यह मामला दंड संहिता की धारा 341, 323, 307, 498क, 201/34 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ... की धारा 3/4 के अधीन फाइल किया गया था किन्तु मृतका की मृत्यु हो जाने पर इस मामले में दंड संहिता की धारा 304ख भी जोड़ी गई ।

5. अपीलार्थी के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति अर्थात् उसकी माता और बहिन का भी विचारण किया गया किन्तु उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया ।

6. मृतका के पिता राजेश्वर सिंह (अभि. सा. 1) ने तारीख 9 सितंबर, 2014 को यह अभिकथन करते हुए फर्द बयान दर्ज कराई कि उसने अपनी पुत्री का विवाह अपीलार्थी के साथ लगभग एक वर्ष पूर्व किया था । विवाह के समय, पर्याप्त उपहार और धन तथा सामान अपीलार्थी के परिवारवालों को दिया गया था । लगभग 2-3 मास पश्चात् अपीलार्थी, उसकी माता और बहिन द्वारा निरन्तर रूप से 3 लाख रुपए की मांग की जाने लगी । उपरोक्त मांग के पूरा न किए जाने पर अभि. सा. 1 की पुत्री को शारीरिक और मानसिक यातना दी जाने लगी । इत्तिलाकर्ता की पुत्री (अभि. सा. 1) किसी समय इत्तिलाकर्ता के पास मिलने आई और उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा । उस दौरान इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) द्वारा अपीलार्थी और उसके परिवार वालों को इस संबंध में सूचना देने के पश्चात् भी वे उसकी पुत्री से अस्पताल में मिलने नहीं आए । इसके पश्चात् उसकी पुत्री पुनः अपनी ससुराल गई । तारीख 8 सितंबर, 2014 को

लगभग 7 बजे अपराह्न में अपीलार्थी के ग्रामवासियों ने उसे (अभि. सा. 1) बताया कि उसकी पुत्री को तेल छिड़कर आग में जला दिया है । इस सूचना के प्राप्त होने पर, राजेश्वर (अभि. सा. 1) अपीलार्थी के घर गया जहां पर उसे यह बताया गया कि उसकी पुत्री का पटना में इलाज चल रहा है । अपीलार्थी के घर में इत्तिलाकर्ता को कपड़े का जला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा मिला । रसोई में आग लगने का कोई भी साक्ष्य दिखाई नहीं दिया । गैस का सिलेंडर भी ठीक हालत में पाया गया । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता तारीख 9 सितंबर, 2014 को पटना आया और मौर्य अस्पताल, न्यू जगनपुरा, बाईपास रोड में अपनी पुत्री से मिला । उसकी पुत्री अचेत अवस्था में थी और उसको लगभग 100 प्रतिशत दाह-क्षतियां कारित हुई थी । अपीलार्थी, उसकी माता और उसकी बहिन ग्राम में घटना के समय घर पर ही मौजूद थी । इन सभी ने मिलकर मृतका की हत्या करने का प्रयास किया था । इसके पहले भी अपीलार्थी की माता और बहिन द्वारा इत्तिलाकर्ता की पुत्री के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया गया था । इस प्रकार, इत्तिलाकर्ता द्वारा यह प्रकथन किया गया कि अपीलार्थी और अन्य व्यक्तियों ने मृतका की हत्या की है ।

7. उपरोक्त फर्द बयान के आधार पर तारीख 15 सितंबर, 2014 को पालीगंज पुलिस थाने में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ... की धारा 3/4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 498क, 307, 201, 341, 323 और 34 के अधीन मामला सं. 208/2014 दर्ज कराया गया । तारीख 14 सितंबर, 2014 को अर्थात् लगभग एक सप्ताह पश्चात् मृतका की मृत्यु हो गई जिसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 304ख जोड़ी गई ।

8. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षियों और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से एक साक्षी की परीक्षा कराए जाने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए कोई सामग्री नहीं है और इसीलिए अपीलार्थी को उक्त आरोप से दोषमुक्त कर दिया । तथापि, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया गया है । अन्य दो अभियुक्तों को, जिनका विचारण किया गया है, ऊपर कथित रूप में दोषमुक्त किया गया है ।

9. इत्तिलाकर्ता की परीक्षा अभि. सा. 1 के रूप में कराई गई है । इत्तिलाकर्ता के चचेरे भाई ने यद्यपि पुलिस के समक्ष अपना कथन नहीं

दिया है किन्तु अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 10 के रूप में उसकी परीक्षा कराई है । इस साक्षी को विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन समन किया गया था ।

10. अभियोजन साक्षी सं. 2, 4, 5, 6, 7 और 8 को न तो पक्षद्रोही घोषित किया गया है और न ही इन साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । लगभग इन सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि उन्होंने अपीलार्थी के घर से धुंआ निकलते हुए देखा था और जब वे मकान के अन्दर गए तब उन्होंने पिंकी कुमारी (मृतका) को आग में जलते हुए देखा । उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और मृतका को पालीगंज अस्पताल ले गए । न तो अपीलार्थी और न ही उसकी माता तथा बहिन घर पर मौजूद थी । इन साक्षियों के अनुसार अपीलार्थी अपने सर्विस स्टेशन पर गया हुआ था । पिंकी कुमारी ने उपरोक्त साक्षियों को बताया कि उसकी सास और ननद घर पर उपलब्ध नहीं है इसलिए वे उसे अस्पताल ले जाएं । इन साक्षियों ने एकमत होकर यह कथन किया है कि अपीलार्थी और मृतका के बीच संबंध अत्यंत सौहार्द थे ।

11. चूंकि इन साक्षियों को अपीलार्थी के कहने पर नहीं बुलाया गया है और न ही इन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है, इसलिए इनके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए ।

12. जिन साक्षियों ने अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य दिया है वे अभि. सा. 1 और अभि. सा. 10 हैं । इस मामले के अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा अभि. सा. 11 के रूप में कराई गई है और मृतका का शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक की परीक्षा अभि. सा. 9 के रूप में कराई गई है । इस संदर्भ में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 10 द्वारा दिए गए साक्ष्य की संवीक्षा करना सुसंगत होगा ।

13. अभि. सा. 1 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दिए गए अपने आरंभिक वृत्तांत का समर्थन है तथापि, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि विवाह के पश्चात् उसकी पुत्री लगभग 2-3 बार अपनी ससुराल गई थी । उसकी पुत्री इण्टरमीडिएट तक पढ़ी हुई थी और अधिकांश वह अपनी ससुराल में ही रहती थी और लगभग डेढ़ मास के लिए वह अभि. सा. 1 के साथ रही थी । अपने वैवाहिक गृह में रहने के दौरान उसकी पुत्री ने दहेज की मांग पूरी न करने के कारण यातना दिए जाने के संबंध में उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई पत्र नहीं लिखा । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी पुत्री के

गर्भवती होने से संबंधित कोई भी पेपर प्रस्तुत नहीं किया है । उसने अपनी पुत्री के साथ किए जा रहे यातनापूर्ण व्यवहार के संबंध में किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया था और न ही किसी पुलिस अधिकारी को । इस साक्षी ने अपने किसी भी नातेदार से इस संबंध में हस्तक्षेप करने को कहा था कि उसकी पुत्री के साथ यातनापूर्ण व्यवहार किया जाता है । अभि. सा. 1 न्यायालय को यह भी नहीं बता सका कि उसे किसने बताया था कि उसकी पुत्री को आग में जलाया गया है । अपीलार्थी के पिता और उसके पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसकी पुत्री का पटना में इलाज चल रहा है । उसने अपीलार्थी के पिता का नाम नहीं लिया क्योंकि उसके पिता से उसे कोई शिकायत नहीं थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट किया है कि तारीख 8 सितंबर, 2014 की रात्रि में जब वह 8-10 व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के घर गया था, अपीलार्थी के पिता ने घर का दरवाजा खोलने और घर का निरीक्षण करने पर कोई भी आक्षेप नहीं किया था । मृतका को अपीलार्थी के परिवार के कहने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्हीं के कहने पर उसका इलाज चल रहा था । मृतका का उपचार तारीख 8 सितंबर, 2014 से लगभग 11 सितंबर, 2014 तक चला था, इस उपचार पर होने वाले खर्च का वहन अपीलार्थी द्वारा किया गया । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने तारीख 12 सितंबर, 2014 से 14 सितंबर, 2014 तक अर्थात् क्षतियों के कारण मृतका की मृत्यु होने तक खर्चा वहन किया । अभि. सा. 1 को उस व्यक्ति का नाम याद नहीं रहा जिसने उसे यह बताया था कि मृतका को तेल उंडेल कर जलाया गया था । वह अपने ग्राम के लगभग 8-10 व्यक्तियों के साथ अस्पताल गया था । इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि सभी ग्रामवासियों ने उसे यह बताया था कि मृतका घर में खाना बनाते समय आग लग जाने से जली है और उसकी आग ग्रामवासियों द्वारा बुझाई गई थी । इस साक्षी को यह भी सुझाव दिया गया कि जिस समय मृतका को आग लगी थी उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था और अपीलार्थी पालीगंज गया हुआ था । इन सभी सुझावों से अभि. सा. 1 द्वारा इनकार किया गया है ।

14. अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतका को अपीलार्थी के कहने पर अस्पताल लाया गया था । मृतका के जीवित रहने तक उसके उपचार का आधा खर्च अपीलार्थी द्वारा वहन किया गया था । केवल इसके पश्चात् होने वाला खर्च उपरोक्त साक्षी द्वारा वहन किया गया है । यदि अपीलार्थी का आशय मृतका की हत्या करने का होता, तब वह उसे अस्पताल ले जाने और उसका इलाज करवाने की परवाह न करता ।

कुछ अन्य बातें जो स्पष्ट दिखाई देती हैं, इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा इत्तिलाकर्ता और उसके साथियों को घर से बाहर रखने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया । यदि घर में अपराध में फंसाने वाली किसी भी सामग्री के संबंध में कोई भी संदेह होता तो अपीलार्थी के परिवार के सदस्य अभि. सा. 1 को आसानी से घर में आने नहीं देते ।

15. अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य से दो बातें सामने आती हैं, यदि अन्य अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य के संदर्भ में विचार किया जाए, तब स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि मृतका को आग में इसलिए नहीं जलाया गया था कि उसके ससुराल वाले इस बात से खिन्न थे कि उन्हें दहेज के रूप में अतिरिक्त धन नहीं दिया गया था । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभि. सा. 2, अभि. सा. 4, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 7 ने यह कथन किया है कि घर में से उठता हुआ धुआं देखकर वे मृतका के घर गए थे । मृतका ने उन्हें बताया कि उसे खाना पकाते समय आग लगी है और उसके ससुराल वालों की अनुपस्थिति में ही उसे अस्पताल ले जाया जाए । इसलिए मृतका को पालीगंज के अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे पटना भेज दिया गया ।

16. उपरोक्त सामग्री से विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही और न्यायोचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है । अभि. सा. 10 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन न्यायालय द्वारा समन किया गया था और इस साक्षी का साक्ष्य अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य पर आधारित है जो कि उसका चचेरा भाई है । यद्यपि, इस साक्षी ने यह दावा किया है कि वह अभि. सा. 1 के साथ मृतका की ससुराल गया था और वह अस्पताल भी गया था किन्तु यह साक्षी उससे पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उसने मृतका को पहली बार अस्पताल में देखा था और उसे उन व्यक्तियों के नाम मालूम नहीं हैं जिन्होंने अभि. सा. 1 को इस घटना के बारे में बताया था । इस साक्षी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि किसी भी आक्षेप के बिना अभि. सा. 1 को अभि. सा. 10 और उसके साक्षियों सहित वैवाहिक गृह में प्रवेश करने की अनुमति थी ।

17. दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध साबित करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है और उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके साथ

दहेज को लेकर यातनापूर्ण व्यवहार किया गया था । यद्यपि, मृतका के विवाह और उसकी मृत्यु के बीच एक वर्ष का समय इस धारा के लागू होने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है किन्तु दहेज की मांग के संबंध में अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी साक्ष्य के न होने पर किसी भी न्यायालय के लिए दहेज की मांग और उसके पश्चात्वर्ती यातनापूर्ण व्यवहार के संबंध में अभि. सा. 1 एकमात्र परिसाक्ष्य का अवलंब लेना अत्यंत कठिन होगा । अभि. सा. 1 के साक्ष्य में भी कई प्रकार के अभाव हैं क्योंकि इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उसने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में कभी भी कोई भी शिकायत नहीं की थी । मृतका ने भी कभी उसे न तो बताया और न इस संबंध में कोई पत्र लिखा कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है ।

18. अब यह प्रश्न शेष रह जाता है कि यदि अपीलार्थी को साक्ष्य के अभाव में दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषमुक्त कर दिया जाता है, क्या मात्र इस आधार पर दंड संहिता की धारा 306 के अधीन उसे दोषसिद्ध करना न्यायोचित होगा कि मृतका की मृत्यु ऐसी हालत में हुई है जब वह अपनी ससुराल में रह रही थी ।

19. दंड संहिता की धारा 306 निम्न प्रकार है :–

"306. **आत्महत्या का दुष्प्रेरण** – यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।"

20. आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने हेतु संदेह के परे यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपित व्यक्ति ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है । कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है, यह तब कहा जाएगा जब वह किसी व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए उकसाए या एक या एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचे और साशय ऐसा कार्य करने के लिए सहायता करे या उस कार्य को करने के लिए कोई लोप करे । इसी प्रकार, दुष्प्रेरक वह व्यक्ति है जो अपराध कारित किए जाने को दुष्प्रेरित करे या ऐसे कार्य को दुष्प्रेरित करे जो कोई अपराध है, यदि ऐसा कार्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा कारित

किया जाए जो अपराध कारित करने के लिए उसी प्रकार सक्षम हो जिस प्रकार दुष्प्रेरक अपराध कारित करने के आशय या ज्ञान के साथ सक्षम होता है ।

21. इस प्रकार, दुष्प्रेरण के आरोप को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह यह साबित करे कि दुष्प्रेरक ने आत्महत्या कारित करने के लिए उकसाया है । वर्तमान मामले में, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी ने ऐसा कृत्य किया है जिसे मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले कृत्य के रूप में माना जा सके । इस तथ्य को अभि. सा. 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के साक्ष्य से भी बल मिलता है क्योंकि इन साक्षियों ने कोई भी ऐसी बात नहीं बताई है जिससे ऐसी किसी सामग्री का पता चलता हो जिसके आधार पर अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सके ।

22. एक प्रश्न यह शेष रह जाता है कि जब मृतका की मृत्यु उसके वैवाहिक गृह में हुई है तब अपीलार्थी का कर्तव्य यह साबित करना है कि मृत्यु का कारण क्या है ।

23. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 उस व्यक्ति के बारे में है जिसे वह तथ्य साबित करना होता है जो विशेषकर उसी की जानकारी में होता है । सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उपबंध निम्न प्रकार उद्धृत किया जा रहा है :–

> "106. **विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार** – जब कि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है ।

24. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के लागू किए जाने के लिए अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह सभी संदेह के परे अभियुक्त का दोष प्रथमदृष्ट्या सिद्ध करने के आरंभिक भार का निर्वहन करे । धारा 106, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का एकमात्र अपवाद है जो 'साबित करने के भार' के संबंध में है, यह तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि अभियोजन का आरंभिक भार साबित न कर दिया जाए ।

25. वर्तमान मामले में, यद्यपि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपनी प्रतिरक्षा में कुछ नहीं कहा है किन्तु उपरोक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट हो गया है कि मृत्यु का

कारण आत्महत्या नहीं है अपितु मृतका को आग लगी जब वह खाना बना रही थी ।

26. यह सत्य है कि खाना बनाते समय आग लगने का साक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाया है फिर भी अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का अवलंब लेना वर्तमान मामले में न्यायोचित नहीं होगा । इस न्यायालय को खेद है कि इस घटना के वास्तविक कारण का पता नहीं चल सका । निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है वह केवल यह है कि अपीलार्थी ने आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं किया है । न ही मृतका द्वारा आत्महत्या की गई है । इस प्रकार, मृतका की मृत्यु का कारण छिपा हुआ ही है । निश्चय ही इस आधार पर अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

27. उपरोक्त कारणों के आधार पर, अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

28. इस न्यायालय को यह सूचना दी गई है कि अपीलार्थी लगभग साढ़े तीन वर्ष का कारावास पहले ही भोग चुका है ।

29. दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश संदिग्ध पाए जाने पर, इस न्यायालय के समक्ष इसके सिवाए कोई विकल्प नहीं है कि तारीख 26 अगस्त, 2017 का निर्णय और तारीख 30 अगस्त, 2017 का दंडादेश जो पुलिस थाना पालीगंज में दर्ज किया गया मामला सं. 208/2014 से उद्भूत सेशन विचारण मामला सं. 179/2016 में पारित किए गए थे, अपास्त किए जाए और अपीलार्थी को उन्मुक्त किया जाए ।

30. अपील सफल होती है ।

31. अपीलार्थी अभिरक्षा में है । यह निदेश दिया जाता है कि यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है, उसे तत्काल छोड़ा जाए ।

32. इस निर्णय की एक प्रति सूचना, अनुपालन और अभिलेख के लिए जेल अधीक्षक को भेजी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

विश्वनाथ सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 11 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर

वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) – धारा 52 – यान का अधिहरण – विधिमान्यता – इस मामले में जे. सी. बी. मशीन के चालक द्वारा सड़क के ओर की भूमि का उत्खनन करने के कारण यह वन उपज हो सकती है, चूंकि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण कार्यवाहियों के दौरान वन उपज अर्थात् सड़क की भूमि का पंचनामा तैयार नहीं किया गया, इसलिए वन उपज प्रस्तुत करने और पंचनामा बनाने में असफल रहने के कारण यान का अधिहरण अवैध पाया गया ।

मामले का तथ्य इस प्रकार है कि याची रजिस्ट्रीकरण सं. एम पी 17 डी ए 0138 वाली जे. सी. बी. मशीन का मालिक है । याची के अनुसार वह ठेकेदार भी है और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क के निर्माण और इसके अनुरक्षण के लिए भी पांच वर्ष के लिए तारीख 20 अप्रैल, 2012 को कार्यादेश दिया गया । पूर्वोक्त संविदा याची के स्वामित्वाधीन फर्म मैसर्स ए. बी. कंस्ट्रक्शन के नाम में दी गई । याची द्वारा स्वामित्वाधीन जे. सी. बी. मशीन का उपयोग सड़क के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए किया जाता है और यह याची द्वारा नियुक्त गुड्डू अंसारी नामक चालक द्वारा चलाया जाता है । 1 जून, 2014 को महराजपुर पश्चिम के वन अधिकारी ने रात्रि लगभग 8.30 बजे यह पाया कि एक जे. सी. बी. मशीन मुख्य सड़क बामर-मालधा से 4 मीटर दूर अवैध रूप से भूमि का खनन कर रही है । इस आधार पर याची की जे. सी. बी. मशीन को जब्त किया गया, यद्यपि, अधिग्रहण का स्थान 'मुख्य सड़क' न कि 'जंगल' दर्शाया गया है । 10 जून, 2014 को अभिग्रहण से संबंधित कारण बताओ नोटिस याची को जारी किया गया जिसका सम्यक् उत्तर उसके द्वारा 24 जून, 2014 को दिया गया था । इस उत्तर में याची द्वारा यह अभिवचन किया गया कि जे. सी. बी. मशीन को उनकी जानकारी के बिना सुसंगत समय पर उसके चालक द्वारा चलाया जा रहा था और याची को यह

जानकारी नहीं थी कि उसकी जे. सी. बी. मशीन उसके चालक द्वारा वन क्षेत्र में चलाई जा रही थी । अधिहरण कार्यवाही के समय चालक गुड्डू का कथन भी अभिलिखित किया गया जिसमें उसने कहा कि जे. सी. बी. मशीन मुख्य सड़क पर खड़ी थी क्योंकि इसका ईंधन खत्म हो गया था और वह अनिल यादव नाम के एक अन्य चालक के साथ डीजल खरीदने गया था । अधिहरण का आदेश 8 जनवरी, 2015 को पारित किया गया और मुख्य वन संरक्षक के समक्ष पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध की गई अपील भी आदेश तारीख 21 अगस्त, 2015 भी खारिज की गई । तत्पश्चात् याची ने जबलपुर के प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष वन अधिनियम की धारा 52ख के अधीन पुनरीक्षण फाइल की, किंतु यह भी आदेश तारीख 21 सितंबर, 2016 द्वारा खारिज की गई जो इस न्यायालय के समक्ष चुनौतीधीन है । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अधिनियम की धारा 52 के अधीन अपराध साबित करने के लिए वन उपज के अभिग्रहण के साथ वन अपराधों में लिप्त यान का अभिग्रहण अनिवार्य है । इस प्रकार, उक्त धारा के मात्र परिशीलन से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि सर्वप्रथम उसकी बाबत वन उपज होना चाहिए जिसके लिए वन अपराध किया गया है । आगे यह उपबंध किया गया है कि ऐसे किसी अपराध के करने में प्रयुक्त सभी औजार, नाव, यान, रस्सी, चेन या किसी अन्य वस्तु के साथ ऐसा वन उपज को किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जाए । उपधारा (2) में आगे यह उपबंध है कि यदि प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिगृहीत संपत्ति का पेश किया जाना व्यवहार्य न हो तो अभिगृहीत अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी को अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट करेगा । आगे उपधारा (3) में यह उपबंध है कि यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि वन अपराध, वन उपज की बाबत किया गया है तो वह लिखित में और कारण अभिलिखित करते हुए ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजार, यान, नाव, रस्सी, चेन या अन्य कोई वस्तु के साथ इस प्रकार अभिगृहीत वन उपज का अभिहरण कर सकेगा । इतना कहना पर्याप्त है कि वन उपज का अभिहरण यान, बर्तन, औजार आदि के अभिहरण करने के लिए अनिवार्य है । इसी प्रकार अन्य साक्षियों के कथन हैं । यह आश्चर्यजनक है कि वन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य लापरवाह तरीके से निभाए और उस स्थान का कोई पंचनामा नहीं बनाया जिससे यह अभिकथित है कि याची

की जे. सी. बी. मशीन भूमि उत्खनित कर रही थी और वही भूमि सड़क की ओर फैली हुई थी । वन अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि से संबंधित वन अपराध की संपुष्टि के लिए ऐसी भूमि के नमूने ले जो उसके अनुसार उत्खनित की जा रही थी और उस भूमि के भी नमूने जो याची की जे. सी. बी. मशीन द्वारा सड़क की ओर पड़ी थी, किंतु वे वन अधिनियम की धारा 52 के अधीन यथा अनुबंधित अपराध को सिद्ध करने के लिए बुरी तरह असफल रहे । वर्तमान मामले में सड़क के किनारे की भूमि वन उपज हो सकती थी, जिसका पंचनामा भी वन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और अधिहरण कार्यवाहियों के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और वन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार, जिसमें यह उपबंध है कि जब वन अधिकारी के लिए वन उपज का अभिग्रहण करना सुविधाजनक न हो तो अभिगृहीत किसी वन उपज के अभाव में इसका पंचनामा तैयार किया जाए । आक्षेपित आदेश तारीख 8 जनवरी, 2015 में प्राधिकृत अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि याची अपना यह पक्षकथन साबित करने में समर्थ नहीं रहे कि उन्हें यान के साथ अपने चालक के संचलन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि दूसरे चालक अनिल यादव को उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया । इस न्यायालय की विचारित राय में जब डम्पर चालक स्वयं गुड्डू अंसारी घटनास्थल पर मौजूद था और उसके कथन को पहले ही अभिलिखित किया गया है तो अनिल यादव की परीक्षा न कराए जाने से मामले पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है । अन्यथा भी गुड्डू अंसारी के समक्ष ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि वह जे. सी. बी. के मालिक/याची की अनुज्ञा के बिना यान चला रहा था । इन परिस्थितियों में, किसी वन उपज के अभिग्रहण के अभाव में याची के यान की बाबत आरंभ की गई संपूर्ण अधिहरण कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है और कायम रखे जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती । जहां तक याची के इस अभिवाक् कि उसे जानकारी नहीं थी कि उसके यान का उपयोग वन अपराध के किए जाने के प्रयोजन के लिए उसके चालक द्वारा किया जा रहा है, का संबंध है, यह मान्य नहीं है क्योंकि मालिक को संबद्ध अधिकारी को समाधान करना चाहिए कि उसके द्वारा उक्त जे. सी. बी. अभिरक्षा के लिए सभी सम्यक् सावधानी बरती गई । (पैरा 8, 10, 11 और 12)

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की अपील सं. 666.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री मानस मणि वर्मा
प्रत्यर्थी की ओर से	अपर सरकारी अधिवक्ता

आदेश

यह याचिका यद्यपि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई है फिर भी यह इस कारण ही अनुच्छेद 227 के अधीन ग्रहण की जा रही है कि जबलपुर के प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 21 सितंबर, 2016 का आदेश चुनौतीधीन है जिसमें जबलपुर के प्रत्यर्थी सं. 2/मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर द्वारा 2015/2016 की अपील सं. 2 में पारित तारीख 31 अगस्त, 2015 के आदेश की पुष्टि की गई है । मुख्य वन संरक्षक के समक्ष पूर्वोक्त अपील जिला मांडला के महराजपुर पश्चिम के उपखंड वन अधिकारी और प्रत्यर्थी सं. 3/पीठासीन अधिकारी द्वारा मामला सं. 216/17 में पारित तारीख 2 जून, 2014 के आदेश से उद्भूत हुआ । तारीख 2 जून, 2014 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा याची की जे. सी. बी. मशीन भारतीय वन अधिनियम, 1927 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'वन अधिनियम' कहा गया है) की धारा 52 के अधीन प्रत्यर्थियों द्वारा अभिगृहीत की गई ।

2. संक्षेप में, मामले का तथ्य इस प्रकार है कि याची रजिस्ट्रीकरण सं. एम पी 17 डी ए 0138 वाली जे. सी. बी. मशीन का मालिक है । याची के अनुसार वह ठेकेदार भी है और मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क के निर्माण और इसके अनुरक्षण के लिए भी पांच वर्ष के लिए तारीख 20 अप्रैल, 2012 को कार्यादेश दिया गया । पूर्वोक्त संविदा याची के स्वामित्वाधीन फर्म मैसर्स ए. बी. कंस्ट्रक्शन के नाम में दी गई । याची द्वारा स्वामित्वाधीन जे. सी. बी. मशीन का उपयोग सड़क के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए किया जाता है और यह याची द्वारा नियुक्त गुड्डू अंसारी नामक चालक द्वारा चलाया जाता है ।

3. आगे यह अभिकथित है कि 1 जून, 2014 को महराजपुर पश्चिम के वन अधिकारी ने रात्रि लगभग 8.30 बजे यह पाया कि एक जे. सी. बी. मशीन मुख्य सड़क बामर-मालधा से 4 मीटर दूर अवैध रूप से भूमि का खनन कर रही है । इस आधार पर याची की जे. सी. बी. मशीन को जब्त किया गया, यद्यपि, अधिग्रहण का स्थान 'मुख्य सड़क' न कि 'जंगल' दर्शाया गया है । 10 जून, 2014 को अभिग्रहण से संबंधित कारण बताओ नोटिस याची को जारी किया गया जिसका सम्यक् उत्तर उसके द्वारा 24

जून, 2014 को दिया गया था । इस उत्तर में याची द्वारा यह अभिवचन किया गया कि जे. सी. बी. मशीन को उनकी जानकारी के बिना सुसंगत समय पर उसके चालक द्वारा चलाया जा रहा था और याची को यह जानकारी नहीं थी कि उसकी जे. सी. बी. मशीन उसके चालक द्वारा वन क्षेत्र में चलाई जा रही थी ।

4. याची के काउंसेल द्वारा आगे यह कहा गया कि अधिहरण कार्यवाही के समय चालक गुड्डू का कथन भी अभिलिखित किया गया जिसमें उसने कहा कि जे. सी. बी. मशीन मुख्य सड़क पर खड़ी थी क्योंकि इसका ईंधन खत्म हो गया था और वह अनिल यादव नाम के एक अन्य चालक के साथ डीजल खरीदने गया था । अधिहरण का आदेश 8 जनवरी, 2015 (उपाबंध पी./3) को पारित किया गया और मुख्य वन संरक्षक के समक्ष पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध की गई अपील भी आदेश तारीख 21 अगस्त, 2015 (उपाबंध पी./2) भी खारिज की गई । तत्पश्चात् याची ने जबलपुर के प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष वन अधिनियम की धारा 52ख के अधीन पुनरीक्षण फाइल की, किंतु यह भी आदेश तारीख 21 सितंबर, 2016 (उपाबंध पी./1) द्वारा खारिज की गई जो इस न्यायालय के समक्ष चुनौतीधीन हैं ।

5. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि उस समय जब जे. सी. बी. मशीन प्रत्यर्थी द्वारा अभिगृहीत की गई, जिसका उपयोग किसी अपराध को कारित करने के लिए नहीं किया जा रहा था और यह मात्र सड़क पर खड़ी थी । आगे, यह निवेदन किया गया कि अन्यथा भी याची को यह ज्ञात नहीं था कि चालक गुड्डू जंगल में उक्त सड़क पर उस समय उसका यान चला रहा है और इस प्रकार उसे वन अपराध के कारित किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । आगे, यह निवेदन किया गया कि पूर्वोक्त जे. सी. बी. मशीन द्वारा किसी भूमि को उत्खनित करता हुआ नहीं पाया और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि वन उपज की बाबत कोई वन अपराध किया गया ।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने याचिका का विरोध किया और यह निवेदन किया कि अधिहरण का आदेश उचित और न्यायसंगत है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याची के यान को वन भूमि को उत्खनित करने में लिप्त पाया गया जो कि एक अपराध है । आगे, यह निवेदन किया गया कि सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा

तथ्यों का समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

7. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

8. इस न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन प्रारंभ करने के पूर्व वन अधिनियम की धारा 52 का परिशीलन करना संगत होगा । इसका सुसंगत उद्धरण इस प्रकार है :–

"52. अधिहरणीय संपत्ति का अभिग्रहण – (1) जबकि यह विश्वास करने का कारण है कि किसी वन-उपज के बारे में कोई वन विषयक अपराध किया गया है, तब ऐसी उपज, सब औजारों, नावों, छकड़ों या पशुओं सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में हुआ है, किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत की जा सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी संपत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगाएगा कि उसका इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र या तो इस बाबत अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकृत अधिकारी' कहा गया है) की पंक्ति से अन्यून अधिकरी के समक्ष अभिगृहीत संपत्ति को पेश करेगा या जहां प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिगृहीत संपत्ति को पेश करना मात्रा की अधिकता या अन्य उचित कठिनाई के कारण व्यवहार्य नहीं है, प्राधिकृत अधिकारी को अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट करेगा या जहां तत्काल अपराधी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां चलाया जाना आशयित है, उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेजेगा :

परंतु जब कि वह वन-उपज, जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसा अपराध हुआ है, सरकार की संपत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तब यदि यथाशक्य शीघ्र अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो वह पर्याप्त होगा ।

(3) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए जहां प्राधिकृत अधिकारी

का यथास्थिति अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट की प्राप्ति पर अभिगृहीत संपत्ति को उसके समक्ष पेश करने पर यह समाधान हो जाता है कि उसकी बाबत वन अपराध किया गया है, वह लिखित में आदेश द्वारा और कारण अभिलिखित करते हुए, सभी औजारों, यानों, नावों, रस्सियों, चेन या ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त किसी अन्य वस्तु को अधिहरित कर सकेगा । अधिहरण की आदेश की प्रति उस वन सर्किल के वन संरक्षक को किसी असम्यक् विलंब के बिना अग्रेषित करेगा जिसमें, यथास्थिति, लकड़ी या वन उत्पाद अभिगृहीत किया गया है ।

(4) किसी संपत्ति को अधिहरित करने का कोई आदेश उपधारा (3) के अधीन नहीं किया जाएगा जब तक प्राधिकृत अधिकारी –

(क) अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को संपत्ति के अधिहरण के लिए कार्यवाही के आरंभ किए जाने के बारे में विहित प्ररूप में सूचना नहीं भेजता जिसके बारे में अभिग्रहण किया गया है ;

(ख) उस व्यक्ति को लिखित में नोटिस नहीं भेजता है जिससे संपत्ति अभिगृहीत की गई है और किसी अन्य व्यक्ति को जिसको ऐसी संपत्ति में प्राधिकृत अधिकारी को कुछ हित रखने वाला प्रतीत होता है ;

(ग) ऐसे युक्तियुक्त समय जो प्रस्तावित अभिहरण के विरुद्ध नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर अभ्यावेदन करने के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अवसर प्रदान नहीं किया जाता ; और

(घ) अभिग्रहण को प्रभावी बनाने वाले अधिकारी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिन्हें खंड (ख) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, ऐसे प्रयोजन के लिए सुनवाई की तारीख नियत करने की सूचना प्रदान नहीं करता ।

(5) किसी औजार, यान, नाव, रस्सी, चेन या किसी अन्य वस्तु (अभिगृहीत) लकड़ी या वन उपज से भिन्न उपधारा (3) के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किया जाएगा, यदि उपधारा (4) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकारी के समाधान होने तक साबित

करता है कि ऐसा कोई औजार, यान, नाव, रस्सी, चेन और अन्य वस्तु का उपयोग उसकी जानकारी या दुरभिसंधि के बिना या यथास्थिति, उसके सेवक या अभिकर्ता की जानकारी या दुरभिसंधि के बिना उपयोग किया जा रहा था और यह कि वन अपराध किए जाने के लिए पूर्वोक्त उद्देश्यों के उपयोग के विरुद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती गई ।

(6) अभिगृहीत संपत्ति अपील प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत आदेश की पुष्टि तक या उसके द्वारा स्वप्रेरणा से आरंभ की गई कार्रवाई के अवधि की समाप्ति तक जो धारा 52क के अधीन यथा विहित पूर्वत्तर हो, अभिरक्षा के अधीन बनी रहेगी ।

(7) जहां मामले पर अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी अभिग्रहण या अन्वेषण में स्वयं लिप्त हो वहां अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के संचालन के लिए उसी पंक्ति के किसी अन्य अधिकारी को मामला अंतरित कर सकेगा ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया)

इसके परिशीलन मात्र से यह प्रकट होता है कि अधिनियम की धारा 52 के अधीन अपराध साबित करने के लिए वन उपज के अभिग्रहण के साथ वन अपराधों में लिप्त यान का अभिग्रहण अनिवार्य है । इस प्रकार, उक्त धारा के मात्र परिशीलन से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि सर्वप्रथम उसकी बाबत वन उपज होना चाहिए जिसके लिए वन अपराध किया गया है । आगे यह उपबंध किया गया है कि ऐसे किसी अपराध के करने में प्रयुक्त सभी औजार, नाव, यान, रस्सी, चेन या किसी अन्य वस्तु के साथ ऐसा वन उपज को किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जाए । उपधारा (2) में आगे यह उपबंध है कि यदि प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अभिगृहीत संपत्ति का पेश किया जाना व्यवहार्य न हो तो अभिगृहीत अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी को अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट करेगा । आगे उपधारा (3) में यह उपबंध है कि यदि प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि वन अपराध, वन उपज की बाबत किया गया है तो वह लिखित में और कारण अभिलिखित करते हुए ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त सभी औजार, यान, नाव, रस्सी, चेन या अन्य कोई वस्तु के साथ इस प्रकार अभिगृहीत वन उपज का अभिहरण

कर सकेगा । इतना कहना पर्याप्त है कि वन उपज का अभिहरण यान, बर्तन, औजार आदि के अभिहरण करने के लिए अनिवार्य है ।

9. अभिलेख से यह प्रकट है कि उपाबंध पी./4 के रूप में फाइल अभिग्रहण ज्ञापन के अनुसार अभिग्रहण का स्थल 'पुलिया पर' होना दर्शाया गया है । जिस प्रकार जहां तक अभियोजन का पक्षकथन है कि यान को वन क्षेत्र में सड़क के किनारे पाया गया, स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह भी विवादित नहीं है कि याची को उस सड़क निर्माण के लिए संविदा दी गई थी जिसके लिए उसके द्वारा जे. सी. बी. मशीन खरीदी गई । ऐसे साक्षियों के कथनों में जिन्हें श्री पुरुषोत्तम सिंह मारावी, बीटगाड, मझगांव के कथन को भी तारीख 8 जनवरी, 2015 आदेश उपाबंध पी./3 में दोहराया गया और उसकी प्रतिपरीक्षा सुसंगत है अतः, नीचे दोहराया जा रहा है :–

"**श्री पुरुषोत्तम सिंह मरावी, पिता श्री हरनाम सिंह मरावी, बीटगाड मझगांव** – दिनांक 12 अगस्त, 2014 को श्री पुरुषोत्तम सिंह मरावी वन रक्षक ने दिए गए अपने बयान मे बताया कि घटना दिनांक 1 जून, 2014 को वो स्वयं अपने सुरक्षा श्रमिक मुन्ना लाल उइके के साथ रात्रि लगभग 8.30 बजे आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 143 से 142 की तरफ गस्ती करते हुए आ रहे थे । अपने दिए बयान में उन्होंने बताया कि आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-142 में प्रधानमंत्री सड़क बनार से मलध में सड़क के किनारे लगभग चार मीटर दूरी पर जे. सी. बी. के द्वारा मिट्टी खुदाई का काम किया जा रहा था, और निकाली गई मिट्टी को सड़क किनारे पटरी पर डाला जा रहा था । घटनास्थल पर पहुंचकर जे. सी. बी. वाहन चालक से नाम, बल्दियत, साकिन व खोदी गई मिट्टी का परमीशन पूछे जाने पर उसने अपना नाम गुड्डू, पिता अब्दुल अंसारी ग्राम हनुमना, जिला रीवा बताया तथा उसके पास मिट्टी खोदने की परमीशन नहीं थी । उसके पश्चात् जे. सी. बी. मशीन की जप्ती कार्यवाही की गई तथा जे. सी. बी. मशीन का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, जप्तीनामा में लेख किया जाकर जप्तीनामा में मुन्ना वल्द मोती एवं अलवन वल्द सत्तू के हस्ताक्षर कराए गए । इसके साथ ही मौके पर पंचनामा सुपुर्दनामा सभी कार्यवाही पूर्ण किया गया । तारीख 2 जून, 2014 को वन अपराध प्रकरण क्रमांक 216/17 के द्वारा वन अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिया । तारीख 12 अगस्त, 2014 को उनके

द्वारा जारी पी. ओ. आर. प्रकरण क्रमांक 216/17, जप्ती नामा सुपुर्दनामा, बयान दिखाया गया जिसके प्रदर्श पी. 1 से प्रदर्श पी. 4 के "ए से ए" हस्ताक्षर हैं जिसको उन्होंने तस्दीक किया है ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा वाहन मालिक – पुरुषोत्तम सिंह मरावी पिता हरनाम सिंह मरावी बीटगार्ड मझगांव ने तारीख 12 अगस्त, 2014 को वाहन मालिक द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में बताया कि जप्त वाहन सड़क किनारे लगभग 4 मीटर की दूरी पर जंगल की ओर था । मौके पर कितनी लंबाई चौड़ाई पर खुदाई की गई, याद नहीं है । यह कहना गलत है कि जप्त वाहन का डीजल खत्म हो गया था । जप्ती के बाद वाहन को उन्होंने अपने निवास स्थान पर खड़ा किया था। यह कहना सही है कि वे चौकीदार के घर पर निवास करते है ।"

प्रकटतः, पूर्वोक्त कथन अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. 4 के प्रतिकूल है जिसमें यह कहा गया है कि यान को पुलिया पर अभिगृहीत किया गया था ।

10. इसी प्रकार अन्य साक्षियों के कथन हैं । यह आश्चर्यजनक है कि वन अधिकारियों ने अपने कर्तव्य लापरवाह तरीके से निभाया और उस स्थान का कोई पंचनामा नहीं बनाया जिससे यह अभिकथित है कि याची की जे. सी. बी. मशीन भूमि उत्खनित कर रही थी और वही भूमि सड़क की ओर फैली हुई थी । वन अधिकारियों का यह भी कर्तव्य है कि वह भूमि से संबंधित वन अपराध की संपुष्टि के लिए ऐसी भूमि के नमूने ले जो उसके अनुसार उत्खनित की जा रही थी और उस भूमि के भी नमूने जो याची की जे. सी. बी. मशीन द्वारा सड़क की ओर पड़ी थी, किंतु वे वन अधिनियम की धारा 52 के अधीन यथा अनुबंधित अपराध को सिद्ध करने के लिए बुरी तरह असफल रहे । वर्तमान मामले में सड़क के किनारे की भूमि वन उपज हो सकती थी, जिसका पंचनामा भी वन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया और अधिहरण कार्यवाहियों के दौरान प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और वन अधिनियम की धारा 52 के अनुसार, जिसमें यह उपबंध है कि जब वन अधिकारी के लिए वन उपज का अभिग्रहण करना सुविधाजनक न हो तो अभिगृहीत किसी वन उपज के अभाव में इसका पंचनामा तैयार किया जाए ।

11. आक्षेपित आदेश तारीख 8 जनवरी, 2015 में प्राधिकृत अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि याची अपना यह पक्षकथन साबित करने में समर्थ नहीं रहे कि उन्हें यान के साथ अपने चालक के संचलन के बारे में

कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि दूसरे चालक अनिल यादव को उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए पेश नहीं किया गया । इस न्यायालय की विचारित राय में जब डम्पर चालक स्वयं गुड्डू अंसारी घटनास्थल पर मौजूद था और उसके कथन को पहले ही अभिलिखित किया गया है तो अनिल यादव की परीक्षा न कराए जाने से मामले पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है । अन्यथा भी गुड्डू अंसारी के समक्ष ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि वह जे. सी. बी. के मालिक/याची की अनुज्ञा के बिना यान चला रहा था ।

12. इन परिस्थितियों में, किसी वन उपज के अभिग्रहण के अभाव में याची के यान की बाबत आरंभ की गई संपूर्ण अधिहरण कार्यवाही अभिखंडित किए जाने योग्य है और कायम रखे जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती । जहां तक याची के इस अभिवाक् की उसे जानकारी नहीं थी कि उसके यान का उपयोग वन अपराध के किए जाने के प्रयोजन के लिए उसके चालक द्वारा किया जा रहा है, का संबंध है, यह मान्य नहीं है क्योंकि मालिक को संबद्ध अधिकारी को समाधान करना चाहिए कि उसके द्वारा उक्त जे. सी. बी. अभिरक्षा के लिए सभी सम्यक् सावधानी बरती गई ।

13. इन परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश तारीख 21 सितंबर, 2016 (उपाबंध पी./1), आदेश तारीख 31 अगस्त, 2015 (उपाबंध पी./2) और आदेश तारीख 8 जनवरी, 2015 (उपाबंध पी./3) को कायम नहीं रखा जा सकता । अतः, इसे अभिखंडित किया जा रहा है । प्रत्यर्थियों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्र याची को जे. सी. बी. मशीन सौंपने का निदेश दिया जाता है ।

14. उपरोक्त निदेशों के साथ रिट याचिका मंजूर की जाती है । खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता ।

याचिका मंजूर की गई ।

पा.

मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

राजू उर्फ भगवान दास

तारीख 23 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति एस. के. गंगेले और न्यायमूर्ति (श्रीमती) अंजली पालो

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 324 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – स्वेच्छया उपहति कारित करना – अभियुक्त द्वारा आहत पर चाकू से वार किया जाना – आहत के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य के साथ संपुष्टि होना – आहत ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी अचानक उसके घर चाकू से लैस होकर आया और उस पर चाकू से हमला किया जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी-अभियुक्त स्वेच्छया उपहति कारित करने का दोषी है ।

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 30 अप्रैल, 1992 को लगभग 7.20 बजे अपराह्न में सैक्टर – ए, गोविन्दपुरा, भोपाल में प्रत्यर्थी की शिकायतकर्ता सम्पत बाई के साथ लड़ाई हो गई और उसने सम्पत बाई पर चाकू से वार किया । उसी समय कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी क्षतिग्रस्त हो गए । शिकायतकर्ता सम्पत बाई द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर पुलिस निरीक्षक बी. एस. सेंगर (अभि. सा. 12) द्वारा अस्पताल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषण के पश्चात् प्रत्यर्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संबद्ध न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307, 324 और 450 के अधीन आरोप विरचित किए । प्रत्यर्थी ने दोषी होने से इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि शत्रुता के कारण शिकायतकर्ता पक्ष ने उसे मामले में मिथ्या आलिप्त किया है । अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने जानबूझकर सम्पत बाई, कमला बाई, सावित्री और राजकुमारी बाई को गंभीर क्षतियां कारित की हैं । इसलिए, प्रत्यर्थी को दंड संहिता की धारा 307, 324 और 450 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया

गया है । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर राज्य द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय ने अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने सम्पत बाई और कमला बाई के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय पाया है । डा. एस. के. मीना (अभि. सा. 9) ने दोनों साक्षियों अर्थात् सम्पत बाई (अभि. सा. 1) और कमला बाई (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्यों की सम्यक् रूप से संपुष्टि की है । हमें प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य के बीच कोई भी असंगतता दिखाई नहीं देती है । अन्वेषण अधिकारी बी. एस. सेंगर (अभि. सा. 12) के अनुसार उसने प्रत्यर्थी के कब्जे से प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी./3 के अनुसार एक चाकू बरामद किया था जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी./4 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अन्वेषण अधिकारी इस मामले में किसी भी प्रकार से हितबद्ध नहीं है और न ही प्रत्यर्थी के साथ उसकी कोई भी शत्रुता है । इसलिए, प्रत्यर्थी के प्रकटीकरण ज्ञापन और चाकू के अभिग्रहण ज्ञापन के संबंध में अन्वेषण अधिकारी का परिसाक्ष्य विश्वास करने के लिए पर्याप्त है । विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य पर पूरी तरह विचार किया है । हमारा यह निष्कर्ष है कि अभिलेख पर ऐसे अन्य साक्षियों का भी उल्लेख है जिन्हें साधारण क्षतियां पहुंची हैं । सावित्री (अभि. सा. 2) और राजकुमारी (अभि. सा. 3) पर भी प्रत्यर्थी द्वारा हमला किया गया था । सावित्री (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी अचानक उसके घर चाकू से लैस होकर आया और इसके पश्चात् उसने अभि. सा. 2 पर चाकू से हमला किया । अभि. सा. 2 को क्षतियां पहुंची । उसे यह पता नहीं चला कि प्रत्यर्थी ने उस पर हमला क्यों किया । इसके अतिरिक्त, इस साक्षी ने राजकुमारी और सम्पत बाई के परिसाक्ष्य का समर्थन किया है । इस साक्षी ने यह देखा था कि प्रत्यर्थी ने चाकू से वार करके सम्पत बाई (अभि. सा. 1), राजकुमारी (अभि. सा. 3) और कमला बाई (अभि. सा. 4) को क्षतियां पहुंचाईं । सावित्री (अभि. सा. 2) ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी उसका नातेदार है । प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् हमारी सुविचारित राय में दोनों प्रतिरक्षा साक्षियों ने प्रत्यर्थी को बचाने के लिए उसके पक्ष में मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । प्रतिरक्षा साक्षियों का साक्ष्य प्रत्यर्थी के पक्ष में युक्तियुक्त संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये साक्षी प्रत्यर्थी के पड़ोसी हैं और उसके साथ

अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वास्तविक तथ्यों को छुपा रहे हैं । कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष युक्तियुक्त नहीं हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं, तब ऐसे निष्कर्ष गंभीर अवैधता से ग्रसित हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा करके और उसका गलत परिशीलन करके निकाले गए हैं । इसलिए, दोषमुक्ति का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है । अतः, राज्य द्वारा फाइल की गई अपील भागत मंजूर की जाती है और आक्षेपित निर्णय एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है । प्रत्यर्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, तद्नुसार प्रत्यर्थी को इस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है । प्रत्यर्थी ने वर्ष 1992 में अपराध कारित किया है और वर्ष 1996 से उसका विचारण किया जा रहा है । प्रत्यर्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए, जो कि 49 वर्ष से अधिक है, 2,500/- रुपए का जुर्माना चार बार अपराध करने के लिए (अर्थात् 2500 × 4 = 10,000/-) अधिरोपित किया जाता है । प्रत्यर्थी को निदेश दिया जाता है कि वह जुर्माने की रकम विचारण न्यायालय के समक्ष दो मास के भीतर जमा करेगा, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर वह एक अपराध के लिए छह मास और चारों अपराध के लिए आठ मास की अवधि का कारावास भोगेगा । (पैरा 12, 16, 17, 20 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	(2017) एस. सी. सी. (ऑनलाइन) एस. सी. 620 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2600 : **चन्द्रशेखर और एक अन्य** बनाम **राज्य ;**	23
[2008]	(2008)3 एस. सी. सी. 351 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1269 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **अजय कुमार ;**	24
[2007]	(2007)7 एस. सी. सी. 625 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3106 : **गिरिजा प्रसाद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ;**	24

[2007] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 =
ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 111 :
चन्द्रप्पा बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 9

[2005] (2005) 9 एस. सी. सी. 291 =
ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1014 :
कर्नाटक राज्य बनाम **गोपाल कृष्णन** ; 24

[1973] (1973) 2 एस. सी. सी. 793 :
शिवाजी सहाब राव बोबड़े बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1996 की दांडिक अपील सं. 630.

1992 के सेशन विचारण मामला सं. 279 में अपर सेशन न्यायाधीश (चतुर्थ), भोपाल द्वारा तारीख 3 अगस्त, 1995 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विजय सोनी (सरकारी अधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री प्रतिभा मिश्रा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) अंजली पालो ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) पालो – यह अपील 1992 के सेशन विचारण मामला सं. 279 में अपर सेशन न्यायाधीश (चतुर्थ), भोपाल द्वारा तारीख 3 अगस्त, 1995 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध की गई है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 307, 324 और 450 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया गया है ।

2. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 30 अप्रैल, 1992 को लगभग 7.20 बजे अपराह्न में सैक्टर – ए, गोविन्दपुरा, भोपाल में प्रत्यर्थी की शिकायतकर्ता सम्पत बाई के साथ लड़ाई हो गई और उसने सम्पत बाई पर चाकू से वार किया । उसी समय कुछ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी क्षतिग्रस्त हो गए । शिकायतकर्ता सम्पत बाई द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर पुलिस निरीक्षक बी. एस. सेंगर (अभि. सा. 12) द्वारा अस्पताल में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषण के पश्चात् प्रत्यर्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए संबद्ध न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया गया ।

3. विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध दंड संहिता की

धारा 307, 324 और 450 के अधीन आरोप विरचित किए । प्रत्यर्थी ने दोषी होने से इनकार किया और यह अभिवाक् किया कि शत्रुता के कारण शिकायतकर्ता पक्ष ने उसे मामले में मिथ्या आलिप्त किया है ।

4. अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए कुल मिलाकर 13 साक्षियों की परीक्षा कराई । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने जानबूझकर सम्पत बाई, कमला बाई, सावित्री और राजकुमारी बाई को गंभीर क्षतियां कारित की हैं । इसलिए, प्रत्यर्थी को दंड संहिता की धारा 307, 324 और 450 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त किया गया है ।

5. राज्य द्वारा आक्षेपित निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने आहत साक्षियों के कथन गलत तरीके से मात्र कुछ विरोधाभासों या उनके परिसाक्ष्य में आए लोपों के आधार पर, अविश्वसनीय ठहराए हैं । इसके प्रतिकूल, सभी आहत अर्थात् कमला बाई, सावित्री बाई और सम्पत बाई ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन सम्यक् रूप से किया है । इन साक्षियों के साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है । क्षतियों की प्रकृति सिद्ध की गई है कि प्रत्यर्थी का आशय आहतों को गंभीर क्षति कारित करने का था । चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध बहुत से बहुत दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध बनता है । अतः, यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी को तद्नुसार दोषसिद्ध किया जाना चाहिए ।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया है । प्रत्यर्थी को उस पर लगाए गए आरोपों के लिए दोषसिद्ध करने हेतु उसके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है ।

7. दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना गया है और अभिलिख का परिशीलन भी किया गया है ।

8. तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में संदेह की उपधारणा अभियुक्त के पक्ष में जाती है । प्रथमतः, यह उपधारित किया गया है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष होता है जब तक कि उसे अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य द्वारा दोषी साबित न कर

दिया जाए । द्वितीयतः, यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हों, तब अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

9. **चन्द्रप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> "अपील न्यायालय को ऐसे साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने, पुनर्मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति है जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन कोई सीमा, प्रतिषेध या शर्त नहीं है और अपील न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों से संबंधित अपना निष्कर्ष निकाल सकता है ।
>
> सारवान् और आबद्धकारी कारण, अच्छे और पर्याप्त आधार, अत्यंत प्रभावी परिस्थितियां, विकृत निष्कर्ष, स्पष्ट गलतियां आदि जैसी अनेक अभिव्यक्तियों का आशय दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में अपील न्यायालय की असीम शक्ति को कम करना नहीं है । ऐसी अलंकृत भाषा के प्रयोग से इस बात पर बल दिया गया है कि न्यायालय साक्ष्य का मूल्यांकन करने और अपना निष्कर्ष निकालने की शक्ति का प्रयोग करने से अधिक दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने में संकोच से काम ले । पवन कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य (2017) 7 एस. सी. सी. 780 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2459 वाला मामला भी देखिए ।"

10. वर्तमान मामले में सम्पत बाई (अभि. सा. 1) शिकायतकर्ता है जिसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि 5 बजे अपराह्न में वह अपनी झोंपड़ी के सामने बैठी हुई थी । प्रत्यर्थी चाकू लेकर उसकी झोंपड़ी के पास आया और कहा कि वह उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देगा । प्रत्यर्थी ने सम्पत बाई को गाली भी दी । प्रत्यर्थी ने अचानक सम्पत बाई के बाल पकड़ लिए और उसके पेट में चाकू से तीन वार किए । भाईजान ने इस घटना को देखा । वह उसे बचाने पहुंचा । उसी दिन इस

[1] (2007) 4 एस. सी. सी. 415 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. (सप्ली.) 111.

घटना के पूर्व प्रत्यर्थी ने कमला बाई, जो सम्पत बाई की भतीजी है, और सावित्री बाई पर भी हमला किया था । सम्पत बाई द्वारा देहाती नालिशी (प्रदर्श पी./1) दर्ज कराई गई जो बी. एस. सेंगर अर्थात् अभि. सा. 12 द्वारा पुलिस थाना गोविन्दपुरा, भोपाल में रजिस्ट्रीकृत की गई । देहाती नालिशी (प्रदर्श पी./1) में शिकायतकर्ता सम्पत बाई ने अपने परिसाक्ष्य के अनुरूप सभी तथ्यों का उल्लेख किया । यह भी उल्लेख किया गया कि इस घटना के पूर्व प्रत्यर्थी ने कमला बाई और सावित्री बाई पर भी हमला किया था ।

11. कमला बाई (अभि. सा. 4) ने सम्पत बाई (अभि. सा. 1) के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की है । कमला बाई ने यह कथन किया है कि घटना के दिन प्रत्यर्थी उसके घर में मौजूद था । वह पानी पीना चाहता था । जब साक्षी कमला बाई उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई, तब अचानक प्रत्यर्थी ने चाकू से उस पर सात वार किए । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी प्रत्यर्थी के साथ कोई भी पुरानी दुश्मनी या कोई विवाद नहीं था ।

12. हमने सम्पत बाई और कमला बाई के परिसाक्ष्य को विश्वसनीय पाया है । डा. एस. के. मीना (अभि. सा. 9) ने दोनों साक्षियों अर्थात् सम्पत बाई (अभि. सा. 1) और कमला बाई (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्यों की सम्यक् रूप से संपुष्टि की है । हमें प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य के बीच कोई भी असंगतता दिखाई नहीं देती है । डा. एस. के. मीना (अभि. सा. 9) ने घटना के दिन शिकायतकर्ता सम्पत बाई कि चिकित्सा परीक्षा की । यह घटना 5 बजे अपराह्न में घटित हुई थी और सम्पत बाई की चिकित्सा परीक्षा जे. पी. अस्पताल, भोपाल में 5.50 बजे अपराह्न में की गई । डा. एस. के. मीना ने आहत सम्पत बाई के शरीर पर निम्न क्षतियां पाईं :–

(i) उदर के दाईं ओर लगभग 2 सेमी. × 1 सेमी. × 2 सेमी. माप का वेधित घाव,

(ii) सम्पत बाई के आमाशय के मध्य में लगभग 1 सेमी. × 0.5 सेमी. × 2 सेमी. माप का छिन्न घाव ।

चिकित्सक की राय में सभी क्षतियां साधारण प्रकृति की पाईं गई हैं जो चिकित्सा जांच किए जाने के समय से 6 घन्टे के भीतर किसी धारदार वस्तु से कारित की गई हैं ।

13. इसी प्रकार, डा. एस. के. मीना (अभि. सा. 9) ने कमला बाई

(अभि. सा. 4) के शरीर पर निम्न क्षतियां पाईं :–

(i) वक्ष पर 5 सेमी. × 3 सेमी. माप का वेधित घाव

(ii) वक्ष के बाईं ओर लगभग 10 सेमी. × 2 सेमी. × 2 सेमी. माप का छिन्न घाव

(iii) द्वितीयक स्कंधास्थि के नीचे पीठ पर 5 सेमी. का वेधित घाव ।

डा. मीना ने कमला बाई को आगे उपचार किए जाने के लिए सरकारी हमीदिया अस्पताल भेज दिया ।

14. हमारा यह निष्कर्ष है कि डा. एस. के. मीना (अभि. सा. 9) ने चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी./8 और पी./9) में आहतों को पहुंची क्षतियों के संबंध में अभियोजन पक्षकथन का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है । अपनी प्रतिपरीक्षा में डा. मीना ने इस संभावना से इनकार किया है कि उपरोक्त क्षतियां आहत सम्पत बाई और कमला बाई को जमीन पर गिरने से पहुंची थीं । डा. आई. के. चुग (अभि. सा. 10) ने यह सिद्ध किया है कि सम्पत बाई को उपचार के लिए तारीख 30 अप्रैल, 1992 से 6 मई, 1992 तक जे. पी. अस्पताल में भर्ती किया गया था और इस संबंध में इस साक्षी ने रिपोर्ट प्रदर्श पी./10 साबित की है ।

15. जे. पी. सिंह (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने लगभग 5.20 बजे अपराह्न में किसी अज्ञात व्यक्ति से सूचना प्राप्त की थी और इसके पश्चात् उसने इस सूचना को रोजनामचे (प्रदर्श पी. 11) में दर्ज किया । जे. पी. सिंह के परिसाक्ष्य को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । डा. बी. एस. सेंगर (अभि. सा. 12) ने यह सिद्ध किया है कि तारीख 30 अप्रैल, 1992 को अर्थात् घटना के दिन देहाती नालिशी (प्रदर्श पी./1) दर्ज कराई गई और उसके आधार पर मामला प्रदर्श पी./2 रजिस्ट्रीकृत किया गया । हमारा यह निष्कर्ष है कि डा. एस. के. मीना (अभि. सा. 9) और डा. आई. के. चुग (अभि. सा. 10) के कथनों को अविश्वसनीय ठहराने का कोई आधार नहीं है ।

16. अन्वेषण अधिकारी बी. एस. सेंगर (अभि. सा. 12) के अनुसार उसने प्रत्यर्थी के कब्जे से प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी./3 के अनुसार एक चाकू बरामद किया था जिसे ज्ञापन प्रदर्श पी./4 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । हमारा यह निष्कर्ष है कि अन्वेषण अधिकारी इस मामले में

किसी भी प्रकार से हितबद्ध नहीं है और न ही प्रत्यर्थी के साथ उसकी कोई भी शत्रुता है । इसलिए, प्रत्यर्थी के प्रकटीकरण ज्ञापन और चाकू के अभिग्रहण ज्ञापन के संबंध में अन्वेषण अधिकारी का परिसाक्ष्य विश्वास करने के लिए पर्याप्त है ।

17. विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य पर पूरी तरह विचार किया है । हमारा यह निष्कर्ष है कि अभिलेख पर ऐसे अन्य साक्षियों का भी उल्लेख है जिन्हें साधारण क्षतियां पहुंची हैं । सावित्री (अभि. सा. 2) और राजकुमारी (अभि. सा. 3) पर भी प्रत्यर्थी पर हमला किया गया था । सावित्री (अभि. सा. 2) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रत्यर्थी अचानक उसके घर चाकू से लैस होकर आया और इसके पश्चात् उसने अभि. सा. 2 पर चाकू से हमला किया । अभि. सा. 2 को क्षतियां पहुंचीं । उसे यह पता नहीं चला कि प्रत्यर्थी ने उस पर हमला क्यों किया । इसके अतिरिक्त, इस साक्षी ने राजकुमारी और सम्पत बाई के परिसाक्ष्य का समर्थन किया है । इस साक्षी ने यह देखा था कि प्रत्यर्थी ने चाकू से वार करके सम्पत बाई (अभि. सा. 1), राजकुमारी (अभि. सा. 3) और कमला बाई (अभि. सा. 4) को क्षतियां पहुंचाईं । सावित्री (अभि. सा. 2) ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्यर्थी उसका नातेदार है ।

18. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि सावित्री बाई और राजकुमारी के परिसाक्ष्य का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होता है । हमारा यह निष्कर्ष है कि उपरोक्त तथ्य और साक्ष्य को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अनुचित निष्कर्ष पर पहुंचते हुए गंभीर रूप से अनदेखा किया गया है । हमारा यह भी निष्कर्ष है कि इन साक्षियों के साक्ष्य में या अभियोजन वृत्तांत में कोई भी महत्वपूर्ण विरोधाभास या लोप नहीं है । मात्र सावित्री और राजकुमारी के चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को उस पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह गलत अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रत्यर्थी ने कमला, सम्पत बाई, राजकुमारी और सावित्री को धारदार आयुध से क्षतियां पहुंचाई थीं ।

19. प्रत्यर्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि प्रतिरक्षा साक्षी जगदीश (प्रतिरक्षा साक्षी 1) और मुन्नी बाई (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि घटना के दिन कमला बाई और सम्पत

बाई का एक दूसरे के साथ झगड़ा हुआ था । वे एक दूसरे को गालियां दे रही थीं और प्रत्यर्थी ने हस्तक्षेप करके उन्हें बचाया । कमला और सम्पत बाई से शत्रुता होने के कारण उन्होंने प्रत्यर्थी को जानबूझकर अपराध में आलिप्त किया । जगदीश (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट किया है कि सम्पत बाई, राजू **उर्फ** भगवान दास **उर्फ** (प्रत्यर्थी), कमला, सावित्री और चन्दन सभी पड़ोसी हैं । पैरा 4 में जगदीश ने इस बात से इनकार किया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सम्पत बाई, सावित्री और कमला पर हमला किया था । मुन्नी बाई (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने भी जगदीश (प्रतिरक्षा साक्षी 1) के परिसाक्ष्य की संपुष्टि की है ।

20. प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् हमारी सुविचारित राय में दोनों प्रतिरक्षा साक्षियों ने प्रत्यर्थी को बचाने के लिए उसके पक्ष में मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । प्रतिरक्षा साक्षियों का साक्ष्य प्रत्यर्थी के पक्ष में युक्तियुक्त संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये साक्षी प्रत्यर्थी के पड़ोसी हैं और उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए वास्तविक तथ्यों को छुपा रहे हैं ।

21. **शिवाजी सहाब राव बोबड़े** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "सामाजिक रक्षा के मूल्य पर संदेह के फायदे के नियम के प्रति तथा इस मनमोहक भावना के प्रति कि सभी दोषमुक्तियां वैध होती हैं, अपराधी और समुदाय के प्रति न्याय की ओर कोई भी ध्यान न देते हुए अत्यधिक भक्ति दर्शित करने के जो खतरे होते हैं, उन पर इस बढ़ते हुए अपराध और अपराधी के पकड़ में आने के समकालीन संदर्भ में विशेष रूप से जोर देना पड़ेगा । न्यायालय को जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है । युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत के प्रिय सिद्धांतों या ऐसे आकर्षक सूत्र को जिससे हमारी विधि का ताना-बाना बुना हुआ है, उसे इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी परीधि में प्रत्येक संकेत, संकोच और संदेह की सीमा आ जाए । ऐसी अत्युत्सुकता जो कि इस दृष्टिकोण में प्रतिबिंबित होती है कि 1000 दोषी व्यक्ति दोषमुक्त हो सकते हैं किन्तु एक बेगुनाह व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, मिथ्या दुविधा है । अभियुक्त का अधिकार केवल उसकी बात के लिए होता जो युक्तियुक्त हो ।

[1] (1973) 2 एस. सी. सी. 793.

अन्यथा न्याय की चाहे जो भी व्यवहारिक पद्धति हो वह नष्ट हो जाएगी तथा समुदाय की दृष्टि में अपनी विश्वसनीयता खो देगी । जैसा कि एक विद्वान् ने अत्यंत बुद्धिमत्ता से यह मत व्यक्त किया है कि किसी दोषी व्यक्ति को अगंभीरता से दोषमुक्त करने की जो बुराई होती है, उसका प्रभाव इस साधारण तथ्य से भी परे तक भी पड़ता है कि मात्र एक दोषी व्यक्ति दंडित छोड़ दिया गया है । यदि सिद्धांत के आधार पर दोषमुक्तियां होती हैं, तो उनके परिणामस्वरूप विधि की सनकयुक्त उपेक्षा ही होगी तथा उसका यही परिणाम होगा कि जनता अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अधिक कठोर विधि उपधारणाओं की तथा उन लोगों को जिन्हें दोषी पाया गया है अधिक दंड देने की मांग करने लगेगी । इस प्रकार से दोषी व्यक्तियों की बहुधा की गई दोषमुक्तियों के परिणामस्वरूप क्रूर दंड-विधि का जन्म हो सकता है, अन्ततः दोषहीन को मिली न्यायिक संरक्षता का ह्रास हो सकता है । जैसा कि विस्काउंट साइमन ने भी कहा था, इन सभी कारणों से यह कहना सही है कि दोषी व्यक्ति की दोषमुक्ति से न्याय की हत्या जितनी होती है, उससे किसी भी प्रकार से कम बेगुनाह की दोषसिद्ध से नहीं होती है । संक्षेप में उपधारित बेगुनाही के पक्ष में हमारे विधिशास्त्र में जो अत्युत्साह मौजूद है, वह दंड-न्याय को सशक्त और वास्तविक बनाने के लिए व्यावहारिक आवश्यकता द्वारा मर्यादित की जानी चाहिए ।"

22. हमारा यह निष्कर्ष है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि प्रत्यर्थी ने सम्पत बाई, कमला, राजकुमारी और सावित्री बाई को तेज धार वाले हथियार अर्थात् चाकू से साधारण क्षति कारित की है । कमला, सावित्री और राजकुमारी सभी आहत साक्षी हैं, इसलिए उनका साक्ष्य घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी सिद्ध करने के लिए एक ठोस साक्ष्य है ।

23. **चन्द्रशेखर और एक अन्य** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"एक ही घटना में आहत हुए व्यक्ति का साक्ष्य दांडिक विधिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह माना

[1] (2017) एस. सी. सी. (ऑनलाइन) एस. सी. 620 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 2600.

जाता है कि ऐसे साक्षी का साक्ष्य सत्य ही होता है जब तक कि अन्यथा साबित न किया जाए । यद्यपि, विधि सुस्थापित है और इस संबंध में नजीरें भी प्रस्तुत की गई हैं जिनमें ब्रह्मस्वरूप **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 6 एस. सी. सी. 288 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 280 वाले मामले को निर्दिष्ट करना लाभप्रद होगा जिसमें निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है –

> जब किसी घटना में कोई साक्षी स्वयं आहत हो जाता है, तब ऐसे साक्षी का परिसाक्ष्य आमतौर पर अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि यह ऐसा साक्षी होता है जिसकी घटनास्थल पर मौजूदगी के संबंध में गारंटी दी जा सकती है और वह अन्य किसी व्यक्ति को वास्तविक अपराधी के स्थान पर आलिप्त करना नहीं चाहेगा ।"

24. उपरोक्त चर्चा और **पवन कुमार** (उपरोक्त); **कर्नाटक राज्य** बनाम **गोपाल कृष्णन**[1] ; **गिरिजा प्रसाद** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] और **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **अजय कुमार**[3] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष युक्तियुक्त नहीं हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं, तब ऐसे निष्कर्ष गंभीर अवैधता से ग्रसित हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा करके और उसका गलत परिशीलन करके निकाले गए हैं । इसलिए, दोषमुक्ति का निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है । अतः, राज्य द्वारा फाइल की गई अपील भागत मंजूर की जाती है और आक्षेपित निर्णय एतद् द्वारा अपास्त किया जाता है । प्रत्यर्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, तद्नुसार प्रत्यर्थी को इस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है । प्रत्यर्थी ने वर्ष 1992 में अपराध कारित किया है और वर्ष 1996 से उसका विचारण किया जा रहा है । प्रत्यर्थी की आयु को ध्यान में रखते हुए, जो कि 49 वर्ष से अधिक है, 2,500/- रुपए का जुर्माना चार बार अपराध करने के लिए (अर्थात् 2500 × 4 = 10,000/- रु.) अधिरोपित किया जाता है । प्रत्यर्थी को निदेश दिया ।

---

[1] (2005) 9 एस. सी. सी. 291 = ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1014.

[2] (2007) 7 एस. सी. सी. 625 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 3106.

[3] (2008) 3 एस. सी. सी. 351 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1269.

जाता है कि वह जुर्माने की रकम विचारण न्यायालय के समक्ष दो मास के भीतर जमा करेगा, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर वह एक अपराध के लिए छह मास और चारों अपराध के लिए आठ मास की अवधि का कारावास भोगेगा ।

25. इस निर्णय की प्रति अभिलेख के साथ सूचना और अनुपालन के लिए निचले न्यायालय को भेजी जाए ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

(2018) 1 दा. नि. प. 897 **मध्य प्रदेश**

हेमचंद यशवंत फसाते

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 23 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति सुशील कुमार पालो

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 228 [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 306] – आरोप विरचित किया जाना – आत्महत्या के दुष्प्रेरण का अपराध – विधिमान्यता – मृतक ने धनराशि उधार ली थी और उसे अभियुक्तों को दिया था – अभियुक्त उस धनराशि का संदाय करने में विफल हुए और मृतक ने आत्महत्या कर ली – अभियुक्त का ऐसा कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं है जिससे कि यह दर्शित हो कि मृतक ने उस कार्य की वजह से आत्महत्या की – आत्महत्या करने के लिए उकसाने या दुष्प्रेरण के तत्वों का गायब होना – मृतक अत्यधिक रक्तचाप से ग्रसित था जिस कारण उसने आत्महत्या करना चुना – आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए विरचित किए गए आरोपों को अपास्त किया जाना न्यायसंगत है ।

अनावश्यक ब्योरे का संक्षिप्त में उल्लेख करते हुए इस पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे के लिए अध्यप्रेक्षित तथ्य इस प्रकार है कि संजय फसाते जो चंदन नगर रासुलिया, होशंगाबाद का निवासी है, ने आवेदक-

हेमचंद और सह-अभियुक्त आनंद जुगानी सहित अभियुक्त व्यक्तियों को दो लाख रुपए ऋण के रूप में अग्रिम राशि दी थी । अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त राशि का प्रतिसंदाय नहीं किया । यह राशि मृतक द्वारा बैंक और अन्य व्यक्तियों से ऋण के रूप में ली गई थी । क्योंकि उक्त रकम लौटाई नहीं गई थी तब मृतक ने परेशानी महसूस की थी । उसने अपनी पत्नी प्रीति फसाते जिसकी आयु 40 वर्ष थी और पुत्री सिम्मी फसाते जिसकी आयु 10 वर्ष थी, चाकू से उनकी हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली । प्रीति फसाते की शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि उसकी मृत्यु सिर पर क्षति के कारण आघात होने से अत्यधिक रक्त बहने के परिणामस्वरूप हुई थी और क्षतियां प्रकृति में मृत्यु पूर्व की थीं । सिम्मी के शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह दर्शित हुआ है कि सिर की क्षति के कारण अत्यधिक रक्त बह जाने के परिणामस्वरूप आघात से उसकी मृत्यु हुई थी । संजय फसाते की शवपरीक्षण से भी यह दर्शित होता है कि गर्दन के चारों ओर संकीर्णन के परिणामस्वरूप श्वासारोध के कारण उसकी मृत्यु हुई थी तथा जहर पीने का कोई साक्ष्य नहीं था । आत्महत्या का टिप्पण अन्वेषण के दौरान बाद में बरामद हुआ था और यह देखा गया था कि मृतक संजय ने अपनी पत्नी और पुत्री की हत्या करने के पश्चात् परेशानी के कारण आत्महत्या कर ली जो उसे आवेदक और सह-अभियुक्त आनंद जुगानी द्वारा दी गई थी । पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 206 के साथ पठित 34 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए आक्षेपित आदेश पारित करके आरोप विरचित किया था । आवेदक ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया । आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, वर्णित तथ्यों से यह दर्शित होता है कि मृतक ने कुछ पैसे उधार के रूप में अभियुक्त व्यक्तियों को दिए गए थे, जो मृतक को वह पैसा लौटने में विफल हुए थे । इसलिए, मृतक ने दोबारा उनसे पैसे लौटने के लिए कहा था । परंतु मृतक को जब पैसे प्राप्त नहीं हुए उसके पास आत्महत्या करने के सिवाए कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था । मृतक ने उक्त पैसा मकान के लिए भारतीय स्टेट बैंक पिंक एवेन्यू कॉलोनी से ऋण के रूप में उधार लिया था, वह उस ऋण के लिए 18,000/- रुपए की ईएमआई (किस्त) का संदाय कर रहा था । मृतक संजय सहायक प्रबंधक के पद पर एम.बी.एम. में कार्य कर रहा था । ऋण

की राशि का प्रतिसंदाय नहीं किया गया था । इसलिए, मृतक बहुत अस्त-व्यस्त था । अभियुक्त/आवेदक मृतक का मित्र था । मामले में आवेदक द्वारा दी गई परेशानी या उकसाने के बारे में कोई अन्य सारभूत साक्ष्य नहीं है । विधान-मंडल का आशय और इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामलों के तर्कणा से स्पष्ट है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के अनुक्रम में उसका ऐसे अपराध को कारित कराने के लिए स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना चाहिए और इसमें सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य भी अपेक्षित है जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देता हो और उसके पास कोई दूसरा विकल्प न हो और ऐसे कार्य से मृतक ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए आशायित हो जाए कि उसे आत्महत्या करनी है । "दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति की उकसाने की मानसिक प्रक्रिया अंतवर्लित है या किसी व्यक्ति को किसी बात को करने के लिए सआशय उकसाता है । अभियुक्त की ओर से उकसाने के बिना किसी सकारात्मक कार्य के आत्महत्या करना जिस पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है, धारा 306 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए अपराध के किए जाने पर स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना चाहिए । इसमें सक्रिया या प्रत्यक्ष कार्य अपेक्षित है जो मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाता है जिसमें उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि ऐसे कार्य के लिए मृतक को इरादतन धकेले जाने का होना चाहिए, जिससे कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वह आत्महत्या कर ले । यह बात भी दोहरायी गई है कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत हुआ है कि पीड़िता ने घरेलू जीवन में चिड़चिड़ापन, मनमुटाव और मत भिन्ताओं के साधारण अनुक्रम में जो प्रायः समाज में सामान्य रूप से घटित होती है, उस अनुक्रम में जिनसे पीड़िता संबंधित है, उसके कारण उच्च रक्तचाप के होने से आत्महत्या की और ऐसा चिड़चिड़ापन, मनमुटाव और मत भिन्नताएं जो समाज में वर्णित इस तरह की व्यष्टिक परिस्थितियों की आशा नहीं की गई थी, जिसके परिणाम आत्महत्या कर ली जाती है, तब न्यायालय की संवेदना का ऐसे निष्कर्ष के आधार पर समाधान नहीं होना चाहिए तब आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप से अभियुक्त दोषी होना चाहिए । यहां पर मृतक चिड़चिड़ापन, मनमुटाव और मत भिन्नताओं जो दिन-प्रतिदिन जीवन में घटित होती हैं, उनसे निस्संदेह उच्च रक्तचाप से ग्रसित था । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 306 के अधीन अपराध के कोई संघटक नहीं बनते हैं । इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।" मृतक उच्च

रक्तचाप से पीड़ित होना प्रतीत होता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि दंड संहिता की धारा 107 और 109 की परिधि के भीतर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं आता है । इसलिए, धारा 306 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध नहीं बनता है । वर्तमान मामले में भी, मृतक द्वारा विधिक और विधिसम्मत कार्रवाइयों के बावजूद भी उसने अभिकथित उत्पीड़क व्यवहार से बदला लेने के लिए आत्महत्या करने के अव्यवहारिक पक्ष को अंगीकार किया । इसलिए, कोई अपराध जैसाकि अभिकथित किया गया है, आवेदक के विरुद्ध नहीं बनता । (पैरा 11, 16, 17, 18 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2011]	ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1238 : **एम. मोहन** बनाम **राज्य** ;	15
[2010]	(2010) 1 एस. सी. सी. 750 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 327 : **गंगुला मोहन रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	17
[2009]	2009 (2) एम. पी. एल. जे. 147 : **रामचंद्र** बनाम **मध्य प्रदेश** ;	21
[2007]	2007 (II) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 26 : **प्रमोद कुमार और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	19
[2001]	(2001) 9 एस. सी. सी. 618 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3837 : **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** ।	14

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2018 का पुनरीक्षण आवेदन सं. 208.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397/401 के अधीन आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री अतुल चौधरी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सी. के. मिश्रा, विद्वान् सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुशील कुमार पालो – मामला सुना गया ।

यह पुनरीक्षण आवेदन 2016 के सेशन विचारण सं. 251 में सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद द्वारा तारीख 22 अगस्त, 2017 को पारित आदेश को आक्षेपित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के साथ पठित धारा 401 के अधीन फाइल किया गया है, जिसमें दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे ।

2. अनावश्यक ब्योरे का संक्षिप्त में उल्लेख करते हुए इस पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे के लिए अध्यपेक्षित तथ्य इस प्रकार है कि संजय फसाते जो चंदन नगर रासुलिया, होशंगाबाद का निवासी है, ने आवेदक-हेमचंद और सह-अभियुक्त आनंद जुगानी सहित अभियुक्त व्यक्तियों को दो लाख रुपए ऋण के रूप में अग्रिम राशि दी थी । अभियुक्त व्यक्तियों ने उक्त राशि का प्रतिसंदाय नहीं किया । यह राशि मृतक द्वारा बैंक और अन्य व्यक्तियों से ऋण के रूप में ली गई थी । क्योंकि उक्त रकम लौटाई नहीं गई थी तब मृतक ने परेशानी महसूस की थी । उसने अपनी पत्नी प्रीति फसाते जिसकी आयु 40 वर्ष थी और पुत्री सिम्मी फसाते जिसकी आयु 10 वर्ष थी, चाकू से उनकी हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली ।

3. प्रीति फसाते की शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि उसकी मृत्यु सिर पर क्षति के कारण आघात होने से अत्यधिक रक्त बहने के परिणामस्वरूप हुई थी और क्षतियां प्रकृति में मृत्यु पूर्व की थी । सिम्मी के शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह दर्शित हुआ है कि सिर की क्षति के कारण अत्यधिक रक्त बह जाने के परिणामस्वरूप आघात से उसकी मृत्यु हुई थी । संजय फसाते की शवपरीक्षण से भी यह दर्शित होता है कि गर्दन के चारों ओर संकीर्णन के परिणामस्वरूप श्वासारोध के कारण उसकी मृत्यु हुई थी तथा जहर पीने का कोई साक्ष्य नहीं था ।

4. आत्महत्या का टिप्पण अन्वेषण के दौरान बाद में बरामद हुआ था और यह देखा गया था कि मृतक संजय ने अपनी पत्नी और पुत्री की हत्या करने के पश्चात् परेशानी के कारण आत्महत्या कर ली जो उसे आवेदक और सह-अभियुक्त आनंद जुगानी द्वारा दी गई थी ।

5. पुलिस ने अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 206 के साथ पठित 34 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया । विद्वान् विचारण

न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए आक्षेपित आदेश पारित करके आरोप विरचित किया था ।

6. आवेदक की ओर से यह दलील दी गई थी कि अभिकथनों के अनुसार आवेदक ने मृतक से दो लाख रुपए ऋण उधार लिए थे और उसका प्रतिसंदाय नहीं किया गया था । यद्यपि संपूर्ण साक्ष्य को विचार में लेने पर मामले में "आत्महत्या के दुष्प्रेरण" का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । आवेदक घटना से पूर्व मृतक से नहीं मिला था । इसलिए, दंड संहिता की धारा 107 के अधीन प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है । अतः दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध भी नहीं बनता है ।

7. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से काउंसेल ने पुरजोर इन दलीलों का विरोध किया और यह निवेदन किया कि राशि को वापस न लौटने के कारण मृतक ने परेशानी महसूस की और इस परेशानी के कारण उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा विकल्प उसके पास नहीं था ।

8. केस डायरी का परिशीलन किया गया ।

9. आत्महत्या का टिप्पण जो बरामद किया गया था, उसमें मृतक द्वारा लिखित टिप्पण पाया गया था जो निम्न प्रकार है :—

(देशी भाषा को विलुप्त किया गया ....ईडी)

10. इस संदर्भ में, दंड संहिता की धारा 306 के उपबंधों को समझने के लिए यह समुचित होगा जो निम्न प्रकार है :—

> 306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण — यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
>
> इस बात को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि "दुष्प्रेरण" वास्तव में किस तरह गठित होता है । "दुष्प्रेरण" को दंड संहिता की धारा 107 के अधीन परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार है —
>
> > 107. किसी बात का दुष्प्रेरण — वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो
> >
> > पहला — उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को

उकसाता है ; अथवा

दूसरा – उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए ; अथवा

तीसरा – उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है :

स्पष्टीकरण 1 – जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है ।

स्पष्टीकरण 2 – जो कोई, या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य को किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है ।

11. वर्तमान मामले में, वर्णित तथ्यों से यह दर्शित होता है कि मृतक ने कुछ पैसे उधार के रूप में अभियुक्त व्यक्तियों को दिए गए थे, जो मृतक को वह पैसा लौटने में विफल हुए थे । इसलिए, मृतक ने दोबारा उनसे पैसे लौटने के लिए कहा था । परंतु मृतक को जब पैसे प्राप्त नहीं हुए उसके पास आत्महत्या करने के सिवाए कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था । मृतक ने उक्त पैसा मकान के लिए भारतीय स्टेट बैंक पिंक एवेन्यू कॉलोनी से ऋण के रूप में उधार लिया था, वह उस ऋण के लिए 18,000/- रुपए की ईएमआई का संदाय कर रहा था । मृतक संजय सहायक प्रबंधक के पद पर एम.बी.एम. में कार्य कर रहा था । ऋण की राशि का प्रतिसंदाय नहीं किया गया था । इसलिए, मृतक बहुत अस्त-व्यस्त था । अभियुक्त/आवेदक मृतक का मित्र था । मामले में आवेदक द्वारा दी गई परेशानी या उकसाने के बारे में कोई अन्य सारभूत साक्ष्य नहीं है ।

12. सभी अन्य साक्षियों ने यह कथन किया है कि कोई शत्रुता नहीं थी और कुटुम्ब से भी कोई वैमनस्य नहीं था । प्रीति मजुमदार और श्रीमती

साची बाला पुरे के कथन से भी यह दर्शित होता है कि पति और पत्नी के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध थे ।

13. मृतक ने अपनी पत्नी और पुत्री की हत्या करने के पश्चात् आत्महत्या की । इस प्रक्रम में यह समुचित होगा कि "दुष्प्रेरण" के प्रश्न पर विचार करें ।

14. **रमेश कुमार** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "उकसाहट" पर चर्चा की गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

> "उकसाहट यह प्रेरित करता है जिसमें "किसी कार्य" को करने के लिए प्रकोपित, या भड़काने या प्रोत्साहित करने की बातें कही गई है । उकसाने की अपेक्षा का समाधान होने के लिए यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्द इस प्रभाव से प्रयोग में लाए जाना चाहिए या उकसाने को गठित करने वाले कौन से तथ्य अपरिहार्य रूप से होने चाहिए, खासतौर पर जिससे परिणाम इंगित होते हों । तो भी परिणाम को उभारने की कतिपय युक्तियुक्तता में समर्थतता होनी चाहिए । वर्तमान मामला पूर्ण रूप से ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त ने अपने कार्यों या लोप से ऐसी परिस्थितियों में अपने आचरण को निरंतर बनाए रखा था कि मृतक के पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प न रह जाए, जिसमें उकसाने के मामले का निष्कर्ष निकाला जा सकता है । क्रोध या भावुक होकर किसी शब्द का उत्तर मिलना जिसमें परिणामों के बारे में ऐसा कोई आशय न हो जिस पर वास्तविक रूप से ऐसी भावनाओं का अनुसरण किया जाए तो ऐसे मामले में उकसाना नहीं कहा जा सकता है ।"

15. **एम. मोहन** बनाम **राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

> "45. किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने की कार्यवाही पर मानसिक प्रक्रिया में दुष्प्रेरण का भाव सम्मिलित है या कोई व्यक्ति किसी बात को करने के लिए सआशय करता है । अभियुक्त की ओर से बिना

---

[1] (2001) 9 एस. सी. सी. 618 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3837.

[2] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1238.

किसी सकारात्मक कार्य से उकसाने वाली बात पर आत्महत्या करने पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है ।"

16. विधान-मंडल का आशय और इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित मामलों के तर्कणा से स्पष्ट है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के अनुक्रम में उसका ऐसे अपराध को कारित कराने के लिए स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना चाहिए और इसमें सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य भी अपेक्षित है जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देता हो और उसके पास कोई दूसरा विकल्प न हो और ऐसे कार्य से मृतक ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए आशायित हो जाए कि उसे आत्महत्या करनी है ।

17. "दुष्प्रेरण" का प्रश्न जिस पर **गंगुला मोहन रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

> "दुष्प्रेरण में किसी व्यक्ति की उकसाने की मानसिक प्रक्रिया अंतर्वलित है या किसी व्यक्ति को किसी बात को करने के लिए सआशय उकसाता है । अभियुक्त की ओर से उकसाने के बिना किसी सकारात्मक कार्य के आत्महत्या करना जिस पर दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती है, धारा 306 के अधीन किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध करने के लिए अपराध के किए जाने पर स्पष्ट आपराधिक मनःस्थिति होना चाहिए । इसमें सक्रिया या प्रत्यक्ष कार्य अपेक्षित है जो मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाता है जिसमें उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है कि ऐसे कार्य के लिए मृतक को इरादतन धकेले जाने का होना चाहिए, जिससे कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वह आत्महत्या कर ले । यह बात भी दोहरायी गई है कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत हुआ है कि पीड़िता ने घरेलू जीवन में चिड़चिड़ापन, मनमुटाव और मत भिन्नताओं के साधारण अनुक्रम में जो प्रायः समाज में सामान्य रूप से घटित होती है, उस अनुक्रम में जिनसे पीड़िता संबंधित है, उसके कारण उच्च रक्तचाप के होने से आत्महत्या की और ऐसा चिड़चिड़ापन, मनमुटाव और मत भिन्नताएं जो समाज में वर्णित इस तरह की व्यष्टिक परिस्थितियों की आशा नहीं की गई थी, जिसके परिणाम आत्महत्या

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 750 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 327.

कर ली जाती है, तब न्यायालय की संवेदना का ऐसे निष्कर्ष के आधार पर समाधान नहीं होना चाहिए तब आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप से अभियुक्त दोषी होना चाहिए । यहां पर मृतक चिड़चिड़ापन, मनमुटाव और मत भिन्नताओं जो दिन-प्रतिदिन जीवन में घटित होती हैं, उनसे निस्संदेह उच्च रक्तचाप से ग्रसित था । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, धारा 306 के अधीन अपराध के कोई संघटक नहीं बनते हैं । इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।"

18. मृतक उच्च रक्तचाप से पीड़ित होना प्रतीत होता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि दंड संहिता की धारा 107 और 109 की परिधि के भीतर कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं आता है । इसलिए, धारा 306 के अधीन प्रथमदृष्ट्या अपराध नहीं बनता है ।

19. **प्रमोद कुमार और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"अभियुक्त व्यक्तियों ने बड़ी धनराशि उधार ली थी, परंतु इसके पश्चात् उन्होंने हानि उठाई थी । अभियुक्त में से एक सभी हानियों की पूर्ति करने के लिए दायी ठहराया गया था, परंतु उसने ऐसा करके नहीं किया । मृतक ने उनको अग्रिम धनराशि भी दी थी, परंतु जब मृतक को धनराशि का प्रतिसंदाय नहीं किया तब उन्होंने उसे परेशान और उसका अभित्रास किया जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली । न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप नहीं बनते हैं, इसलिए, दंड संहिता की धारा 306 के अधीन विरचित आरोप को अपास्त कर दिया ।"

20. वर्तमान मामले में भी, मृतक द्वारा विधिक और विधिसम्मत कार्रवाइयों के बावजूद भी उसने अभिकथित उत्पीड़क व्यवहार से बदला लेने के लिए आत्महत्या करने के अव्यवहारिक पक्ष को अंगीकार किया । इसलिए, कोई अपराध जैसाकि अभिकथित किया गया है, आवेदक के विरुद्ध नहीं बनता ।

---

[1] 2007 (II) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 26.

21. **रामचंद्र** बनाम **मध्य प्रदेश**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"मृतक ने आवेदक द्वारा ऋण के संव्यवहार में बेमानी बरतने के कारण आत्महत्या की । आवेदक के विरुद्ध अभिकथित कार्य उकसाने की कोटि में नहीं आता है और न मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए उन बातों से कोई सहायता के संघटक बनते हों । दंड संहिता की धारा 306/34 के अधीन अपराध के लिए आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित करने का आदेश को अपास्त किया गया था ।"

22. ऊपर चर्चित परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की है कि विधि में प्रतिपादित और पूर्ववर्ती विश्लेषण से यह उपदर्शित होता है कि उकसाने या दुष्प्रेरण के तत्व जिससे कि आत्महत्या की जाती है, इस मामले में पूर्णतया गायब है । इसलिए, दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध नहीं बनता है । पुनरीक्षण मंजूर किया जाता है । 2016 के सेशन विचारण सं. 151 में सेशन न्यायाधीश होशंगाबाद द्वारा तारीख 22 अगस्त, 2017 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है ।

23. आवेदक-हेमचंद को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध से उन्मोचित किया जाता है, तथापि, यह मत व्यक्त किया गया कि यदि अभियोजन यह उचित समझता है तो अभियोजन पक्ष अन्य अपराधों के लिए आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है ।

पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य.

---

[1] 2009 (2) एम. पी. एल. जे. 147.

<u>संसद् के अधिनियम</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

(1989 का अधिनियम संख्यांक 33)

[11 सितंबर, 1989]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं** – (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अत्याचार" से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है ;

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ;

(ग) "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों" के वही

अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में हैं ;

(घ) "विशेष न्यायालय" से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "विशेष लोक अभियोजक" से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा 15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है ;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता या भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो, यथास्थिति संहिता में या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में हैं ।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है ।

अध्याय 2
अत्याचार के अपराध

3. **अत्याचार के अपराधों के लिए दंड** – (1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, –

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा ;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या पड़ोस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्‌ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा ;

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चेहरे या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है ;

(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य

के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा ;

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा ;

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा ;

(vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा ;

(viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा ;

(ix) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कराएगा ;

(x) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभित्रस्त करेगा ;

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल प्रयोग करेगा ;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उस स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए

वह अन्यथा सहमत नहीं होती, करेगा ;

(xiii) किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्‌गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है ;

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचाने का अधिकार है ;

(xv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास-स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या कराएगा ;

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है –

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा ; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा ;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या

उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दंडनीय होगा ;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ;

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा ; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं

होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

4. **कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड** – कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा ।

5. **पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दंड** – कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

6. **भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना** – इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं ।

7. **कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण** – (1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों, जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी ।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के

लिए अपेक्षित है ।

8. **अपराधों के बारे में उपधारणा** – इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि वह साबित हो जाता है कि –

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति की, या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की कोई वित्तीय सहायता की है तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरणा किया है;

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था ।

9. **शक्तियों का प्रदान किया जाना** – (1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह –

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए और उससे निपटाने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए,

किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां प्रदान कर सकेगी ।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे ।

(3) संहिता के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे ।

अध्याय 3
निष्कासन

10. **ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है** – (1) जहां विशेष न्यायालय का, परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 में यथानिर्दिष्ट 'अनुसूचित क्षेत्रों' या 'जनजाति क्षेत्रों' में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा वहां वह, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे, ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, वापस न लौटे ।

(2) विशेष न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है ।

(3) विशेष न्यायालय, उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है, या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत या उपान्तरित कर सकेगा ।

11. **किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात् उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया** – (1) यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निदेश जारी किया गया है –

(क) निदेश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है ; या

(ख) इस प्रकार हटने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है,

तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर

ऐसे स्थान पर, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

(2) विशेष न्यायालय, लिखित आदेश द्वारा, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभू सहित या उसके बिना, बंधपत्र निष्पादित करे ।

(3) विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है, जिससे उसे हटने के लिए निदेश दिया गया था, अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अस्थायी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र से बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तद्नुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जो विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

12. **ऐसे व्यक्तियों के, जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, माप और फोटो आदि लेना** – (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, किसी पुलिस अधिकारी को अपने माप और फोटो लेने देगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने माप या फोटो लेने दे, इस प्रकार माप या फोटो लिए जाने का प्रतिरोध करता है या उससे इंकार करता है, तो यह विधिपूर्ण

होगा कि माप या फोटो लिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन लिए जाने वाले माप या फोटो का प्रतिरोध या उससे इंकार करने को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 186 के अधीन अपराध समझा जाएगा ।

(4) जहां धारा 10 के अधीन किया गया आदेश प्रतिसंहृत कर दिया जाता है वहां उपधारा (2) के अधीन लिए गए सभी माप और फोटो (जिसके अंतर्गत नेगेटिव भी हैं) नष्ट कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे जिसके विरुद्ध आदेश किया गया था ।

13. **धारा 10 के अधीन के अननुपालन के लिए शास्ति** – व्यक्ति, जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

अध्याय 4
विशेष न्यायालय

14. **विशेष न्यायालय** – राज्य सरकार, शीघ्र, विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करेगी ।

15. **विशेष लोक अभियोजक** – राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी ।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

16. **राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति** – सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) की धारा 10क के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना

अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे ।

17. **विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई** – (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस उप-अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं और जो उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार-बार आते-जाते हैं, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह उस क्षेत्र को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा तथा शांति और सदाचार बनाए रखने तथा लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा और निवारक कार्रवाई कर सकेगा ।

(2) संहिता के अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 11 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे ।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक स्कीमें वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेगा जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए ऐसी स्कीम या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्रवाई करेंगे ।

18. **अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता की धारा 438 का लागू न होना** – संहिता की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी ।

19. **इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना** – संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु

के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है ।

20. **अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना** – इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

21. **अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य** – (1) राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे उपाय करेगी जो आवश्यक हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा, –

(i) ऐसे व्यक्तियों को, जिन पर अत्याचार हुआ है, न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाओं की, जिनके अंतर्गत विधिक सहायता भी है, व्यवस्था ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण और विचारण के दौरान साक्षियों, जिनके अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति भी हैं, यात्रा और भरणपोषण के व्यय की व्यवस्था ;

(iii) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था ;

(iv) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने या उनका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति ;

(v) ऐसे समुचित स्तरों पर, जो राज्य सरकार ऐसे उपायों की रचना या उनके क्रियान्वयन के लिए उस सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे, समितियों की स्थापना करना ;

(vi) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उपायों का सुझाव देने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण का समय-समय पर सर्वेक्षण करने की व्यवस्था ;

(vii) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावना है और ऐसे उपाय करना जिससे कि ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।

(3) केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय करेगी जो उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हों ।

(4) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वर्ष, संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं उसके द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में एक रिपोर्ट रखेगी ।

22. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

23. **नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब यह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	—	—	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	—	—	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	—	—	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	—	—	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	—	—	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	—	—	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	—	—	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	—	—	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	—	—	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	—	—	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	—	—	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	—	—	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	—	—	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	—	—	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	—	—	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	—	290	—
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	—	60	—

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ` 195/- उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ` 125/- और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ` 125/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105